39वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2014-2015

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

विज़न

आधार संरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

लक्ष्य

क) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप तैयार करना।

ख) सर्वोत्तम इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप व समय पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना।

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	3
अध्यक्ष का संबोधन	5-6
निदेशक की रिपोर्ट	7-23
सीएसआर एवं संवहनीय विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट	24-30
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	31-35
कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	36-47
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	48-51
वार्षिक रिटर्न का उद्धरण (फॉर्म सं.एमजीटी-9)	52-60
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं.एओसी-2)	61-63
निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध	64-65
पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र	66-67
इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं	68
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण:	
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	70-78
तुलन पत्र	79
लाभ और हानि का विवरण	80
रोकड़ प्रवाह विवरण	81
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1	82-85
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 49	86-121
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन का उत्तर	122
समेकित वित्तीय विवरण:	
फॉर्म सं.एओसी-1 [सहायक/संबद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणो की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण]	124-125
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	126-133
तुलन पत्र	134
लाभ और हानि विवरण	135
रोकड़ प्रवाह विवरण	136
लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियाँ - नोट सं 1	137-141
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां - नोट सं 2 से 52	142-179
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	180

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स: 91-11-26522000/26854000
ई-मेल: info@ircon.org वेबसाइट: www.ircon.org सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
एवं
मैसर्स टी.आर.चड्ढा एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कम्पनी
लागत लेखाकार

कंपनी सचिव

सुश्री सुमीता शर्मा

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक

साकेत, नई दिल्ली में इरकॉन का निगमित कार्यालय भवन

निदेशक मंडल

(वार्षिक आम बैठक 22.12.2015 की तिथि को)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मोहन तिवारी

अन्य पूर्णकालिक निदेशक

के.के. गर्ग
निदेशक वित्त

दीपक सबलोक
निदेशक परियोजना

हितेश खन्ना
निदेशक कार्य

अंशकालिक (सरकारी) निदेशक

एच.के.काला

अंजुम परवेज

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकगण,

इरकॉन की 39वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। 39 वर्षों का यह सफर काफी रोमांचक रहा, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां और लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

अब मैं आपको वर्ष 2014-15 की कुछ विशेषताओं तथा कम्पनी की हाल की गतिविधियों से अवगत कराना चाहता हूं।

वित्तीय स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने 3122 करोड रुपए का टर्नओवर तथा 844 करोड रुपए का करपूर्व लाभ प्राप्त किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में क्रमश: 28 प्रतिशत और 32 प्रतिशत कम है। यह कमी मुख्य रुप से विभिन्न क्लियरेंसों के कारण घरेलू क्षेत्र में कुछ मुख्य परियोजनाओं के आरंभ होने में विलंब, और प्रमुख विदेशी परियोजनाओं, जिनका घरेलू परियोजनाओं की तुलना मे उच्च मार्जिन था, के पूरा होने के पश्चात अन्य विदेशी परियोजनाओं द्वारा कम अंशदान के कारण हुई है।

लाभांश

लाभप्रदता में कमी होने के बावजूद, आपकी कम्पनी ने प्रदत्त शेयर पूंजी के 920 प्रतिशत यथा 182.12 करोड रुपए का वर्ष 2014-15 के लिए कुल लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो कर पूर्व लाभ का 31.43 प्रतिशत है। कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया संचित लाभांश 939 करोड रुपए हो जाएगा।

प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/बीओटी मॉडल में उपलब्ध व्यवसाय/निवेश के अवसरों के दृष्टिगत, कम्पनी के पूंजी आधार को व्यापक करना उपयुक्त समझा गया है। इसलिए प्राधिकृत शेयर पूंजी को वर्तमान 25 करोड रुपए से बढा कर 100 करोड रुपए किए जाने के प्रस्ताव को इस वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची मे शामिल किया गया है।

प्राप्त नई परियोजनाएं

वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने तीन मैट्रो ठेके प्राप्त किए हैं, एक दिल्ली मेट्रो के लिए 198 करोड रुपए के मूल्य पर मुकुंदपुर से लाजपतनगर खंड (सीटी-1) पर गिट्टीरहित रेलपथ, तथा कोच्ची मेट्रो के लिए दो परियोजनाएं कुल 178 करोड रुपए मूल्य पर दो खंडों (केटी-4 और केटी-5आर1); एनएचएआई की दो राजमार्ग परियोजनाएं यथा 646 करोड रुपए के मूल्य पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के बीकानेर-फलोदी खंड तथा 721 करोड रुपए मूल्य पर मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का करना, तथा 731 करोड रुपए मूल्य पर उत्तर प्रदेश में पुनर्संरचना गतिशील ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यकम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत दो विद्युत परियोजनाएं।

वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात, आपकी कम्पनी ने दो देशों में पहली बार परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा दक्षिण अफ्रीका में 346 करोड रुपए मूल्य पर मजुबा रेल के लिए रेल विद्युतीकरण और सिगनलिंग प्रणाली की टर्नकी परियोजना तथा 23 करोड रुपए मूल्य पर भूटान में उपस्टेशन परियोजना। इसके अतिरिक्त, एक परियोजना बांग्लादेश में प्राप्त की गई है, जो 971 करोड रुपए मूल्य पर खुलना-मोंग्ला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण के लिए है। आपकी कम्पनी ने पश्चिमी गलियारे में डैडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से दो परियोजनाएं भी प्राप्त की हैं यथा 2596 करोड रुपए (इरकॉन का भाग) के मूल्य पर सीटीपी-12 तथा सीटीपी-13 और 283 करोड रुपए के मूल्य पर छत्तीसगढ राज्य में रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए एनडीएमसी लिमिटेड से अन्य परियोजना।

नई कम्पनियों का निगमन

1 अप्रैल 2014 से आरंभ अवधि के दौरान, दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों (डब्ल्यूओएस) तथा दो संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ (जेवीसी) बनाई गई हैं।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों (डब्ल्यूओएस) के रुप में इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड तथा इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड का निगमन क्रमश: 30 सितंबर 2014 और 12 मई 2015 को किया गया है, ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सडक परियोजनाओं को निष्पादित किया जा सके।

ओडीशा और झारखंड राज्यों में कोयला कनेक्टिवीटी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड और झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ राज्य में एनएमडीसी लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सहयोग के साथ एक अन्य संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना की प्रकिया चल रही है। इन सभी संयुक्त उद्यम कम्पनियों में इरकॉन का इक्विटी निवेश 26 प्रतिशत का है।

अब तक इरकॉन समूह में चार सहायक कम्पनियां (यथा इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड) तथा भारत में पांच संयुक्त उद्यम कम्पनियां (इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड तथा झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड) है। मोजाम्बिक में बेरा रेल रियायत परियोजना के निष्पादन के लिए निर्मित संयुक्त उद्यम कम्पनी कम्पैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा एसए (सीसीएफबी) में आपकी कम्पनी के 25 प्रतिशत इक्विटी स्टेक को मोजाम्बिक सरकार के स्वामित्व वाले निकाय के पक्ष में स्थानांतरण किया जाएगा।

निगमित शासन, सीएसआर और धारणीयता

आपकी कम्पनी सुशासन के प्रति सदैव प्रतिबद्ध है और डीपीई निगमित शासन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं तथा अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, केवल स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति को छोडकर, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आपकी कम्पनी ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर 6.72 करोड रुपए खर्च किए हैं। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य धारणीय रुप से व्यापार का संचालन करना है, जिसमें व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पर्यावरण, स्वच्छता, साफ-सफाई, सामाजिक आर्थिक विकास और राहत उपाय शामिल हैं।

भावी परिदृश्य

अवसंरचना विकास जैसे रेल अवसंरचना का क्षमता संवर्धन, उच्च गति रेल लाइनें, स्टेशनों का आधुनीकीकरण, समर्पित मालभाडा गलियारा परियोजनाएं और सडक क्षेत्रों में सरकार की पहल हमारी कम्पनी के लिए विकास के नए मार्ग खोलेगी।

चालू वर्ष (2015-16) में प्राप्त नई परियोजनाओं ने कम्पनी की ऑर्डर बुक को 19000 करोड तक पहुंचा दिया है। इस व्यापक ऑर्डर बुक और अवसंरचना के क्षेत्र मे भावी अवसर, आगामी वर्षों में कम्पनी के विकास को बल प्रदान करेंगे।

आभारोक्ति

मैं, निदेशक मंडल की ओर से अपने सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, रेलवे बोर्ड तथा अन्य मंत्रालयों, दूतावासों, बैंकरों तथा अन्य स्टेकधारकों को उनके मूल्यवान सुझावों, समर्थन और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई निष्ठापूर्ण तथा समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना भी करता हूं, जिनके अथक प्रयासों के परिणामस्वरुप हमारी कम्पनी विकास के पथ पर अग्रसर हुई है।

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
[डीआईएन: 00191363]

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.12.2015

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन के विशिष्ट शेयरधारकगण

आपकी कम्पनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 की कम्पनी की 39वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

कार्य निष्पादन विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने 2950 करोड रुपए की कुल प्रचालनिक आय तथा 844 करोड रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय 4067 करोड रुपए और कर पूर्व लाभ 1249 करोड रुपए था।

प्रचालनिक आय में 27.46% की कमी आई है जो मुख्य रुप से श्रीलंका और मलेशिया में विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण है, हालांकि भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 7.40% की वृद्धि हुई है जो 2013-14 में 1930 करोड रुपए से बढ कर 2014-15 में 2073 करोड रुपए हो गई है। तदनुसार टर्नओवर में कमी होने के कारण लाभ में भी कमी हुई है।

वित्तीय विशेषताएँ

वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतन निम्नानुसार हैं:

क. वित्तीय निष्पादन संकेतन

(रुपये करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2014-15	2013-14	% वृद्धि/ (कमी)
1.	कुल आय (सकल बिक्री)	**3122**	4307	(27.52)
2.	कुल प्रचालन आय	**2950**	4067	(27.46)
3.	विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	**877**	2137	(58.95)
4.	भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	**2073**	1930	7.40
5.	कर पूर्व लाभ	**844**	1249	(32.40)
6.	कर पश्चात लाभ	**579**	907	(36.08)
7.	निवल सम्पत्ति	**3354**	2993	12.05
8.	लाभांश	**182.12**	182.12	शून्य

ख. विदेशी विनिमय आमदनी और निर्गम

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान 2185 करोड रुपए की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 842 करोड रुपए विदेशी विनिमय अर्जित किया है। विदेशी मुद्रा निर्गम वर्ष 2013-14 में 1143 करोड रुपए से वर्ष 2014-2015 में 424 करोड रुपए हो गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त विदेशी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण वर्ष 2013-14 में 1042 करोड रुपए की तुलना में वर्ष 2014-15 में 418 करोड रुपए विदेशी विनिमय अर्जित की है जो कि 59.91% की कमी को दर्शाता है।

ग. लाभांश

निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए जनवरी, 2015 में 19.796 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूँजी पर 40 रुपए प्रति शेयर की दर से यथा 400%, 79.184 करोड़ रूपए के अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी, जिसका भुगतान शेयरधारकों को फरवरी, 2015 में किया गया था। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के विचारार्थ 52 रुपए प्रति शेयर की दर से प्रदत्त शेयर पूँजी पर 520% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो लगभग 102.94 करोड़ रूपए होगा। इस प्रकार, 2014-15 के लिए कुल लाभांश प्रत्येक 10 रुपए के शेयर के लिए 92.00 रुपए की दर से 182.12 करोड़ रूपए हो गया है, जो 579.39 करोड़ रूपए के कर पूर्व लाभ का लगभग 31.43% है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन एवं भुगतान के पश्चात 2014-15 तक शेयरधारकों को दिया गया संचित लाभांश लगभग 939.25 करोड़ रूपए हो गया है।

घ. विनियोजन/कर प्रावधान/आरक्षित निधि :

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1.	अंतरिम लाभांश	**79.18**	100.96
2.	प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**102.94**	81.16
3.	अंतरिम लाभांश पर कर	**15.83**	17.16
4.	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर	**20.96**	14.56
5.	सीएसआर गतिविधियां आरक्षित निधि में/ (से) अंतरण	**(1.71)**	(1.19)
6.	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण	**362.19**	693.85

आर्डर बुक

कंपनी को वर्ष 2014-15 के दौरान 5039 करोड़ रुपए मूल्य के कार्य प्राप्त हुए हैं। 31.03.2015 को कार्य का भार 13293 करोड़ रुपए है जबकि 31.03.2014 को कार्य का भार लगभग 12071 करोड़ रुपए है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. पूरी की गई विदेशी परियोजनाएं:

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी ने श्रीलंका में तीन परियोजनाएं पूरी की हैं:

1. 815 करोड़ रुपए के मूल्य वाली श्रीलंका उत्तरी प्रांत में पल्लई से कंकेसनथुरई तक रेल लाइन का पुनर्निर्माण।
2. 793 करोड़ रुपए के मूल्य वाली श्रीलंका उत्तरी प्रांत में मधु रोड से तलई मन्नार तक रेल लाइन का पुनर्निर्माण।
3. लगभग 550 करोड़ रुपए के मूल्य पर श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस में (अनुराधापुरा से कंकेसनथुरई तक और मेडावाछिया से तल्लई मन्नारपीर तक) सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क के लिए अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा सिग्नलिंग व दूरसंचार प्रणाली को आरंभ करना।

ख. नई/चालू विदेशी परियोजनाए :

निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं - बांग्लादेश में दो परियोजनाएं तथा अल्जीरिया और मलेशिया में एक-एक परियोजना प्रगति पर हैं।

बांग्लादेश

1. लगभग 223 करोड़ रुपए (इरकॉन का शेयर) के कुल मूल्य पर आपकी कंपनी और एफकॉन्स यथा इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम के बीच गैर-निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरब रेल पुल का निर्माण।
2. 60 करोड़ रुपए के मूल्य पर बांग्लादेश के इशुरदी-दरसाना खंड के बीच 11 स्टेशनों पर टर्नकी आधार पर कंप्यूटर आधारित इंटरलॉकिंग कलर लाइटिंग सिग्नलिंग प्रणाली के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन आरंभ का कार्य।

अल्जीरिया

3. 1103 करोड़ रुपए (230 मिलियन अमरीकी डालर) मूल्य पर एएनईएसआरआईएफ, अल्जीरिया सरकार द्वारा प्रदत्त ओयडस्ले तथा यल्लेल के बीच (93 किमी) के दोहरे ट्रैक को बिछाने के कार्य, जिसमें अल्जीर-ओमन खंड पर आयडस्ले

श्रीलंका में मधु रोड - तलई मन्नार खंड का उद्घाटन

से यल्लेल तक दूसरी लाइन बिछाने का कार्य तथा मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन का कार्य शामिल है। दोहरी लाइन के युक्तिकरण के लिए अतिरिक्त कार्य सहित संविदा का मूल्य संशोधित करके 1882 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मलेशिया

4. आपकी कंपनी 6.988 मिलियन अमरीकी डालर वार्षिक मूल्य के लिए पट्टा और अनुरक्षण संविदा के अनुसार मलेशियन रेल प्रणाली (केटीएमबी) पर मीटर गेज डीजल इंजनों के प्रचालन को जारी रखे हुए है। इस संविदा को 84 करोड़ रुपए की कुल संविदा मूल्य पर 31 दिसंबर 2015 तक बढ़ा दिया गया है।

ग. सम्भावित विदेशी परियोजनाएं

ओमान, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यानमार तथा श्रीलंका में ठेके प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित उपाय किए जा रहे हैं ।

घ. भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत में तीन परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. 94 करोड़ रुपए के मूल्य पर इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) द्वारा सौंपे गए बहु-उद्देशीय परिसरों (एमएफसी) का निर्माण।
2. 165 करोड़ रुपए के मूल्य पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए कालिसिंध पावर परियोजना, चरण-1, झालावर, राजस्थान के लिए रेल साइडिंग का डिजाइन, इंजीनियरिंग आदि और उसे प्रचालन के लिए आरंभ करना।
3. 8.55 करोड़ रुपए के मूल्य पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) के लिए दिल्ली एमआरटीएस के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर डीएएमपीईएल द्वारा संस्थापित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए परामर्शदात्री कार्य।

उदयपुर में बहुउद्देशीय परिसर का उदघाटन

ड. भारत में नई परियोजनाएं:

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्राप्त की हैं:

1. 72 करोड रुपए के मूल्य पर छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल के लिए छत्तीसगढ राज्य में गेवरा रोड से पैंडरा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम गलियारे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना, भूमि अधिग्रहण और व्यवहार्यता अध्ययन।
2. 646 करोड रुपए के मूल्य पर इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के लिए राजस्थान राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 को चार लेनों का बनाने के लिए तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेवड शेल्डर सहित दो लेनों को बनाने के लिए मौजूदा बीकानेर -फलौदी खंड को चौडा करना व इसका सुदृढीकरण

पटना, बिहार मे रेल-सह-सडक पुल

3. 721 करोड रुपए के मूल्य पर इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के लिए एनएचडीपी के चरण-IV के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.100 (पैकेज-I) तक शिवपुरी से गुना तक चार लेन करना।

4. 26 करोड रुपए के मूल्य पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के लिए दर्लीपली सुपर ताप ऊर्जा परियोजना चरण-I (2 X 800 मे.वा.) के लिए संबंधित इलैक्ट्रिकल पैकेज सहित कोयला परिवहन प्रणाली के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण।

5. 539 करोड रुपए के मूल्य पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के लिए सामग्री की आपूर्ति सहित टर्नकी आधार पर आर-एपीडीआरपी भाग-ख योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु मेरठ शहर, गाजियाबाद शहर, मुरादाबाद शहर तथा सहारनपुर शहर मे एससीएडीए कम्पैटिबिलिटी की स्थापना और उपभोक्ता आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का कार्य।

6. 566 करोड रुपए के कुल मूल्य पर पीवीवीएनएल के लिए सामग्री की आपूर्ति सहित टर्नकी आधार पर आरएपीडीआरपी भाग-ख योजना के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर मे प्रणाली सुधार, ए.टी एंड सी संबंधी घाटों को कम करने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार,सुदृढीकरण तथा संवर्धन और उपभोक्ता आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार का कार्य।

7. संविदा के टी-4: 162 करोड रुपए के मूल्य पर डीएमआरसी के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के अलुवा से पेट्टा गलियारे के एलिवेटिड खंड में मानक आमान के गिट्टी रहित रेलपथ का अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ।

8. संविदा सीटी-1-क: 198 करोड रुपए के मूल्य मे डीएमआरसी के लिए दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-III के लिए मुकुंदपुर डिपो से गिट्टीयुक्त/ गिट्टी रहित रेलपथ सहित एलिवेटिड और भूमिहीन खंडों में मुकुंदपुर - लाजपतनगर (को छोडक़र) लाइन-7 पर आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ।

9. 61 करोड रुपए के मूल्य पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एजवाल, मिजोरम के लिए प्रस्तावित कैंपस के लिए टोपोग्राफिकल तथा भू-तकनीकी सर्वेक्षण, मास्टर योजना तैयार करना तथा नियोजन अभिकल्पन और चारदीवारी का निर्माण और संबंधित आरंभिक कार्य।

च. भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

निम्नलिखित परियोजनाएं प्रगतिरत हैं:

1. 6743 करोड़ रुपए के मूल्य पर उत्तर रेलवे के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित जम्मू और कश्मीर में धरम से काजीगुंड (धरम काजीगुंड) तक किमी 100.88 से किमी 168 में बीजी नई रेल लाइन का डिजाइन और निर्माण।

2. 2297 करोड़ रुपए के मूल्य पर रेल मंत्रालय के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना।

3. 1430 करोड़ रुपए के मूल्य पर छत्तीसगढ पूर्व मध्य रेल लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर-1 का निर्माण।

4. 1570 करोड़ रुपए के मूल्य पर पूर्व मध्य रेलवे के लिए पटना मे गंगा नदी के ऊपर रेल-सह-सड़क-पुल के स्टील सुपर-स्ट्रक्चर का निर्माण तथा अन्य अनुषंगी कार्य।

5. 1339 करोड़ रुपए के मूल्य पर पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना।

6. क्रमश: 1159 करोड़ रुपए तथा 507 करोड़ रुपए की लागत पर रेल मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार या इसके विभिन्न विभाग/स्थानीय निकायों के लिए क्रमश: बिहार (चरण-II) तथा राजस्थान में सड़क उपरि पुलों का निर्माण।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए 525 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों (गरवा, गुमला, रांची, लोहारडगा एवं सिमडेगा)में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।

8. 682 करोड़ रुपए की लागत पर जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर-I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर-II, जम्मू राइट), तथा (क्लस्टर-IV) (अखनूर, राजौरी, पूंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा) के अंतर्गत आरएपीडीआरपी-भाग-ख परियोजना ।

9. 447 करोड़ रुपए के मूल्य पर पूर्व मध्य रेलवे के लिए भारत-नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर

रायबरेली में रेल डिब्बा कारखाने का दृश्य

(भारत)-बीजलपुरा (नेपाल)(आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।

10. 239 करोड़ रुपए के मूल्य पर नॉर्थ फ्रंटियर रेल के लिए जोगबनी (बिहार) भारत से बिराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।
11. 144 करोड़ रुपये के मूल्य पर उत्तर रेलवे के लिए उधमपुर, श्रीनगर, बारामुला रेल संपर्क परियोजना (यूएसबीआरएल) के भाग यथा बनिहाल-बारामुला खंड (137.73 कि.मी.) के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।
12. 234 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर दिल्ली एमआरटीएस परियोजना, चरण-III के लिए डीएमआरसी के सीई-6, लॉट-1 के अंतर्गत ग्रिड उप-स्टेशन से उच्च वोल्टता केबलिंग और मौजूदा रिसीविंग उप-स्टेशन के लिए संवर्धन कार्य सहित रिसीविंग-सह-घर्षण तथा अनुषंगी मुख्य उप-स्टेशन के अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन का कार्य।
13. 234 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए), दौड (मध्य रेलवे के लिए), तथा मुगलसराय (उत्तरी रेलवे के लिए) में 200 तीन-फेज इंजनों के लिए तीन इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।
14. 210 करोड़ रुपए के मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेस-वे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।
15. 205 करोड़ रुपए के मूल्य पर दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालिमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास ।

सहायक क़म्पनियां, संयुक्त उद्यम तथा संबद्ध कम्पनियां

इरकॉन की सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यम तथा संबंद्ध कम्पनियों और उनकी वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि नीचे प्रस्तुत है। सहायक कम्पनियों, संयुक्त (उद्यमों) तथा संबद्ध कम्पनियों में इक्विटी निवेश, दिया गया ऋण और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-186 के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई गारंटी अनुपालन शीर्षक के अंतर्गत पैरा ई (3) में प्रस्तुत है:

छ. सहायक कंपनियां

1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 किया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है। वर्ष के दौरान, इरकॉन आईएसएल हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वर्ष 2014-15 के दौरान, विदेश मंत्रालय से प्राप्त दो परामर्शदात्री परियोजनाओं यथा म्यामार में सडक तथा पुल परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड, पावर फाइनांस कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रिन्युएवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय ब्लॉकों (4786 शौचालय) का निर्माण कार्य निष्पादित किया है। यह कार्य वर्ष की समाप्ति के पश्चात पूरा हुआ था। इरकॉन आईएसएल द्वारा निष्पादित 23 एमएफसी में से 19 एमएफसी को प्रचालकों को उप-ठेके पर दे दिया गया है।

इरकॉन आईएसएल की वित्तीय स्थिति:

वर्ष 2014-15 के दौरान इरकॉन आईएसएल ने अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढाकर 40 करोड रुपए से 65 करोड रुपए कर दिया है। इरकॉन ने 31 मार्च 2015 को 25 करोड रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी को पोषित किया है। वर्ष की समाप्ति के पश्चात 25 मई 2015 को उक्त राशि के शेयर आबंटित किए गए थे। इसलिए, 31 मार्च 2015 को लंबित आवंटनों हेतु शेयर आवेदन राशि 25 करोड रुपए है। इरकॉन आईएसएल का वर्तमान अंशदान और प्रदत्त शेयर पूंजी 65 करोड रुपए है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इरकॉन आईएसएल की प्रचालनिक आय 36.39 करोड रुपए तथा कर पूर्व लाभ 20.29 करोड रुपए है।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

इरकॉन की सहायक कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल 2012 को किया गया था और इसने 9 मई 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन सहित मौजूदा/नए रेलवे स्टेशन (स्टेशनों) का विकास पुनर्विकास करना तथा भूमि/वायु क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास करना है। आईआरएसडीसी में इरकॉन और आरएलडीए की इक्विटी भागीदारी अनुपात क्रमश: 51:49 है।

आईआरएसडीसी को विकास/पुनर्विकास के लिए चंडीगढ़, हबीबगंज (भोपाल), शिवाजी नगर (पुणे), बिजवासन, आनंद विहार (नई दिल्ली) तथा सूरत (गुजरात) में 6 स्टेशनों पर कार्य सौंपा गया है। इस परियोजना को स्व:विकास मॉडल या तीसरा

पक्ष विकास या दोनों के संयोजन के आधार पर क्रियान्वित किए जाने की संभावना है जिसमें आईआरएसडीसी को स्टेशन विकास तथा पुनर्विकास कार्यों के प्रयोजन से वाणिज्यिक विकास के लिए पट्टाधारित अधिकार, मार्गाधिकार तथा लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।

आईआरएसडीसी की वित्तीय स्थिति

आईआरएसडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड रुपए है और अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 40 करोड रुपए है।

आईआरएसडीसी आरंभिक चरण में है और उसे अभी अपना प्रचालनिक टर्नओवर अर्जित करना है। वर्ष के दौरान आईआरएसडीसी ने मुख्य रुप से ब्याज आय से 1.98 करोड रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

3. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड को चौडा कराने और सुदृढीकरण की परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्त के अनुसरण में 30 सितंबर 2014 को एक विशेष कार्य वाहन के रुप में इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) नाम एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी का निर्माण किया है। इरकॉन पीबीटीएल ने 14 नवंबर 2014 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेने बनाने के लिए तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेनों को बनाने के लिए मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को चौडा करना व इसका सुदृढीकरण का कार्य करना है।

इरकॉन पीबीटीएल ने इस परियोजना के निष्पादन के लिए 7 नवंबर 2014 को एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। कम्पनी ने वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए एनएचएआई के समक्ष संगत दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

इरकॉन पीबीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन पीबीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 175 करोड रुपए है। 31 मार्च 2015 को इरकॉन ने 85 करोड रुपए की अतिरिक्त शेयर पूंजी का अंशदान किया है। उक्त राशि के लिए शेयर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 29 अप्रैल 2015 को आबंटित किए गए थे। इसलिए, 31 मार्च 2015 को शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन 85 करोड रुपए है। इरकॉन पीबीटीएल का वर्तमान अंशदान और प्रदत्त शेयर पूंजी 90 करोड रुपए है। इरकॉन पीबीटीएल को अभी अपना प्रचालन आरंभ करना है।

4. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

वर्ष की समाप्ति के पश्चात आपकी कम्पनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुरी-गूना परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्त के अनुसरण में 12 मई 2015 को इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) नाम एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी का निर्माण किया है। इरकॉन एसजीटीएल ने 27 मई 2015 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी के चरण- iv के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर निष्पादित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गुना खंड को चार लेन का करना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्य पूरा करना है।

इरकॉन एसजीटीएल ने 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। कम्पनी द्वारा अंतिम समापन प्राप्त करने के लिए एनएचएआई के समक्ष संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। वित्तीय समापन को प्राप्त करने तथा एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि की सूचना दिए जाने के पश्चात परियोजना का कार्य आरंभ किया जाएगा।

इरकॉन एसजीटीएल की वित्तीय स्थिति:

इरकॉन एसजीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 150 करोड रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 3 करोड रुपए है।

ख. संयुक्त उद्यम कम्पनियां (जेवीसी)- भारत में:

5. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

एनएचएआई के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 3 के पिंपलगांव-धुले खंड के चार लेनों को बनाने के लिए बीओटी परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन तथा सोमा इंटरप्राइसिस लिमिटेड (निजी क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी) द्वारा 50% की इक्विटी भागीदारी के साथ 19 अप्रैल 2005 को इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी) का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2010-11 में परियोजना पूरी हो गई है और आईएसटीपीएल 118.158 किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर टोल अर्जित कर रही है।

आईएसटीपीएल की वित्तीय स्थिति:

आईएसटीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 130 करोड रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 127.74 करोड रुपए है।

वर्ष के दौरान आईएसटीपीएल ने 155.34 करोड रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर अर्जित किया है और इसे 15.67 करोड रुपए का घाटा हुआ है।

आईएसटीपीएल में अपनी 30% शेयरधारिता को बंधक रखने के लिए आपकी कम्पनी ने पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में, आईएसटीपीएल तथा पीएनबी के साथ त्रिपक्षीय बंधक करार किया है, रियायत करार के समापन की स्थिति में पीएनबी को देय, यदि कोई हो, में किसी प्रकार की कमी के 50% को पूरा करने के लिए अपनी शेयरधारिता के 21% के लिए गैर-विन्यास शपथ शामिल है। उक्त बंधक करार तथा गैर-विन्यास शपथ का निषादन वर्ष 2011-12 में आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त किए गए 521.53 करोड रुपए के इस ऋण के संबंध मे आईएसटीपीएल में 50% की इक्विटी भागीदारी के रुप में किया गया था। 31 मार्च 2015 को इस ऋण का बकाया शेष 325.20 करोड रुपए है। इस ऋण से संबंधित ब्यौरा और संबंधित शपथ को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रुप मे नोट सं. 12 में भी प्रदर्शित किया गया है।

6. छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्व गलियारे (180 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात मे साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

सीईआरएल ने रेल मंत्रालय के साथ 12 जून 2015 को पूर्व गलियारा कोयला सम्पर्कता परियोजना के चरण-। (104 किमी) के लिए रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का चरण-। निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओओटी) मॉडल के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। भौतिक कार्य 64 किमी भूमि के अधिग्रहण के पश्चात आरंभ किया गया है, जिसके लिए 100 करोड रुपए का निवेश किया गया था।

सीईआरएल की वित्तीय स्थिति:

31 मार्च, 2015 को सीईआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 4.055 करोड रुपए है। सीईआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

7. छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्व पश्चिम गलियारे (122 किमी) के विकास के लिए क्रमश 64:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ सरकार की नामित) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को छत्तीसगढ पूर्वी पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) नाम संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईडब्ल्यूआरएल ने 7 मई 2013 को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

जुलाई 2015 को संबंधित रेल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की स्वीकृति प्रदान की गई है और क्रियान्वयन कार्य आरंभ हो गया है।

सीईडब्ल्यूआरएल की वित्तीय स्थिति:

सीईडब्ल्यूआरएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड रुपए है और इसका अंशदान तथा प्रदत्त शेयर पूंजी 4.055 करोड रुपए है। सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरंभ किया जाना है।

ग. संयुक्त उद्यम कम्पनियां (जेवीसी) - भारत के बाहर:

8. कम्पेनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा (सीसीएफबी)

बेरा रेल रियायत परियोजना के निषादन के लिए वर्ष 2004 के दौरान मोजाम्बिक में कम्पेनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा

छत्तीसगढ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(सीसीएफबी) नाम संयुक्त उद्यम कम्पनी का निर्माण किया गया था। सीसीएफबी में आपकी कम्पनी की इक्विटी भागीदारी 25% और इसके साथ राइट्स की भागीदारी 26% तथा सीएफएम, मोजाम्बिक के रेल उपक्रम की इक्विटी भागीदारी 49% की है।

सीसीएफबी की वित्तीय स्थिति:

सीसीएफबी में आपकी कम्पनी की इक्विटी भागीदारी 25% है, जो 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड रुपए) के बराबर है। सीसीएफबी को आपकी कम्पनी द्वारा निम्नलिखित ऋण प्रदान किए गए हैं।

क्र. सं.	विवरण	31.03.2015 को राशि	
		(मिलियन अमरीकी डालर पर)	(करोड रुपए में)
1.	ऋण	5.083	22.48
2.	शर्तगत शेयरधारण ऋण	15.041	66.53
3.	शेयरधारण ऋण	1.1422	7.115
	कुल	**21.266**	**96.125**

ऋण आदि का ब्यौरा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट सं.34 में प्रकट किया गया है।

हालांकि रेलपथ पुनर्वासन कार्य पूरा हो गया था और रेलगाड़ियों द्वारा कोयले का निर्बाध संचालन आरंभ हो गया है, तथापि, संबंधित प्राधिकरण (परिवहन और संचार मंत्रालय, मोजाम्बिक सरकार) ने दिसंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया था। मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए गए थे किन्तु इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, सीसीएफबी ने वाणिज्यिक नियमों के अंतरराष्ट्रीय चैंबर्स के अंतर्गत मोजाम्बिक सरकार के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय से मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया गया था। परंपरागत परिदृश्य का अनुसरण करते हुए निवेश के विरुद्ध उपयुक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ विवाद के मैत्रीपूर्ण निपटान के लिए प्रयास भी चल रहे हैं और विवाद के निपटान के लिए 21 अक्तूबर, 2015 को मोजाम्बिक सरकार के साथ एक करार किया गया है, जिसके अनुसार कम्पनी एक निर्धारित समयावधि के भीतर किश्त में अपने सम्पूर्ण निवेश को प्राप्त कर पाएगी। प्रथम किश्त के प्राप्त होने पर लेखांकन समायोजन किए जाएंगे।

घ. गैर-निगमित संयुक्त उद्यम (यूजेवी)- प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

9. इरकॉन-एसपीएससीपीएल

इरकॉन तथा एसपीएससीपीएल द्वारा क्रमशः 50:50 की भागीदारी हित के साथ एस.पी.सिंगला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया है। यह गैर-निगमित संयुक्त उद्यम जम्मू और कश्मीर राज्य में रावी नदी पर 592 मीटर लंबे तार युक्त प्रमुख स्थायी पुल के अभिकल्प और निर्माण के लिए है। यह परियोजना गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को 145.43 करोड रुपए के मूल्य पर 27 अगस्त 2010 को प्रदान की गई थी।

31 मार्च 2015 को परियोजना की समग्र प्रगति 83.67% है और इस कार्य के दिसंबर 2015 तक पूरा होनी की संभावना है।

वित्तीय स्थिति:

वर्ष के दौरान, इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम ने 82.33 करोड रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर और 6.47 करोड रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

10. इरकॉन-एफकॉन संयुक्त उद्यम

यह गैर-निगमित संयुक्त उद्यम एफकॉन इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड (एफकॉन्स) के साथ इरकॉन और एफकान्स के क्रमशः 53:47 की हित भागीदारी अनुपात में है और यह बांगलादेश में पहुंच रेल लाइनों सहित दूसरे भैरव रेलवे पुल के निर्माण के लिए है। इस परियोजना के लिए 567.17 करोड बांग्लादेशी टका मूल्य पर 10 सितंबर 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे।

31 जुलाई 2015 को परियोजना की समग्र प्रगति 48% है और इस कार्य के सितंबर 2016 तक पूरा होने की संभावना है।

वित्तीय स्थिति:

वर्ष के दौरान, इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम ने 94.13 करोड रुपए का प्रचालनिक टर्नओवर और 8.45 करोड रुपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

ड. गैर निगमित संयुक्त उद्यम (जेवीसी) - समाप्त परियोजनाओं हेतु:

11. रीकॉन

राइट्स लिमिटेड (राइट्स) के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम सीसीएफबी द्वारा प्रदान की गई संविदाओं को प्राप्त करने और उनके निष्पादन के लिए था। गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में राइट्स और इरकॉन का भागीदारी हित क्रमशः 51% तथा 49% है।

गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को सौंपा गया कार्य वर्ष 2011 में पूरा हो गया था। तथापि, सीसीएफबी के साथ निपटान के लंबित होने के कारण इस उद्यम को समाप्त नहीं किया गया था।

वित्तीय स्थिति:

वर्ष के दौरान रीकॉन को कर पूर्व लाभ 0.74 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है।

12. इंटरनेशनल मैट्रो सिविल कांटैक्टर (आईएमसीसी)

चार अन्य कंपनियों यथा जर्मनी में डिक्रोफ एंड विडमैन एक्टिंगेसेलशैफ्ट (डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी), लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एल एंड टी), सेमसंग कॉर्पोरेशन (सेमसंग), इरकॉन तथा शिमिजू कॉर्पोरेशन (शिमिजू) जापान के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में वर्ष 2001 में प्रवेश किया गया था और यह

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर - मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरण-I टनल परियोजना पैकेज एमसी-1-बी परियोजना को प्राप्त करने व उसके निष्पादन के लिए किया गया था। इसमें डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी, एल एंड टी, सेमसंग, इरकॉन तथा शिमिजू का भागीदारी हित क्रमश: 29%, 26%, 26%, 9.5% और 9.5% है।

इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को प्रदान की गई परियोजना वर्ष 2005 में पूरी हो गई थी। तथापि, कर प्राधिकारियों के साथ कर मामलों के लंबित होने तथा अन्य वाणिज्यिक मामलों के कारण इस गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को बंद नहीं किया गया है।

वित्तीय स्थिति :

वर्ष के दौरान आईएमसीसी को 0.40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

13. मैट्रो टनलिंग समूह (एमटीजी)

चार अन्य कंपनियों यथा जर्मनी में डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी इंटरनेशनल जीएमबीएच (डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी), लॉरसन एंड टूब्रो लिमिटेड (एल एंड टी) सेमसंग कॉर्पोरेशन (सेमसंग), तथा शिमिजू कॉर्पोरेशन (शिमिजू) जापान के साथ गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में वर्ष 2006 में प्रवेश किया गया था और इसका निर्माण डीएमआरसी के दिल्ली एमआरटीएस परियोजना पैकेज बीसी 16 तथा पैकेज बीसी 18 के चरण-II के केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार पर शील्ड टीबीएम द्वारा सुरंग तथा कट और कवर द्वारा स्टेशन के अभिकल्प और निर्माण को प्राप्त करने व इसके निष्पादन के लिए किया गया था। इसमें डीवाईडब्ल्यूआईडीएजी, एल एंड टी, सेमसंग, इरकॉन तथा शिमिजू का भागीदारी हित क्रमश: 29%, 26%, 26%, 9.5% और 9.5% है।

यह परियोजना वर्ष 2010 में पूरी हो गई थी । तथापि, कर प्राधिकारियों के साथ मामलों के लंबित होने के कारण गैर-निगमित संयुक्त उद्यम को अभी बंद नहीं किया गया है।

वित्तीय स्थिति:

वर्ष के दौरान एमटीजी ने 4.30 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया है, जो मुख्य रुप से ब्याज आय से है।

समेकित वित्तीय विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने तीन सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी तथा इरकॉन पीबीटीएल, तथा चार संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल तथा सीसीफबी, और पांच गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों यथा रिकॉन, आईएमसीसी, एमटीजी, इरकॉन-एसपीएससीपीएल, तथा इरकॉन - एफ्कॉन संयुक्त उद्यम के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2014-15 के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान की है। समेकित वित्तीय विवरणों को 14 अगस्त 2015 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत में उपर्युक्त सभी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां और गैरनिगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, केवल सीसीएफबी (विदेश में संयुक्त उद्यम कंपनी) को छोड़कर, जिसका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है।

आपकी कंपनी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण) तथा अपनी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी तथा इरकॉन पीबीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनियों (आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल तथा सीसीएफबी), और गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों (रिकॉन, आईएमसीसी, एमटीजी, इरकॉन-एसपीएससीपीएल तथा इरकॉन-एफ्कान्स) के लेखों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखों को कंपनी के किसी शेयरधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

फॉर्म एओसी-1 में इन सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओ वाला एक विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

अनुपालन:

क) लेखांकन उपचार का प्रकटन

बेरा रेल रियायत परियोजना की देय राशि - सीसीएफबी को दिए गए ऋणों की मूल राशि तथा संचित ब्याज को लेखांकन लेखा-11 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान दरों के स्थान पर विवेक के आधार पर 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर (यथा 1 अमरीकी डालर = 44.23 रुपए) पर रुपांतरित किया गया है। इसका ब्यौरा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं 34 में दिया गया है।

ख. राष्ट्रपति का आदेश :

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रपति का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. राजभाषा:

नियमित रुप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाता है और यूनिकोड प्रणाली तथा राजभाषा के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों के लिए द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए इरकॉन की वेबसाईट पर द्विभाषी फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं। हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए दैनिक आधार पर हिन्दी में आज का विचार और शब्द रिसेप्शन पर प्रदर्शित किया जाता है।

घ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील

प्राधिकारी, केन्द्रीय जन-सूचना अधिकारी, राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट में डाल दी गई है । प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रुप से सेवा संबंधी मुद्दों और उनके ब्यौरों तथा ठेकेदारों व वेंडरों के कार्य से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किए जाने हेतु रेल मंत्रालय को अग्रेषित की जाती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त 170 आवेदनों (प्रथम व द्वितीय अपील सहित) में से 156 आवेदनों पर कार्रवाई/निपटाया गया था।

ड. कंपनी अधिनियम, 2013

1. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) तथा 5(3) के अनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी कर्मचारी ने प्रति वर्ष 60 लाख रुपए या अधिक या प्रति माह 5 लाख रुपए या अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है, केवल वर्ष 2014-15 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 60.70 लाख रुपए (लगभग) प्राप्त हुए हैं, जिसका ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 4.1 पर प्रस्तुत किया गया है।

2. जमा राशियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अंतर्गत निवेश, ऋण तथा गारंटी और प्रतिभूति का विवरण

31 मार्च 2015 तक कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 की शर्तों के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा किए गए निवेश, दिए गए ऋण तथा गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	
		प्रतिबंद्ध	वास्तव में किया गया निवेश
इक्विटी निवेश :			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल	65.00	65.00
	ii) आईआरएसडीसी	40.80	20.40
	iii) इरकॉन पीबीटीएल	165.00	90.00
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) आईएसटीपीएल	63.87	63.87
	ii) सीईआरएल	1.30	1.17
	iii) सीईडब्ल्यूआरएल	1.30	1.17
	iv) सीसीएफबी	5.53	5.53

क्र.सं	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	
		प्रतिबंद्ध	वास्तव में किया गया निवेश
ऋण :			
क)	सहायक कंपनियां		
	i) इरकॉन आईएसएल (नोट सं. 2 को देखें)	64.90	64.90
	ii) इरकॉन पीबीटीएल (नोट सं. 3 को देखें)	352.00	शून्य
ख)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) सीईआरएल (नोट सं. 4 को देखें)	39.00	30.00
	ii) सीईडब्ल्यूआरएल (नोट सं. 5 को देखें)	39.00	शून्य
	iii) सीसीएफबी (नोट सं. 6 को देखें)	101.88	95.94
ग)	गैरनिगमित संयुक्त उद्यम		
	इरकॉन-एफ्कॉन जेवी (नोट सं. 7 को देखें)	18.15	18.11
गारंटी :			
क)	संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) आईएसटीपीएल	162.60	162.60
बांड :			
क)	आईआरएफसी बांड (नोट सं. 8 को देखें)	-	166.18

नोट :

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) तथा गैर-निगमित संयुक्त उद्यमों (यूजेवी) को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है:

i) अपना व्यवसाय करने के अनुसार अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकरों द्वारा गारंटी (गारंटियों) के जारी किए जाने को सुलभ बनाने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा अनुमोदित तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन एसजीटीएल द्वारा उपयोग की जाने वाली गैर-निधि ऋण सीमाओं के लिए 150 करोड़ रुपए (रिवाल्विंग) का आबंटन।

ii) अपना व्यवसाय करने के अनुसार अपने ग्राहकों के पक्ष में बैंकरों द्वारा बैंक गारंटी (गारंटियों) के जारी किए जाने को सुलभ बनाने के लिए यूजेवी यथा इरकॉन-एफ्कान्स संयुक्त उद्यम द्वारा उपयोग किए जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक अनुमोदित इरकॉन की गैर-निधि ऋण सीमाओं के लिए 90 करोड़ रुपए (रिवाल्विंग) का आवंटन।

2. ऋण (क) (i) यह ऋण बहु-उद्देशीय परिसरों (एमएफसी)के निर्माण पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है। आंशिक पुनर्भुगतान के पश्चात, आज की तिथि को बकाया ऋण 31.50 करोड़ रुपए है।

3. ऋण (क) (ii): इस ऋण का प्रयोग राजस्थान राज्य में

बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए किया जाना है।

4. ऋण (ख) (i): यह ऋण छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ तक रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है।
5. ऋण (ख) (ii): यह ऋण कर्ज-इक्विटी ढांचे पर लंबित निर्णय और अन्य पहलुओं के आधार पर सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा वित्तीय समापन के पूर्व भूमि क्षतिपूर्ति, परामर्शदात्री शुल्क आदि के भुगतान के लिए प्रदान किया गया है।
6. ऋण (ख) (iii): इस रिपोर्ट के सीसीएफबी (पैरा सी-8 में सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, तथा संबद्ध कंपनियां) शीर्षक के अंतर्गत ब्यौरा प्रकट किया गया है और इसे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं. 34 में भी प्रदर्शित किया गया है।
7. ऋण (ग): यह ऋण बांग्लादेश में दूसरी भैरब रेल पुल परियोजना के संबंध में अपेक्षित कार्यशील पूंजी के लिए प्रदान किया गया है।
8. बांड: निवेशों के विवरण को स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट संख्या 12 में प्रकट किया गया है। 31 जुलाई 2015 को या उससे पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में 150 करोड़ रुपए तक के और निवेश के लिए जुलाई 2014 को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके प्रति कोई निवेश नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने 31 जुलाई 2015 तक अपनी सहायक कंपनियों तथा प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों में निम्नलिखित निवेश तथा ऋण प्रदान किए/प्रतिबद्ध किए हैं:

क्र.सं	कंपनी का नाम	राशि (रुपए करोड़ में)	
		प्रतिबद्ध	वास्तव में निवेश
इक्विटी निवेश :			
क)	सहायक कंपनियां:		
	i) इरकॉन एसजीटीएल	150.00	3.00
ख)	प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनियां		
	i) झारखंड में	1.30	---
	ii) ओडिशा में	1.30	---
	iii) छत्तीसगढ में	1.30	---
ऋण :			
क)	सहायक कंपनियां:		
	i) इरकॉन एसजीटीएल (नोट सं.1 को देखें)	722.11	---

नोट:

1. इस ऋण का अनुमोदन मध्य प्रदेश राज्य में शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन एसजीटीएल को किया गया है।

4. संबंधित पक्ष संव्यवहार:

वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रुप में की गई थी और इसे आर्म लैंथ आधार पर किया गया था। कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसार फार्म एओसी-2 को अनुबंध- में प्रस्तुत किया गया है।

5. विनियामकों/ न्यायालय/अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक आदेश सचल संबंधित स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव।

कंपनी के सचल संबंधित स्थित तथा भविष्य में इसके प्रचालनों को प्रभावित करने संबंधी कोई आदेश विनियामकों या न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

कार्मिक विकास

कम्पनी में वर्षभर कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध विद्यमान हैं। 31 मार्च 2015 को कार्मिकों की कुल संख्या 1472 है जिनमें 88 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर थे तथा इनमें से अधिकतर (यथा 68) को विदेशी परियोजनाओं में लगाया गया था। 1271 नियमित कार्मिकों में से 1114 कार्मिक भारतीय परियोजनाओं पर तैनात थे। महिला कार्मिकों की कुल संख्या 69 है, जिनमें से 41 कार्यपालक थे। कंपनी के 884 कार्मिक तकनीकी तथा व्यावसायिक अर्हता प्राप्त हैं। 31 मार्च 2015 को आपकी कंपनी में कुल 225 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी हैं।

आपकी कंपनी कार्यात्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए बाहरी प्रशिक्षक वर्ग को आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 1240 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन-हाउस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी में कर्मचारी कल्याण की विभिन्न योजनाएं विद्यमान हैं, जैसे कर्मचारियों के मेधावी बच्चों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री तथा डिप्लोमा पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी शैक्षणिक सहायता, समूह ग और घ कर्मचारियों की बेटियों तथा आश्रित बहनों के विवाह में सहयोग, आदि। निगमित कार्यालय में होम्योपैथी उपचार की सुविधा के अतिरिक्त, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन की सुविधा

भी उपलब्ध कराई जाती है। निगमित कार्यालय तथा रायबरेली में परियोजना कार्यालय में जिम सुविधा उपलबध है।

आपकी कंपनी महिला कर्मचारियों के लिए सहयोगपूर्ण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। कंपनी में कार्य स्थल में महिला उत्पीड़न के निवारण के लिए एक शिकायत समिति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन के आचरण, अनुशासनिक तथा अपील नियमों में यौन शोषण को रोकने संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी में यौन शोषण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आपकी कंपनी धीरे-धीरे मानव संसाधनों के प्रबंधन के लिए सक्षमता आधारित फ्रेमवर्क विकसित करने की ओर कदम बढा रही हैं। इस दिशा में पहला कदम संगठन के सभी स्तरों के सभी कर्मचारियों की सक्षमता पूल की पहचान करते हुए संगठन के लिए सक्षमता मैप के निर्माण के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा विजय के लिए तैयार रहें (ग्रोव) परियोजना है। वर्ष के दौरान, ग्रोव (उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा विजय के लिए तैयार रहें) परियोजना के अंतर्गत व्यवहारात्मक तथा नेतृत्व के क्षेत्रों में 151 कार्मिक-दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने संगठन के भीतर भावी नेतृत्वों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर (ई7 से ई9)के लिए नियोजन फ्रेमवर्क नीति तैयार की है। कर्मचारियों की शिकायतों के कुशल निपटान के लिए कंपनी में ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली आरंभ की गई है।

28 अप्रैल, 2015 को 39वां वार्षिक दिवस परम्परागत उत्साह व हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा भारत तथा विदेशी परियोजनाओं तथा चुनिंदा परियोजनाओं में किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई व उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्मिकों के होनहार बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए।

गुणवत्ता प्रबंधन, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी सड्यूस्चलैंड प्रा. लिमिटेड (टी यू वी) द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002-1994 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है । आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2008(तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुन:प्रमापणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुन: प्रमाणन लेखापरीक्षा मई 2014 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को सितंबर 2017 तक अन्य तीन वर्षों के लिए टीयूवी द्वारा पुन:प्रमाणित किया गया है।

वर्ष के दौरान, गुणवत्ता प्रबंधन विभाग ने आईएस 456:2000 में अद्यतन संशोधन के अनुसार ठोस कंक्रीट कार्य पर ज्ञान भागीदारी आरंभ किया है, निर्माण परियोजनाओं के लिए रीइन्फोर्समेंट कार्य में सुधार के लिए रीबार कार्य संबंधी सूचना बाजार आदि में टीएमटी बार संबंधी है।

आपकी कंपनी ने **पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)** स्थापित की है और इसे अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001 : 2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। अद्यतन पुन:प्रमाणन लेखापरीक्षा जून 2014 में की गई थी, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा अक्तूबर 2017 तक कंपनी को पुन:प्रमाणित किया गया है।

कंपनी ने अपने संबंधित परियोजनाओं में ईएमएस को मॉनीटर करने के लिए सभी भारतीय परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारियों को नामित किया है। इसके अतिरिक्त, निर्माण गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जम्मू में एक पूर्ण प्रचालनिक पर्यावरण प्रयोगशाला विद्यमान है।

कंपनी ने अपने विभिन्न निर्माण स्थलों और आवासीय परिसरों में जल की बरबादी, वायु तथा ध्वनि गुणवत्ता की जांच आरंभ कर दी है। पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर हीटर/सौर प्रकाश को भी विभिन्न परियोजनाओं में संस्थापित किया गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को **व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली** (ओएचएसएएस-बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र दिसम्बर, 2015 तक वैध रहेगा।

निगमित गुणवत्ता परिषद तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमश: निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि क्यूएमएस, ईएमएस और ओएचएसएएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा जाता है तथा इनकी समीक्षा की गई थी। सभी कार्यालयों तथा परियोजनाओं में प्रति वर्ष आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया जाता है। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर- अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, आदि का भी उल्लेख होता है।

इसके अतिरिक्त, आग से सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, खतरों की पहचान, दुर्घटनागत/घटनागत रिपोर्टिंग प्रणाली आदि विषयों पर इन-हाउस प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने लगभग 15.60 करोड़ रुपए की कुल लागत पर रेल डिब्बा कारखाना, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) में सिविल कार्यों सहित सभी विद्युतीय और संबंधित उपकरणों सहित 2 मे.वा. क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र संयोजित ग्रिड के अभिकल्प, संस्थापन, परीक्षण और प्रचालन आरंभ का कार्य पूरा किया है। पूर्ण रुप से प्रचालनिक होने पर, यह सौर ऊर्जा संयंत्र फैक्टरी की एक चौथाई ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगा।

आपकी कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपायों के रुप में निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट फिटिंग के संस्थापन का कार्य भी पूरा किया है।

निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के माध्यम से **प्रौद्योगिकी आमेलन** किया गया है:

1. जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल परियोजना में बनिहाल-बारामुला खंड पर रेल विद्युतीकरण कार्य के लिए सिरोपरि उपकरण (ओएचई) अभिकल्प आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)।
2. डीएमआरसी की सीई-6 परियोजना में आपकी कंपनी ने पहली बार निम्नलिखित का प्रयोग किया है:

(क) भारतीय वेंडरों से वीसीवी विनिर्माण प्रक्रिया सहित 66 केवी केबल

(ख) 3000 एम्पियर की वर्तमान रेटिंग सहित 25 केवी सीबी।

सिवोक-रंगपो परियोजना में सुरंगों के निर्माण के लिए नई ऑस्ट्रिया टनलिंग विधि (एनएटीएम) को अपनाए जाने का प्रस्ताव है। यह विधि जटिल विविध भौगोलिक परिस्थितियों में अत्यंत लाभदायक है जहां भौगोलिक परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तनों के कारण पत्थरों के समुच्य (रॉक मास) का पूर्वानुमान कठिन होता है।

अनुसंधान एंव विकास (आर एंड डी)

आपकी कंपनी कोई विशुद्ध अनुसंधान परियोजना पर कार्य नहीं करती है किन्तु अपेक्षित गुणवत्ता के साथ लागत कुशलता के रुप में विभिन्न परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं और फर्मों का सहयोग प्राप्त करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल परियोजना के बनिहाल-बारामुला खंड के रेल विद्युतीकरण कार्य के लिए जीआईसी ओएचई अभिकल्प के कार्य हेतु साफ्टवेयर का प्रयोग करके लेआउट योजना (एलओपी) विकसित की है।

प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन तथा आमेलन

आपकी कम्पनी ने प्रौद्योगिकी तथा निर्माण तकनीकों के निरन्तर स्तरोन्नयन के लिए एक इंजीनियरिंग नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा कक्ष` स्थापित किया है, और यह उपयुक्त अभिकल्पन तथा बहुमूल्य इंजीनियरिंग के पहलुओं पर निगरानी रखता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए अभिकल्प तथा आरेखों की समीक्षा भी करता है, तथा संरेखण अभिकल्प, भू-तकनीकी आदि क्षेत्रों में तकनीकी बैक-अप के साथ नई परियोजनाओं के विपणन प्रयासों व अवधारणीकरण में सहयोग देने के लिए अभिकल्प डाटा के मानकीकरण के साथ इंजीनियरिंग उपाय उपलब्ध कराता है। आपकी कंपनी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ईआरपी का विकास

एसएपी ईसीसी 6.0 आधारित वित्तीय-नियंत्रण एवं एचसीएम माड्यूल को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है और इसे सभी परियोजना कार्यालयों और निगमित कार्यालय में लागू किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कहीं से भी वित्त और मानव संसाधन डोमेन सबंधी अद्यतन और वर्तमान आंकड़ों पर पहुंच प्राप्त की जा सकती है।

कागज के प्रयोग का कम करने और पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए सभी क्रियाशील डोमेनों में आईटी के प्रयोग में संवर्धन किया गया है। कार्यालय आदेशों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए कंपनियों के इंट्रानेट और इंटरनेट साइटों में सुधार किया गया है।

सर्तकता गतिविधियां

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मुद्दों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई है।

यह विभाग निविदाओं और संविदाओं, कार्यों के निष्पादन, तथा अन्य क्रियाओं की निवारक जांचों के साथ-साथ शिकायतों की जांचों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न परियोजनाओं/इकाइयों में 08 निरीक्षण किए हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय (सीटीईओ) द्वारा इरकॉन की तीन प्रमुख परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया गया है। विभिन्न प्राधिकारियों (सीवीसी, रेलवे बोर्ड, सतर्कता) द्वारा अधिकारियों, प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच तार्किक निष्कर्ष के आधार पर की थी। निष्कर्षों के आधार पर निविदा एवं संविदा, वित्त आदि से संबंधित कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में और परियोजना प्रबंधन में भी प्रणाली सुधारों पर परिपत्र जारी किए गए थे ताकि अनिय मितताओं/प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और खामियों को दूर किया जा सके। सीटीईओ द्वारा उठाए गए पैरों के समापन के लिए भी कदम उठाए गए थे। कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की संवीक्षा, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण, चर्चा, प्रतिस्पर्धाओं आदि के माध्यम से कार्य निष्पादन में नियमों/प्रक्रियाओं/सामान्य अनियमितताओं पर जागरूकता का सृजन करना आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी के उत्तोलन हेतु आपकी कंपनी ने अनेक कदम उठाए हैं जैसे अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति रिटर्नों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना; कंपनी के इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुशासनिक तथा सतर्कता क्लियरेंस; इरकॉन की वेबसाइट के सतर्कता अनुभाग /पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत; बेहतर पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए वृहत रुप से कंपनी में ई-प्रापण की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

सतर्कता विभाग अनैतिक पद्धतियों के निवारण के लिए कदम उठाकर संगठन की कार्यप्रणाली में भेदभावरहित, न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी वातावरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।

पिछले मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल 5 जून 2015 को पूरा हो गया है तथा नए मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति लंबित होने के कारण कंपनी के कार्यपालक निदेशक (परियोजना) द्वारा इनके कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है।

सत्यनिष्ठा संधि

मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी संगठनों में प्रमुख प्रापणों के संबंध में सत्यनिष्ठा संधि को अपनाए जाने की सिफारिश की है। आपकी कंपनी ने सत्यनिष्ठा संधि को स्वीकार करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए 22 अप्रैल 2014 को ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपए या अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों और आपूर्तियों के लिए निविदाओं/ संविदा के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। आपकी कंपनी ने सीवीओ के परामर्श के साथ गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है।

पुरस्कार

वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

1. सृजनात्मक मानव संसाधन पद्धतियों वाला संगठन के लिए एशिया पेसेफिक एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार, 2014 यह पुरस्कार 11 सितंबर, 2014 को बंगलूरु में आयोजित एक समारोह में श्री एच.डी. डोड्इया, अपर महाप्रबंधक (दक्षिणी क्षेत्र), इरकॉन ने प्राप्त किया।
2. निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) की श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन्फ्रा अवार्ड 2014। यह पुरस्कार 30 अक्तूबर 2014 को मुंम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन ने प्राप्त किया।
3. वर्ष 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रतिक्रियात्मकता की श्रेणी के अंतर्गत स्कोप उत्कृष्टता

निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) में
डी एंड बी इंफ्रा पुरस्कार, 2014

पुरस्कार। यह पुरस्कार दिनांक 5 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणव मुखर्जी की उपस्थिति में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री अनन्त गीते द्वारा मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन को प्रदान किया गया था।

सीएसआर तथा प्रतिक्रियात्मकता के लिए
स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार

4. लागत प्रबंधन - सार्वजनिक सेवा क्षेत्र (बड़े) में उत्कृष्टता के लिए भारत के लागत लेखांकन संस्थान द्वारा संस्थापित लागत लेखांकन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार- 2013. यह पुरस्कार 25 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री जयन्त सिन्हा द्वारा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन को प्रदान किया गया था।

लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार

5. 1000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रबंधित कंपनी की श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सीआईडीसी) से विश्वकर्मा पुरस्कार, 2015. यह पुरस्कार 14 मार्च 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री सतेन्द्र जैन, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा

श्री के.के.गर्ग, निदेशक वित्त, इरकॉन को प्रदान किया गया था।

वित्त वर्ष 2014-15 के समापन के पश्चात कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

6. अवसंरचनात्मक विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर द्वारा संस्थापित इंडिया प्राइड पुरस्कार 2014-15 यह पुरस्कार दिनांक 04 जून 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय वित्त एवं निगमित कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली, भारत सरकार द्वारा मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन को दिया गया था।
7. निविदा और निर्माण क्षेत्र की श्रेणी में डन एंड बैडस्ट्रीट शीर्ष पीएसयू पुरस्कार 2015. यह पुरस्कार दिनांक 23 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरकॉन ने प्राप्त किया।

एकीकृत रिपोर्ट

सीएसआर एवं धारणीय गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट, कार्पोरेट शासन रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न का सार तथा फॉर्म एओसी-2 तथा संगत उप-परिशिष्टों सहित स्टैंडएलोन व समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे समाविष्ट अर्हता पर प्रबंधन का उत्तर इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें क्रमश: इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक क, ख, ग, घ, ड., च, छ और ज** के रूप में रखा गया है।

सीएसआर एवं धारणीय विकास गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ और निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्त वर्ष के दौरान निष्पादित गतिविधियों /परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **[परिशिष्ट-क]**

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी, इसके कानूनी स्तर और स्वायत्ता, उसके व्यावसायिक परिवेश, लक्ष्य एवं उद्देश्यों, दृष्टिकोण, क्षेत्रीय तथा वर्गवार प्रचालनिक निष्पादन, विशेषताओं, अवसरों, सीमाओं, जोखिमों और महत्वपूर्ण पहलुओं, नीतियों, भावी सम्भावनाओं आदि का प्रारूप प्रस्तुत करती हैं: **[परिशिष्ट-ख]**

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, कम्पनी के निगमित शासन के दर्शन और प्रमुख मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए निदेशक मंडल तथा उसकी समिति की संरचना, उनका ब्यौरा, जिसमें वर्ष 2014-15 तथा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल शामिल है और इसके अतिरिक्त, निदेशकों आदि की उपस्थिति तथा वेतन, अन्य संगत प्रकटन, सीएमडी/डीएफ प्रमाणन, शेयर धारकों के लिए सामान्य सूचना उपलब्ध कराती है **[परिशिष्ट-ग]** । इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

1) वर्ष 2014-15 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार सहिंता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **[अनुलग्नक 'ग'-1]**;
2) वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा विश्वसनियता, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त से प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक 'ग'-2]**; और
3) सनदी कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाण पत्र **[अनुलग्नक 'ग'-3]**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी ने कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा का कार्य करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिट्स को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षक से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट-घ** पर पर प्रस्तुत है।

सचिवीय लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षक जिसने निगमित शासन अनुपालन प्रमाणपत्र दिया है, ने अवलोकन किया था

अवसंरचना विकास मे उत्कृष्टता के लिए इंडिया प्राइड पुरस्कार

कि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। आपके निदेशकों ने उल्लेख किया है कि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा की जाती है। तदनुसार, रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे इरकॉन के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करे।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) (क) के अनुसरण में, **"वार्षिक रिटर्न का सार" परिशिष्ट - ङ.** पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार यथापेक्षित **"फार्म एओसी-2"** में संबंधित पक्ष संव्यवहारों का प्रकटन **परिशिष्ट-च** पर उपलब्ध है।

स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समाविष्ट अर्हताओं पर प्रबंधन का उत्तर परिशिष्ट छ तथा ज पर प्रस्तुत है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:-

i) वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2014-15 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii) परिसंपतियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां कहीं लागू हो) के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख-रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv) वित्तीय लेखे-सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है ।

v) सभी प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई थी और कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रचालनिक रुप से कुशल थीं।

निदेशक मंडल

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 के दौरान निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित हुईं थीं जिनमें से जून, 2014, दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही में एक-एक बैठक तथा सितंबर 2014 तथा मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही में दो-दो बैठकों का आयोजन किया गया था। "बोर्ड प्रक्रिया" शीर्षक के अंतर्गत कारपोरेट शासन रिपोर्ट में बैठकों का विवरण प्रस्तुत किया गया है

1. आज की तारीख को निम्नलिखित निदेशकों ने पद ग्रहण किए हुए हैं:

क.	श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक [डीआईएन 00191363]	01/02/2009 से प्रभावी
ख.	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त [डीआईएन 01495050]	03/11/2009 से प्रभावी
ग.	श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना [डीआईएन 03056457]	16/04/2010 से प्रभावी
घ.	श्री हितेश खन्ना, निदेशक, कार्य [डीआईएन 02789681]	07/03/2011 से प्रभावी
ङ.	श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक निदेशक (सरकारी) [डीआईएन 06682287]	15/07/2013 से प्रभावी
च.	श्री एच.के. काला अंशकालिक निदेशक (सरकारी) [डीआईएन 07200108]	02/06/2015 से प्रभावी

2. 2014-15 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने अपने पद को छोड़ा है :

1.	प्रो.(डा.) एस.एस.चटर्जी,* स्वतंत्र निदेशक अंशकालिक (गैर-सरकारी) [डीआईएन 03546195]	दिनांक 15.09.2014 को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर पद को छोड़ा।
2.	श्री बी.एम.शर्मा* स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक) गैर-सरकारी [डीआईएन 00779026]	18.09.2014 को 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर पद को छोड़ा।
3.	श्री ए.के.रावल अंशकालिक निदेशक (सरकारी) [डीआईएन 06806261]	31 मार्च 2015 को अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड के पद से अधिवर्षिता के कारण निदेशक का पद छोड़ा

* 2014-15 के दौरान आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(6) की शर्तों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

लेखापरीक्षक

क. सांविधिक और शाखा लेखापरीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक :

विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स तथा टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी	कम्पनी के लिए समग्र रुप से

भारत में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

जिंदल एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं
प्रवेश जैन एंड कंपनी, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)	जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत सभी परियोजनाएं (श्रीनगर क्षेत्र के रूप में नामित)
जे.एल.सेनगुप्ता एंड कंपनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	पूर्वी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं
एसवीआर एंड एसोसिएट्स, बंगलुरु (कर्नाटक)	दक्षिणी क्षेत्र की सभी परियोजनाएं तथा पश्चिमी क्षेत्र की एक परियोजना

विदेश में परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक

विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स तथा टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी	मलेशिया में सभी परियोजनाएं
कैबिनेट डी.ऑडिट ऐट सीएसी, अल्जीरिया	अल्जीरिया
गजमा एंड कंपनी, श्रीलंका	श्रीलंका
एमएबीएस एंड जे पार्टनर्स, बांग्लादेश	बांग्लादेश

ख. लागत लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने खंड सड़क और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओ के तहत कंपनी के लागत रिकॉर्डों के अनुरक्षण तथा उन पर अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी लागत लेखाकार के रूप में मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार को लेखापरीक्षक के रुप में नियुक्त किया है।

ग. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षक के लिए मैसर्स विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल ने वर्ष 2014-15 के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है:

भारतीय परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

बंसल सिन्हा एंड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र
एन सी मित्तल एंड कंपनी	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र
रे एंड कंपनी	पूर्वी क्षेत्र
एसबीए एसोसिएट्स	दक्षिणी क्षेत्र
आर सी जैन एंड कंपनी	पश्चिमी क्षेत्र
एन सी मित्तल एंड कंपनी	निगमित कार्यालय

विदेशी परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षक:

करबल अथमम, अल्जर	अल्जीरिया
जयसिंघे एंड कंपनी	श्रीलंका
आहसन ज़मीर एंड कंपनी	बांग्लादेश

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए आपकी कंपनी की मलेशिया परियोजनाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए इरकॉन के दो अधिकारियों को नामित किया गया था।

आभारोक्ति

हम रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, विभिन्न बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक, निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम, राजदूतावासों, आप्रवासन प्राधिकारियों, पासपोर्ट प्राधिकारी, दूरदर्शन तथा भारत और विदेश दोनों में हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति कम्पनी में रूचि बनाए रखने और समर्थन के लिए सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं ।

हम कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा लाभप्रदत्ता में सुधार करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के अथक प्रयासों, समर्पण तथा कृतज्ञता के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

नई दिल्ली
दिनांक : 6 नवंबर, 2015

परिशिष्ट-क

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रुपरेखा:

आपकी कंपनी मितव्ययी, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रुप से धारणीय पद्धति द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के लिए अपने स्टेकधारों के प्रति प्रतिबद्ध है और यह पद्धति पारदर्शी तथा नैतिकतापूर्ण है।

कंपनी के पास वर्ष 2011 से सीएसआर तथा धारणीयता की नीति विद्यमान है। इस नीति को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं और संबंधित विषय पर डीपीई के दिशानिर्देश, 2014 की तर्ज पर निदेशक मंडल की स्वीकृति से अप्रैल, 2014 तथा जनवरी, 2015 को संशोधित किया गया है।

सीएसआर तथा धारणीयता नीति का उद्देश्य केवल परिणामों और निष्कर्षों के बजाय सामाजिक, मितव्ययी तथा पर्यावरण सहिष्णु गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना है।

यह नीति निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने वाले लोगों, पर्यावरण और अन्य स्टेकधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने के अवसर प्रदान कराने के लिए सामान्यत परियोजना **स्थलों के आसपास** सीएसआर परियोजनाओं के चयन के लिए प्रावधान उपलब्ध कराती है। इस कंपनी के व्यावसायिक प्रचालनों से प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होने वाले स्टेकधारकों को अन्य लोगों से पहले अपना अधिकारपूर्ण दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। इससे न केवल सीएसआर परियोजनाओं के निषादन के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाना सुगम हो जाता है बल्कि इससे नियोजित गतिविधियों के क्रियान्वयन की नियमित प्रगति को निष्पादित करने का लाभ भी प्राप्त होता है।

सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्षमता निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास सहित समुदायों का सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षा, हरित तथा ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी का संवर्धन, पिछडे क्षेत्रों का विकास तथा सीमांत तथा सुविधाहीन वर्ग का उत्थान।

इस नीति में सीएसआर गतिविधियों के नियोजन और चयन के आरंभिक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन तथा ग्राम सभाओं की भागीदारी द्वारा **स्टेकधारकों की सेवाएं** प्राप्त करने का भी प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पर्यावरण (सौर ऊर्जा), स्वच्छता और साफ-सफाई, कला और संस्कृति तथा समाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी गतिविधियों को निष्पादित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने जम्मू और कश्मीर राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के कष्टों को कम करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित राहत कोष में भी अंशदान किया है। स्वच्छता के संवर्धन द्वारा स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी ने स्वच्छ भारत कोष में 1.87 करोड़ रुपए का अंशदान किया है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ गतिविधियों सहित कंपनी की सीएसआर तथा धारणीयता नीति वेब लिंक http://www.ircon.org/content.aspx?Title=178 पर उपलब्ध है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

वर्तमान में आपकी कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों/ परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बोर्ड स्तरीय समिति; नोडल अधिकारी और उसका दल; तथा परियोजना स्तर पर सीएसआर कार्यान्वयन समिति वाली तीन स्तरीय संरचना विद्यमान है।

(क) **सीएसआर तथा धारणीयता समिति** का गठन कंपनी अधिनियम 2013 तथा डीपीई सीएसआर तथा धारणीयता दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार किया गया है।

समिति की संरचना, इसके संकल्प तथा वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बैठकों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.4 में प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में, समिति की अध्यक्षता श्री एच.के.काला, अंशकालिक (सरकारी) निदेशक, अपर सदस्य (नियोजन), रेलवे बोर्ड द्वारा की जा रही है और श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त, श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना, तथा श्री हितेष खन्ना निदेशक कार्य इस समिति के सदस्य हैं।

(ख) श्री ए.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (परियोजना), **नोडल अधिकारी व उनके दल** द्वारा इस समिति को सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

नोडल अधिकारी और उनका दल सीएसआर तथा धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन और अनुमोदन हेतु सीएसआर तथा धारणीयता पहलों के लिए समन्वय; तथा सीएसआर तथा धारणीयता समिति की गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत कराने में सहयोग प्रदान करता है।

(ग) कंपनी की प्रत्येक परियोजना में, **परियोजना स्तरीय सीएसआर क्रियान्वयन समिति का** गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष परियोजना प्रमुख होते हैं और परियोजना से दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें सहयोग करते हैं। यह

समिति नोडल अधिकारी को सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं के निष्पादन; अनुमोदित गतिविधियों/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था; के प्रस्ताव और मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 246.57 करोड़ रुपए है।**

4. **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर बजट 4.93 करोड़ रुपए है,** जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

5. **वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 6.72 करोड़ रुपए व्यय किए हैं, जिसमें पिछले वर्षों के सीएसआर बजट से कैरीफावर्ड 1.71 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस प्रकार, वर्ष 2014-15 के लिए खर्च न की गई राशि "शून्य" है।**

नॉर्थ 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में जल उपचार संयंत्र

वर्ष के दौरान शुरु की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार		2014-15 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2014-15 के दौरान कुल व्यय	2014-15 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र* या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2014-15 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
1	एरसनिक को हटाने के लिए पेयजल उपचार सुविधा	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र (2) पश्चिम बंगाल, बेरहामपुर	40.00	35.00	21.33	-	21.33	26.33	मैसर्स साथी, प.बंगाल की एनजीओ के माध्यम से
2	बनिहाल डिविजन में पोर्टा केबिनों (10 फिट X 12 फिट),चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति तथा स्वच्छ शौचालयों के निर्माण द्वारा स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना में सुधार।	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	25.40	16.87	17.76	-	17.76	26.22	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से
3	बनिहाल, लालगंज तथा शिवोक में मौजूदा तीन स्वास्थ्य इकाइयों की संचलन तथा अनुरक्षण लागत $	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र (2) जम्मू और कश्मीर, रायबरेली; उ.प्र, रायबरेली; और पश्चिम बंगाल, सिवोक	30.00	30.00	23.54	-	23.54	23.54	सीधे

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार		2014-15 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2014-15 के दौरान कुल व्यय	2014-15 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2014-15 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
4	कोहली और सूंबर गांवों में पेय जल आपूर्ति का संवर्धन	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र (2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	13.50	13.50	12.79	-	12.79	12.79	सीधे
5	स्कूल के बच्चों के लिए नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच $	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	5.00	1.65	0.83	-	0.83	0.83	मैसर्स महावीर इंटरनेशनल (एनजीओ) के माध्यम से
6	पीरपोरा, तीथर-बनिहाल में पेय जल आपूर्ति	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबान।	9.00	9.00	8.94	-	8.94	8.94	सीधे
7	जिला रामबन में राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए एक एम्बुलेंस का प्रावधान	**स्वास्थ्य [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	10.00	10.00	9.46	-	9.46	9.46	सीधे
8	स्वच्छ भारत कोष में अंशदान	**स्वच्छता [अनुसूची VII का क्र. सं (i)**	स्वच्छ भारत कोश, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय)	187.00	187.00	187.00	-	187.00	187.00	सीधे
9	रायबरेली नगरपालिका के अंतर्गत कन्या इंटर कॉलेज के लिए अवसंरचनात्मक कार्यों का प्रावधान	**शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) उ.प्र, रायबरेली	97.50	22.50	22.50	-	22.50	97.50	रायबरेली नगरपालिका के माध्यम से
10	ग्राम बौरी (ग्वालियर) में स्कूल का स्तरोन्नयन और अन्य सुविधाएं $	**शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) म.प्र, ग्वालियर	20.00	15.00	13.77	-	13.77	18.77	म.प्र लघु उद्योग निगम लि. के माध्यम से
11	इनर्वा-कमला गांव में स्कूल भवन का स्तरोन्नयन*	**शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नेपाल, इनावरा	12.50	10.19	8.64	-	8.64	10.95	सीधे
12	बनिहाल डिविजन में (18 स्कूलों में) पोर्टा केबिनों सहित शौचालय ब्लॉक, एसडीपीई सेप्टिक टैंक, जल भंडारण टैंक	**शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	57.20	27.13	21.18	-	21.18	51.25	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से
13	गौधुली स्कूलों में गली के बच्चों के लिए शिक्षा और कल्याण के लिए अंशदान	**शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	2.36	2.36	2.36	-	2.36	2.36	एनजीओ मैसर्स गौधुली के माध्यम से

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार		2014-15 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2014-15 के दौरान कुल व्यय	2014-15 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र* या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2014-15 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
14	सूंबर में सरकारी स्कूल के लिए विकास कार्य $	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	10.00	10.00	5.13	-	5.13	5.13	सीधे
15	अतिरिक्त कार्य संत रविदास उच्चतर माध्यमिक स्कूल, भदवासिया, जोधपुर	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) राजस्थान, जोधपुर	4.80	4.80	8.92	-	8.92	8.92	सीधे
16	जनता आदर्श अंध विद्यालय, सादिक नगर के स्कूल भवन का स्तरोन्नयन	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	3.00	3.00	3.35	-	3.35	3.35	सीधे
17	अहिर में सरकारी प्राथमिक स्कूल के लिए सीलिंग फैन का प्रावधान	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) उ.प्र, रायबरेली	1.00	1.00	0.94	-	0.94	0.94	सीधे
18	एचएसएस, उखेरल में विद्यार्थी हॉस्टल के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराना।	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	10.00	10.00	6.73	-	6.73	6.73	सीधे
19	फैंसिंग, मार्ग तथा पेय जल सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्कूल अवसंरचना का विकास $	शिक्षा [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र * 2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	7.00	7.00	1.92	-	1.92	1.92	सीधे
20	व्यावसायिक सह कौशल विकास प्रशिक्षण $	कौशल विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) राजस्थान धौलपुर	20.00	14.94	2.00	-	2.00	7.06	आईटीआई धौलपुर के माध्यम से
21	टेलरिंग और एम्ब्राइडरी के लिए बनकुट (बनिहाल) में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र $	कौशल विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (ii)	(1) स्थानीय क्षेत्र * 2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	5.00	2.57	1.51	-	1.51	3.94	सीधे
22	सीएफएल लाइटों के स्थान पर एलईडी के प्रयोग द्वारा ऊर्जा संरक्षण	पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)	(1) स्थानीय क्षेत्र * (2) नई दिल्ली	80.00	40.00	42.61	-	42.61	42.61	सीधे

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार		2014-15 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2014-15 के दौरान कुल व्यय	2014-15 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र* या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2014-15 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
23	सौर पैनलों के संस्थापन द्वारा अक्षय ऊर्जा का प्रयोग $	**पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	110.00	18.61	22.05	-	22.05	113.44	सीधे
24	लालगंज के समीप मोक्षदाह हरित संस्कार प्रणाली (मोक्षदाह पीईवीएसएस) का प्रावधान $	**पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)**	(1) स्थानीय क्षेत्र * (2) उ.प्र, रायबरेली	79.00	47.39	39.52	-	39.52	71.13	मैसर्स मोक्षदाह पीईवीएसएस (पर्यावरण एव वन सुरक्षा समिति) के माध्यम से
25	रेलवे स्टेशनों के आसपास रेलपथों की मशीनयुक्त सफाई	**पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	65.00	5.00	4.87	-	4.87	64.87	उत्तर रेलवे के माध्यम से
26	जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में सौर प्रकाश का प्रावधान #	**पर्यावरण [अनुसूची VII का क्र. सं (iv)**	1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर, रामबाना; बिहार, पटना; उ.प्र, रायबरेली	10.00	-	4.47	-	4.47	4.47	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से
27	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में रेल संग्रहालय का स्तरोन्नयन (अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त रुप से)	**कला और संस्कृति [अनुसूची VII का क्र. सं (v)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) नई दिल्ली	51.68	51.68	51.68	-	51.68	51.68	राइट्स के माध्यम से
28	प्रधान मंत्री/मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान	**राहत कोश [अनुसूची VII का क्र. सं (viii)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर,	50.00	50.00	50.00	-	50.00	50.00	सीधे
29	सार्वजनिक कब्रिस्तान, बनिहाल के लिए संरक्षण कार्य	**ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबन	10.00	10.00	10.10	-	10.10	10.10	सीधे
30	बनिहाल स्टेशन यार्ड की पश्चिमी छोर की चारदीवारी तक कसकूट गांव (पूर्वी साइड) कंक्रीट पैदलपथ का निर्माण $	**ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	4.50	4.50	2.67	-	2.67	2.67	सीधे
31	लालगंज में पुनर्निमित बस शैड का निर्माण	**ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)**	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) उ.प्र, रायबरेली	10.00	10.00	9.79	-	9.79	9.79	सीधे

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम	योजना परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार		2014-15 के दौरान परियोजनाओं या कार्यक्रमों में खर्च की गई राशि		2014-15 के दौरान कुल व्यय	2014-15 के लिए संचयी व्यय	खर्च की गई राशि (सीधे या एजेंसी के माध्यम से)
			(1) स्थानीय क्षेत्र* या कोई अन्य क्षेत्र (2) राज्य एवं जिला तहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरु किए गए थे	कुल	2014-15 के दौरान	(1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व्यय	(2) शिरोपरि			
32	दुल्हापुर गांव में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान $	ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)	(1) अन्य (2) उत्तर प्रदेश, गाजीपुर	25.00	5.00	6.09	-	6.09	6.09	सीधे
33	किला बाजार में जिला पंचायत के अंतर्गत सामुदायिक हॉल	ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) उत्तर प्रदेश, राय बरेली	92.50	17.50	17.50	-	17.50	92.50	राय बरेली की जिला पंचायत के माध्यम से
34	सूंबर तथा दुड्डा-उर्निहल के पर्वतीय गांवों का मार्ग स्तरोन्नयन	ग्रामीण विकास [अनुसूची VII का क्र. सं (x)	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबान	30.00	15.00	27.40	-	27.40	27.40	सीधे
35	बनिहाल (जम्मू और कश्मीर) में आपदा प्रबंधन	राहत उपाय [अनुसूची VII का क्र. सं viii)	(1) स्थानीय क्षेत्र* (2) जम्मू और कश्मीर, बनिहाल	0.20	0.20	0.13	-	0.13	0.13	सीधे
36	वर्ष 2013-14 के दौरान निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन	स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, पर्यावरण	(1) स्थानीय क्षेत्र* 2) जम्मू और कश्मीर, रामबन, जम्मू; उत्तर प्रदेश, रायबरेली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजस्थान, धौलपुर, जोधपुर, बीकानेर, हिंडन, दिल्ली	2.70	2.70	-	2.83	2.83	2.83	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से
	कल			**1190.84**	**711.09**	**669.48**	**2.83**	**672.31**	**1063.64**	

(*) सीएसआर गतिविधियां वर्ष 2013-14 अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 के लागू किए जाने के पहले से जारी हैं

(#) जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में सौर प्रकाशों के प्रावधान के लिए पिछले वर्षों के दौरान निष्पादित सीएसआर गतिविधियों के लिए अंतिम भुगतान ।

($) 2015-16 में भी जारी सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं।

6. निदेशक मंडल ने 28.07.2015 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 6.03 करोड़ रुपए के अनन्तिम सीएसआर बजट को अनुमोदन प्रदान किया था, जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से औसत शुद्ध लाभ का 2% है।
7. सीएसआर तथा धारणीयता समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर तथा धारणीयता नीति का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति के अनुरुप है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(दीपक सबलोक)
निदेशक परियोजना एवं सदस्य,
सीएसआर एवं धारणीयता समिति
(डीआईएन 03056457)

(एच.के. काला)
अंशकालिक (सरकारी) निदेशक एव
अध्यक्ष, सीएसआर एवं धारणीयता समिति
(डीआईएन 07200108)

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 नवंबर, 2015

संलग्नक "ख"

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विहंगावलोकन

कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अग्रणीय के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा है। रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात् सन् 1985 से इसने उत्तरोतर सड़कों, भवनों, विद्युत सब-स्टेशन एवं वितरण कार्य, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों के अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य को निष्पादित किया है। कंपनी ऐसी कुछ एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों में से है जो देश के लिए विदेशी विनिमय अर्जित कर रही हैं तथा सरकार को निरंतर प्रत्येक वर्ष बिना चुके लाभांश का भुगतान कर रही है।

आपकी कंपनी ने पिछले 39 वर्षों से देश और विदेश दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। भारत में इरकॉन विशेष रूप से जोखिम भरे भू-भागों और संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में भी कार्य निष्पादित करने के लिए विख्यात है। कंपनी ने अब तक विश्व के 22 से अधिक देशों में अपनी परियोजनाएं पूरी की हैं और भारत में 373 परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी है तथा अनूसूची-क की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी तथा मिनी रत्न श्रेणी -I की कम्पनी है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

कंपनी, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरुपता लाने के लिए सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

व्यवसाय वातावरण

वर्ष 2004-05 के पूर्ववर्ती आधार के स्थान पर वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष के साथ केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय लेखांकन की नई श्रृंखला के अनुसार वर्ष 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.3 प्रतिशत रही। सेवा तथा विनिर्माण दोनों क्षेत्रों के उन्नत कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरुप ही अर्थव्यवस्था के विकास में निरंतर सुधार हुआ है। देश में उन्नत व्यापार परिदृश्य के साथ-साथ मैक्रो-आर्थिक स्थिरता से प्रोत्साहित होकर, इंटरनेशनल मोनीटरी फंड तथा विश्व बैंक ने वर्ष 2015 और आगे के लिए भारत हेतु सकारात्मक विकास परिदृश्य प्रस्तुत किया है।

सरकार ने विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए है। इसमें से प्रमुख जो आपकी कम्पनी को **व्यवसाय के अवसर** प्रदान करते है, **निम्नानुसार हैं:**

1. रेलवे :

वर्तमान मे भारतीय रेल के लिए प्रमुख ध्यानार्थ क्षेत्र हैं, क्षमता का सृजन, नेटवर्क और चल स्टॉक का आधुनिकीकरण, समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी), उच्च गति रेल, अंतिम मील तक संपर्कता, पोत संपर्कता आदि। तदनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में अगले पांच वर्षों यथा 2015-19 के दौरान लगभग 8,56,020 करोड रुपए के निवेश की योजना है:

- दोहरीकरण और डीएफसी के रुप में नेटवर्क की व्यस्तता को समाप्त करना;
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय परियोजनाओं को आरंभ करना ;
- रेलपथ नवीकरण, पुल निर्माण कार्य;
- सडक उपरि पुलों, रेल अंडर-ब्रिजों का निर्माण;
- इंजनों, डिब्बों, वैगनों आदि के रुप में चल स्टॉक का उत्पादन और अनुरक्षण ;
- यात्री सुविधाओं में संवर्धन तथा स्टेशन पुनर्विकास;
- उच्च गति रेल तथा एलिवेटिड गलियारे।

इसके अतिरिक्त, तीव्र गति से झारखंड, ओडीशा तथा छत्तीसगढ राज्यों में कोयला संचलन के लिए रेल संपर्कता परियोजनाओं आरंभ करने के लिए रेलवे ने 96182 करोड रुपए की कुल लागत पर 9400 किमी विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण, तीहरीकरण चौगुना करने हेतु 77 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया

है।

रेल मंत्रालय ने मुंबई-अहमदाबाद गलियारे पर उच्च गति बुलेट रेलगाडियों को चलाने की पहल भी की है और देश में प्रमुख मैट्रो शहरों और विकास केन्द्रों को जोड़ने वाले डायमंड क्वाड्रिलेट्रल पर उच्च गति गलियारे के लिए भी पहल की है।

2. सड़कें:

सरकार ने लगभग 7,300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विशेष परियोजना के रुप में लैफ्ट विंग एक्ट्रीमिस्ट (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 1126 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों और 4351 किमी राज्य सड़कों के लिए योजना स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्रों में राजमार्गों के विकास में तीव्रता प्रस्तुत की है।

सरकार ने बीओटी परियोजनाओं में प्रीमियम भुगतान के पुन:अनुसूचन द्वारा बीओटी-पीपीपी परियोजनाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं (जैसे विकासकर्ताओं के पास अंशदान के लिए कम इक्विटी तथा ऋणदाताओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की अनिच्छा) का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए हैं। पुन:अनुसूचन उन रियायतग्राहियों को उपलब्ध होगा जो राजस्व में कमी का अनुभव कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोकड़ प्रवाह संबंधी समस्याओं के कारण परियोजना निष्पादन को हानि न हो। इन उपायों से बीओटी आधार पर प्रदान की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं को बल मिलेगा।

3. विद्युतीय परियोजनाएं:

रेल विद्युतीकरण कार्यों के अतिरिक्त, रेल साइडिंग/कारखानों, सुरंग संवातन, औद्योगिक विद्युतीकरण, संवितरण कार्य, उर्जा क्षेत्र सेवाओं के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, उपस्टेशन/ट्रांसमिशन/उच्च वोल्टता केबल बिछाने के कार्य निकट भविष्य में संभावित हैं।

सरकार ने शहरी क्षेत्रों में और छतों के उपर संवितरण/फीडरो/ट्रांस्फर्मरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए शहरी क्षेत्रों मे उप-ट्रांसमिशन तथा संवितरण नेटवर्क को सुदृढ बनाने के लिए 32612 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एकीकृत उर्जा विकास योजना को आरंभ किया है। आईपीडीएस योजना में वर्तमान में निरंतर पुनर्संरचित गतिशील उर्जा विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) शामिल हैं।

4. शहरी अवसंरचना योजनाएं:

जन सेवाओं में सुधार करने के लिए विवेकपूर्ण, भौतिक, सामाजिक, संस्थागत तथा आर्थिक अवसंरचना वाले स्मार्ट शहरों के रुप में शहरी अवसंरचना।

5. सिग्नलिंग और दूरसंचार परियोजनाएं:

सिग्नलिंग और दूरसंचार परियोजनाओं को कम्पोजिट टर्नकी रेल परियोजनाओं में शामिल किया गया है।

विदेशों में उपलब्ध अवसर ओमान, इथियोपिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया तथा म्यामार में है।

वर्तमान परियोजना प्रोफाइल:

आपकी कम्पनी जम्मू और कश्मीर में, शिवोक-रंगपो, जयनगर (भारत) से बीजलपुरा (नेपाल), जोगबनी से बिराटनगर, आदि में रेल लाइन के निर्माण; रायबरेली में नये रेल डिब्बा कारखाने; इलैक्ट्रिक इंजन शैडों; बिहार व राजस्थान मे सड़क उपरि पुलों; झारखंड में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्य में आरएपीडीआरपी के अंतर्गत विद्युतीय कार्यों के लिए परियोजना का निष्पादन कर रही है।

इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी छत्तीसगढ राज्य में कोयले के संचलन के लिए रेल संपर्कता परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दो विशेष कार्य प्रयोजन (एसपीवी) कम्पनियों में स्टेकधारक है। समझौता ज्ञापनों के हस्ताक्षर के उपरांत 31 अगस्त, 2015 को दो और संयुक्त उद्यम कम्पनियों का निर्माण किया गया है अर्थात ओडीशा राज्य में महानदी कोल रेल लिमिटेड तथा झारखंड राज्य में झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड।

कम्पनी ने सड़क परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दो एसपीवी कम्पनियां भी बनाई हैं अर्थात इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (राजस्थान राज्य में बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग - 15 पर किमी 4.200 से किमी 55.250 तक मौजूदा बीकानेर-फलौदी खंड को चार लेन का बनाना और किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेवड शोल्डर सहित दो लेन बनाने के लिए इसका चौड़ीकरण और सुदृढीकरण) तथा इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड [मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी के चरण- चार के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) आधार पर 236.00 किमी से 332.1 किमी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के शिवपुरी-गूना खंड को चार लेन का करना।]

आपकी कंपनी इन देशों मे परियोजनाएं निष्पादित कर रही है - मलेशिया, बांग्लादेश, म्यामार, भूटान तथा अल्जीरिया।

दृष्टिकोण

कम्पनी का विजन, लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

क. विजन

अवसंरचना के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम को शामिल करते हुए इस क्षेत्र की सर्वोत्तम कम्पनियों की तुलना में विशिष्टता प्राप्त निर्माण संगठन के रूप में देश तथा विदेशों में अपनी पहचान बनाना।

ख. लक्ष्य

i) भारत तथा विदेशों में परिवर्तनशील आर्थिक परिदृश्य के अवसंरचनात्मक विकास के निर्माण की आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए कम्पनी को प्रभावपूर्ण रूप से तैयार करना।

ii) सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद व सेवाओं को इंजीनियरिंग तथा बेहतर कार्पोरेट शासन व ग्राहक संतुष्टि की दृष्टि से उपलब्ध कराकर विश्वव्यापी पहचान बनाना।

ग. उद्देश्य

i) कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के आकार व मूल्य को बढ़ाना ताकि वर्ष 2016-17 तक 5500 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया जा सके।

ii) लगाई गई पूँजी से इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2014-15 में कंपनी ने 3122 करोड़ रूपए की कुल आय अर्जित की है, जो वर्ष 2013-14 में प्राप्त 4307 करोड़ रूपए की कुल आय से अधिक है। कुल आय का लगभग 95% यथा 2950 करोड़ रुपए निर्माण कार्यों से प्राप्त हुआ है जिसमें से लगभग 30% विदेशी परियोजनाओं से प्राप्त हुआ है यथा 877.52 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनिक आय में 59% की कमी हुई है। वर्ष के दौरान कम आय का मुख्य कारण है मलेशिया और श्रीलंका की परियोजनाओं का पूरा होना, जिनसे पिछले वर्ष व्यापक आय प्राप्त हुई थी। कर पूर्व लाभ 2013-14 में 1249 करोड़ रुपए से कम होकर 2014-15 में 844.29 करोड़ रुपए हो गया है जो 32.40% की कमी को दर्शाता है और कर पश्चात लाभ में भी 36.08% की कमी हुई है, जो 2013-14 में 907 करोड़ रुपए से घट कर वर्ष 2014-15 में 579 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष के दौरान निवल आय में 12.04% की वृद्धि हुई है। प्रति शेयर आमदनी 2013-14 में 457.92 रुपए से घटकर 2014-15 में 292.68 रुपए हो गई है जो कि 36.08% की कमी को दर्शाता है।

हालांकि कम्पनी के टर्नओवर में गिरावट का रुझान प्रदर्शित होता है किन्तु कम्पनी ने नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है जिससे कम्पनी को लगभग 5039 करोड़ रुपए की आर्डर बुक प्राप्त हुआ है। इसके परिणामस्वरुप, कम्पनी अपने उदेश्यों के अनुरुप इस रुझान को बदलने के लिए आशावान है।

निदेशक मंडल ने 52 रुपए प्रति शेयर (प्रदत्त शेयर पूंजी पर 520%) की दर से लाभांश की घोषणा व भुगतान पर विचार करने की सिफारिश की है। कंपनी ने पहले ही फरवरी, 2015 में 40 रुपए प्रति शेयर (400%) की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। वार्षिक साधारण बैठक की घोषणा के पश्चात देय 102.94 करोड़ रुपए का लाभांश तथा पहले से भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (79.184 करोड़ रुपए), मिलकर वर्ष 2014-15 के लिए 182.12 करोड़ रुपए का कुल लाभांश होगा, जो कि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 920% है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. क्षेत्रीय निष्पादन

रेलवे उच्चतम प्रचालनिक आय में अंशदान करने वाला मूल क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान प्रचालन आय - रेल से 91.12%, हाईवे से 7.72% तथा शेष 1.16% भवनों, विद्युत परियेजनाओं आदि से प्राप्त हुई। क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति नीचे दर्शाई गई है। नीचे दी गई तालिका रेलवे निर्माण कार्य में कमी को दर्शाती है जो वर्ष 2013-14 में 96% से घट कर वर्ष 2014-15 में 91.12% हो गई हैं, जबकि राजमार्ग क्षेत्र से आय के अनुपात में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2013-14 में 3% से बढकर वर्ष 2014-15 में 7.72% हो गई है।

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15	
	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%	प्रचालन आय	%
रेलवे	3906	92	3884	96	2688	91.12
राजमार्ग	225	5	136	3	228	7.72
भवन	42	1	24	0.5	19	0.63
अन्य*	59	2	23	0.5	15	0.53
कुल	**4232**		**4067**		**2950**	

*** विद्युतीय परियोजनाओं से आय सहित (वर्ष 2012-13 के दौरान 52 करोड़ रुपए, 2013-14 के दौरान 21 करोड़ रूपए तथा 2014-15 के दौरान 13.43 करोड़ रूपए)।**

ख. सेगमेंट-वार कार्यनिष्पादन

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान विदेशी परियोजनाओं से कुल आय का अंशदान क्रमश: 45% तथा 50% है जो कि 2014-15 की तुलना मे 28% रहा। पिछले 3 वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है :

(रूपए करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13		2013-14		2014-15	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	1995	45	2146	50	868	28
घरेलू	2476	55	2161	50	2254	72
जोड़	**4471**		**4307**		**3122**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी के पास बड़ी संख्या में अन्तरराष्ट्रीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का व्यापक अनुभव है, विशेष रुप से विकासशील देशों में। इसकी मुख्य शक्तियाँ हैं, विशाल वित्त व्यवस्था जो (निरंतर लाभ प्रदत्ता तथा कम्पनी के स्वस्थ तुलनपत्र से प्रदर्शित होती है) स्थापित विश्वसनीयता, सक्षम श्रमशक्ति। ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर तक गुणवत्तापूर्वक समय पर निष्पादन कंपनी का ट्रैक रिकार्ड रहा है। कम्पनी ने टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन से मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया हैं

जिसका उपयोग भावी ईपीसी तथा डीबीएफओटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

अवसर

भारत तथा विदेशों में, आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए मैक्रो स्तर पर अनेक तथा क्षेत्रीय स्तर पर पहल के साथ अवसंरचना के क्षेत्र के विकास में पिछले कुल वर्षों में पुन:जागृति होने से कम्पनी को अधिक व्यवसाय प्राप्त करने की स्थिति को बेहतर बनाने के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है, विशेष रुप से रेल क्षेत्र में। कंपनी अपनी वित्तीय सुदृढता का प्रयोग करके रेलवे तथा राजमार्गों, दोनों परियोजनाओं में ईपीसी तथा डीबीएफओटी परियोजनाएं के विद्यमान अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो रही है।

बाध्यताएँ

हालांकि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित विधिक ढाँचे के भीतर काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुप में कंपनी को उन अतिरिक्त बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है (निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होती) जिसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी बाजार में उन्हें असुविधा होती है। विदेशी प्रतियोगियों के पास आसान ऋण की उपलब्धता तथा निजी निवेशकों के पास प्रापण तथा प्रचालन का लचीलापन जैसे कुछ अन्य कारक हैं।

पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग में संरचनात्मक परिवर्तनों, जिसके कारण, सभी निर्माण और वित्तीय जोखिम नियोक्ता से ठेकेदारों को हस्तांतरित हो गए हैं, ने कम्पनी के लिए नई चुनौती उत्पन्न कर दी है। अपनी आर्डर बुक में वृद्ध करने तथा बाजार के एक बडे भाग में कब्जा करने के लिए निजी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों ने स्वेच्छा से इन उच्चतर जोखिमों को स्वीकार कर लिया है।

चूंकि इरकॉन रेल अवसंरचना के क्षेत्र में एक प्रमुख कम्पनी है, इसलिए विगत में कम्पनी को रेल व्यवसाय में उचित अंश प्राप्त करने में सफलता मिली है। तथापि, नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा अर्हता अपेक्षाओं को कम करने से बडी संख्या में राजमार्ग ठेकेदार इस क्षेत्र की ओर आ रहे हैं जिससे कि इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।

रणनीति

अपने महत्वपूर्ण सक्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बल देकर कम्पनी कार्य प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए विपणन रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। कम्पनी की मूल सक्षमता यथा रेलवे राजमार्ग, इलैक्ट्रिक उप-स्टेशन, एसएंडटी तथा रेलवे विद्युतीकरण को और अधिक समेकित किया जा रहा है। ईपीसी तथा डीबीएफओटी के क्षेत्रों में भविष्य में अवसरों को देखते हुए, ऐसे अवसरों पर कार्य करने के लिए रेलवे तथा राजमार्ग, अभिकल्प और निष्पादन इंजीनियरों तथा व्यवसाय विकास प्रबंधकों के एकीकृत दल को इस कार्य पर लगाया गया है।

जोखिम और चिन्ता

क. परियोजना जोखिम प्रबंधन

अगस्त, 2007 से एक औपचारिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क उपलब्ध है । कम्पनी में पूर्णकालिक निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति तथा महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक (मंडल स्तर से नीचे) के स्तर का एक त्वरित कार्यदल विद्यमान है जो इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। जोखिमों के प्रबंधन तथा उन्हें कम करने के लिए त्वरित कार्यदल से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम है, जिसकी क्षतिपूर्ति अधिकतर क्लाइंट द्वारा की जाती है।

जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों तथा परियोजनाओं को जोखिम उठाना पड़ता है और यहाँ जोखिम की सम्भावना रहती है तथा कर्मचारियों की जान, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति को खतरा बना रहता है। बहरहाल, कम्पनी राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में गर्व का अनुभव करती है। कम्पनी ने सरकार की मदद से पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बीमा आदि जैसे उपाय किए हैं। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीति और प्रक्रियाएं विद्यमान है। निर्माण उद्योग वस्तुओं के मूल्यों तथा ब्याज की दरों में परिवर्तन के प्रति उच्च परिवर्तनशील है।

गुणवत्ता विभाग ने परियोजनाओं के लिए निर्माण गतिविधियों, संयंत्रों तथा मशीनरी, वाहनों आदि के कारण जोखिम चिन्हित तथा जोखिम विश्लेषण पर दिशानिर्देश जारी किए हैं और चिन्हित खतरों को न्यूनतम करने के लिए प्रचालनिक नियंत्रण प्रकिया सुझाई है।

ख. कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल-II मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008-09 के दौरान क्रेडिट एनलाइसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीक गैर-निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए `सीएआरई एए` रेटिंग तथा अल्पकालिक गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ए1+ रेटिंग (इसे पहले `पीआर 1+` रेटिंग कहा जाता था और इसे अब सेबी द्वारा 15 जून 2011 को जारी परिपत्र के अनुसार मानकीकृत कर दिया गया है) प्रदान की गई है।

सीएआरई द्वारा नवंबर, 2014 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुन:पुष्टि की गई है।

इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनिमयित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। उचित तथा पारदर्शी रूप से विदेशी बैंको में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अधिक प्रभावपूर्ण और परियोजना विशिष्ट बनाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षों के लिए दिशानिर्देशों सहित वृहत आंतरिक लेखापरीक्षा पुस्तिका तैयार की गई है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां (ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्मेट), उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान दो चरणों में आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होती हैं जो सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार-संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

आंतरिक नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं। जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है। ई-शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

मानव संसाधन

कम्पनी का उद्देश्य संगठन के लिए सही आकार व सही मिश्रण का मानव संसाधन/कर्मचारी प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार-चढाव होता रहता है, जिसका समाधान प्रतिनियुक्ति, संविदा तथा सेवा संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती द्वारा किया जाता है। इन्हें कंपनी की समग्र नीति की तर्ज पर निर्धारित करने के लिए भर्ती नीतियों का पुनर्निधारण किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि कर्मचारियों के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों का संवर्धन किया जा सके।

दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की तर्ज पर सभी परियोजनाओं और कार्यों के लिए प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करके सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

कंपनी अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, तथा सेवानिवृत्ति पश्चात एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंतरण चिकित्सा लाभ उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना तैयार की है, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 नवंबर, 2015

उक्त योजना के लिए ट्रस्ट डीड को आयकर आयुक्त के पास पंजीकृत किया गया है।

अनुबंध - 'ग'

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस तथा आधारभूत मूल्यों के संबंध में कम्पनी का दर्शन

1.1 **कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड** है व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एंव उत्तरदायी रहते हुए कम्पनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना

1.2 निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के **आधारभूत मूल्य** हैं:-

क) रचनात्मक दृष्टिकोण

ख) एक टीम के रूप में कार्यरत

ग) कार्य में उत्कृष्टता

घ) कार्य और लेन-देन में सत्यनिष्ठा

ड.) जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना में छह निदेशक हैं जिनमें 04 पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त, निदेशक, परियोजना तथा निदेशक कार्य) तथा दो सरकार द्वारा मनोनीत (अंशकालिक-सरकारी) निदेशक हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान, दो स्वतंत्र निदेशक [यथा प्रो. (डॉ.) एस.एस.चटर्जी तथा श्री बी.एम. शर्मा)] का कार्यकाल क्रमश: 15 सितंबर 2014 तथा 18 सितंबर 2014 को समाप्त हो गया। इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या मे स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड स्तर के रिक्त पदों पर मासिक रिपोर्ट नियमित रुप से रेल मंत्रालय को भेजी जाती है जिसमे अपेक्षित स्वतंत्र तथा महिला निदेशकों के लिए विशेष अनुरोध किया जाता है।

2.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल और निदेशक मंडल/समितियों में उनकी सदस्यता

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक (सरकारी) स्वतंत्र	कम्पनियों निकाय कार्पोरेट के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों/ निकाय कार्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
मोहन तिवारी [डीआईएन 00191363]	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक -पूर्णकालिक	1 (आईआरएसडीसी)	शून्य	1
के.के. गर्ग [डीआईएन 01495050]	निदेशक वित्त - पूर्णकालिक	1 (सीसीएफबी)	1	2
दीपक सबलोक [डीआईएन 03056457]	निदेशक परियोजना - पूर्णकालिक	5 (आईएसटीपीएल, आईआरएसडीसी, इरकॉन पीबीटीएल और इरकॉन एसजीटीएल एवं जेसीआरएल)	1	3
हितेश खन्ना [डीआईएन 02789681]	निदेशक कार्य - पूर्णकालिक	1 (इरकॉन आईएसएल)	शून्य	1
अंजुम पर्वेज [डीआईएन 06682287]	अंशकालिक (सरकारी)	1 (आरवीएनएल)	शून्य	3
एच.के.काला [02.6.2015 से] [डीआईएन 07200108]	अंशकालिक (सरकारी)	1 (एमआरवीसी)	3	2

पदमुक्त हुए निदेशक

(वर्ष 2014-15 के दौरान तथा तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक/ अंशकालिक (सरकारी) स्वतंत्र	कम्पनियों निकाय कार्पोरेट के मंडलों के सदस्य (इरकॉन को छोड़कर)	इरकॉन समेत कंपनियों/ निकाय कार्पोरेट में समिति सदस्यता की कुल संख्या	
			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
एस.एस.चटर्जी [15.09.2014 तक] [डीआईएन 03546195]	स्वतंत्र - अंशकालिक (गैर सरकारी)	1 [आरवीएनएल]	3	4
बी.एम.शर्मा [18.09.2014 तक] [डीआईएन 00779026]	स्वतंत्र - अंशकालिक (गैर सरकारी)	1 [ओपीडीपीएल]	1	3
ए.के.रावल [31.03.2015 तक] [डीआईएन 6806261]	अंशकालिक (सरकारी)	1 [एमआरवीसी]	2	2

टिप्पणियाँ :

क. निदेशकों की संख्या 10 सार्वजनिक कम्पनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 20 अधिकतम सीमा के भीतर ।

ख. अंतिम दो कॉलम में शामिल की गई समितियां हैं लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, सीएसआर-धारणीयता समिति तथा शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट प्रति जारी करने के लिए समिति।

ग. निदेशकों की समिति सदस्यता की संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमति प्राप्त सीमा सहित दस की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति को ही गिना जाएगा।

घ. इस रिपोर्ट में प्रयुक्त पूर्णकालिक निदेशक पद का आशय कार्यात्मक/कार्यपालक निदेशकों से है ।

ड. इस रिपोर्ट में अंशकालिक निदेशक पद का आशय गैर-कार्यपालक निदेशकों से है जैसाकि सूचीकरण करार से अपेक्षित है।

च. सरकारी शब्द अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को दर्शाता है जिन्होंने सरकार में पदग्रहण किया हुआ है।

छ. शब्द गैर-सरकारी स्वतंत्र उन अंशकालिक निदेशकों को दर्शाता है जो सरकार में पदधारक नहीं हैं।

ज. पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने की फीस हकदारी से अलग, जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 4 मे दिया है, किसी भी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई भी अन्य भौतिक या आर्थिक संबंध नहीं है जिससे निर्णय की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो।

झ. संदर्भित कंपनियों के पूरे नाम :

i) इरकॉन आईएसएल - इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपना, नई दिल्ली (भारत)

[सीआईएन यू45400डीएल2009जीओआई194792]

ii) इरकॉन पीबीटीएल - इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपना, नई दिल्ली (भारत)

[सीआईएन यू45400डीएल2014जीओआई272220]

iii) इरकॉन एसजीटीएल - इरकॉन शिवपरी गुना टोलवे लिमिटेड, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपना, नई दिल्ली (भारत)

[सीआईएन यू45400डीएल2015जीओआई280017]

iv) आईआरएसडीसी - भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि., जो नई दिल्ली (भारत) में इरकॉन का एक संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनी (51% इक्विटी) है।

[सीआईएन यू45204डीएल2012जीओआई234292]

v) आईएसटीपीएल - इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (भारत) में एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 50% है।

[सीआईएन यू74999डीएल2005पीटीसी135055]

vi) सीसीएफबी - कंपैनिया डोज कैमिनोज डी फेरो डा बेरा (सीसीएफबी) मोजाम्बिक में एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 25% है।

vii) जेआरसीएल - झारखंड (भारत) में झारखंड मध्य रेलवे लि. एक संयुक्त उद्यम कम्पनी जिसमें इरकॉन की इक्विटी भागीदारी 26% है।

[सीआईएन यू45201जेएच2015जीओआई003139]

viii) एमआरवीसी - मुम्बई रेल विकास निगम लिमिटेड

[सीआईएन यू45203एमएच1999जीओआई120765]

ix) आरवीएनएल - रेल विकास निगम लिमिटेड

[सीआईएन यू74999डीएल2003जीओआई118633]

x) ओपीडीपीएल - ओमनी प्रोटेक ड्रग प्राइवेट लिमिटेड

[सीआईएन यू24239पीएन1993पीटीसी071120]

3. निदेशकों के संबंध में प्रकटन

कंपनी (मंडल बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशकों के मध्य आपस में कोई संबंध में नहीं होगा । दो निदेशक (अंशकालिक सरकारी) प्रशासनिक मंत्रालय यथा रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटरों से संबंधित हैं।

चूंकि अंशकालिक निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्त कंपनी के हाथ में नहीं है और यह कार्य सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड- 152 के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस में मद को रखना सभंव नहीं है जो सामान्य बैठक में निदेशकों के 2/3 सदस्यों तक नियुक्ति के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार करती है (न कि कंपनी) और वह भी निर्धारित कार्यकाल के लिए जिसके कारण प्रत्येक वर्ष रोटेशन द्वारा किसी निदेशक की वास्तविक सेवानिवृत्ति की संभावना नहीं है और इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 152 लागू नहीं होता है।

रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से आपकी कम्पनी के कार्यशील निदेशकों तथा मंडल के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त कार्यवृत्त

वर्ष के दौरान कंपनी में किसी निदेशक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

तथापि, वर्ष की समाप्ति के पश्चात, श्री हरि कृष्ण काला (एच.के.काला) (डीआईएन 07200108, अपर सदस्य (योजना) रेलवे बोर्ड, ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी 26 मई 2015 के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार 2 जून 2015(उनकी सहमति की तिथि) को इरकॉन के अंशकालिक सरकारी निदेशक के रुप मे कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री काला का जन्म 22 जून 1956 को हुआ और श्री काला भारतीय रेल यांत्रिकी इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएमई) अधिकारी हैं और इन्होंने फरवरी 1979 में रेलवे में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इन्हें अनुसंधान और विकास, चल स्टॉक के प्रचालन और अनुरक्षण, व्हील, एक्सेल, स्प्रिंग तथा इंजनों के साथ-साथ सामान्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में 36 वर्षों के अधिक का अनुभव प्राप्त है। इन्होंने अमरीका में भारी हॉल प्रचालन, जापान और जर्मनी मे कोच अभिकल्प तथा फांस में नीति प्रबंधन मे प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड होने के कारण वे रलवे में नियोजन और निवेश संबंधी निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कम्पनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल के अंशकालिक सरकारी निदेशक नामितियों को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कम्पनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

शेयरधारकों ने दिनांक 26 सितम्बर, 2007 को आयोजित 31वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल को कम्पनी (केन्द्र सरकार) के सामान्य नियमों तथा फार्मों के नियम 10- बी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर सिटिंग शुल्क के रुप में अंशकालिक (गैर-सरकारी) /स्वतंत्र निदेशकों के देय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2015 को आयोजित अपनी 215वीं बैठक में निदेशक मंडल तथा उनकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 12,000 रुपए का सिटिंग शुल्क निर्धारित किया है।

4.1 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(रुपये में)

क्र सं	निदेशकों के नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ एवं पर्क	कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	सेवा- निवृत्ति लाभ	बोनस/कमीशन/ अनुग्रह राशि	वर्ष के दौरान स्टॉक ऑप्शन	कुल
1	श्री मोहन तिवारी* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2014-15 में वर्ष भर)	29,05,779	7,36,259	21,60,440	2,67,560	--	--	60,70,038
2	श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त (2014-15 में वर्ष भर)	33,87,317	7,43,272	14,49,947	2,39,473	--	--	58,20,009
3	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (2014-15 में वर्ष भर)	25,03,058	5,80,575	14,30,520	2,36,194	--	--	47,50,347
4	श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य (2014-15 में वर्ष भर)	28,86,339	6,48,497	14,07,743	2,32,475	--	--	51,75,054

* श्री मोहन तिवारी का जन्म 1 अक्तूबर, 1956 को हुआ था और इन्होंने बी.ई.सिविल (ऑनर्स), एम.टैक (स्ट्रक्चर्स) तथा पीजीडीआईएम की शिक्षा प्राप्त की है और दिनांक 25 जून, 1998 को रेल मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में कार्यभार ग्रहण किया तथा वर्ष 2002 में इन्हें महाप्रबंधक के रुप में कंपनी में आमेलित कर लिया गया। रेल मत्रालय के द्वारा सूचित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के आधार पर इन्होंने पांच वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु, जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 8 अगस्त 2003 से 31 जनवरी 2009 तक निदेशक (परियोजना) के रुप में कार्य किया। इन्होंने 1 फरवरी 2009 को प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार सम्भाला। रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पुन: नामित किया गया। रेल मंत्रालय के दिनांक 15 मई 2014 के आदेश के तहत उनकी नियुक्ति के कार्यकाल को 31 जनवरी, 2014 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2016 अर्थात उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक कर दिया गया। उन्हें अवसंरचनात्मक क्षेत्र में 36 वर्ष के अधिक का अनुभव प्राप्त है।

4.2 वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौरा

(रुपये में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशक/ अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
		बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
1	प्रा.(डॉ.)एस.एस. चटर्जी (15.09.2014 तक)	30,000	1,00,000	1,30,000
2	श्री बी.एम.शर्मा (18.09.2014 तक)	30,000	60,000	90,000

5. बोर्ड प्रक्रिया

5.1 निदेशक मंडल चार्टर

क) कंपनी में निदेशक मंडल से स्वीकृत औपचारिक बोर्ड चार्टर तथा निगमित शासन उद्देश्य तथा दृष्टिकोण तथा निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों सहित) तथा प्रबंधन (वरिष्ठ प्रबंधन) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व विद्यमान हैं।

ख) यह निदेशक मंडल चार्टर अनिवार्य रुप से निगमित शासन उद्देश्यों तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल की कंपोजिशन व संरचना और भूमिका तथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।

ग) अंशकालिक निदेशकों को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाहन को सुलभ बनाने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्वतंत्र कार्यालय कक्ष निर्धारित किया गया है।

5.2 वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

क) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल 2014, 31 जुलाई 2014 (स्थगित की गई और 1 अगस्त 2014 को पुन: की गई), 11 सितबंर, 2014, 28 नवंबर 2014, 28 जनवरी 2015 तथा 23 फरवरी 2015 को 6 बैठकों में भाग लिया।

ख) कंम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (1) (ख) के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों और कम्पनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार है :-

NA - लागू नहीं

निदेशक	2014-15 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया
	(उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
मोहन तिवारी	6	6	हां
के.के. गर्ग	6	6	हां
दीपक सबलोक	6	6	हां
हितेश खन्ना	6	6	हां
एस.एस.चटर्जी	3	3	लागू नही
बी.एम.शर्मा	3	3	लागू नही
अंजुम परवेज	6	5	हां
ए.के.रावल	6	5	हां
एच.के.काला	लागू नही	लागू नही	लागू नही
ललिता गुप्ता	1	1	लागू नही
इटि माटा	2	2	हां
सुमीता शर्मा	3	3	लागू नही

वर्ष 2014-15 के दौरान सुश्री ललिता गुप्ता, कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि) ने 30 अप्रैल 2014 को अधिवर्षिता प्राप्त की। 1 मई 2014 से 30 सितंबर 2014 तक सुश्री इति माटा, सहायक प्रबंधक/कंपनी मामले को तब तक कंपनी सचिव के कार्यों के निष्पादन के लिए नियुक्त किया गया जब तक कि उच्चतर स्तर पर उम्मीदवार का चयन व नियुक्ति न हो जाए। सुश्री सुमिता शर्मा ने 30 सितंबर 2014 को कंपनी के कंपनी सचिव के रुप में कार्यभार ग्रहण किया।

6. कम्पनी के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रंबधन के लिए आचार संहिता तथा सम्पूर्ण संगठन के लिए आधारभूत मूल्य

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी तथा परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों) के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं । ये संहिता 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट में शामिल किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्तक्षरित घोषणा **संलग्नक "सी-1"** पर उपलब्ध है।

7. निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें :

कंपनी ने, अपने बोर्ड की स्वीकृति से, कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई के निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010; तथा सूचीकरण करार के संशोधित खंड-49 की तर्ज पर लेखापरीक्षा समिति के

लिए संदर्भ शर्तों को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा समिति के लिए संदर्भित संशोधित मामले के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल है-

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं को छोड़ कर लेखापरीक्षकों को प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए शुल्क के भुगतान सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;

(ख) लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता;

(ग) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों के लिए स्वीकृति या किसी प्रकार का परिणामी आशोधन।

(घ) अंतर-निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा।

(ड.) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।

(छ) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भों सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (3) के खंड (ग) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।
- (ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।
- (iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
- (iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
- (v) वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
- (vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और
- (vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(ज) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

(झ) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

(ट) बाहरी व आंतरिक, दोनों लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण विषयों व कार्य के क्षेत्रों पर चर्चा।

(ठ) वैधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन, आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना तथा कार्यकरण सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा आंतरिक लेखपरीक्षा रिपोर्टों के संबध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(ड) ऐसे अन्य मदों/विषयों पर विचार करना जैसा कि बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

लेखापरीक्षा समिति ने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति के लिए वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों पर सिफारिश करने से पूर्व वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक वित्त द्वारा देय अनुपालन की घोषणा, लेखापरीक्षकों, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका आदि सहित उक्त संदर्भ शर्तों के अनुसार मुद्दों की समीक्षा की थी। लेखापरीक्षा समिति ने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कार्यनिष्पादन की भी समीक्षा की थी।

7.1.2 संरचना व उपस्थिति :

सूचीकरण करार के खंड 49 और मिनीरत्न की शर्तों के अनुसार और निदेशक मंडल के अनुमोदन से मूलत: 28.4.2000 को लेखापरीक्षा समिति का गठन कर दिया गया था जिसमें कम्पनी के चार अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सम्मिलित हैं। जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन होता है तो इनकी पुन:स्थापना की जाती है।

रेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लंबित होने के कारण जून 2015 में अंतिम बार लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें दो अंशकालिक (सरकारी) निदेशक तथा एक पूर्णकालिक निदेशक शामिल है: :

श्री एच.के.काला, अंकशालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष

श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक (सरकारी) निदेशक - सदस्य

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित हुई।

30 अप्रैल 2014, 22 मई 2014, 31 जुलाई 2014, 11 सितंबर 2014, 23 दिसंबर 2014, 28 जनवरी 2015, 23 फरवरी 2015, और 30 मार्च 2015.

वर्ष 2014-15 के दौरान उपस्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

सदस्य	पद	आयोजित बैंठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री बी.एम. शर्मा	अध्यक्ष (18.09.2014 तक)	4	4

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें (इनके कार्यकाल के दौरान)	बैठकें जिनमें भाग लिया
एस.एस. चटर्जी	सदस्य (15.09.2014 तक)	4	4
ए.के.रावल	अध्यक्ष (13.11.2014 से 31.03.2015)	4	4
अंजुम परवेज	सदस्य (2014-15 वर्षभर)*	8	8
दीपक सबलोक	सदस्य (13.11.2014 से)	4	4
मोहन तिवारी	सदस्य (29.04.2015 से 14.06.2015)	लागू नहीं	लागू नहीं
एच.के.काला	अध्यक्ष (14.06.2015 से)	लागू नहीं	लागू नहीं

*श्री अंजुम परवेज 29.04.2015 से 14.06.2015 तक लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और तत्पश्चात वे लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रुप में बने रहे।

कम्पनी की कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। कम्पनी सचिव ने (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित) लेखापरीक्षा समिति की सभी बैठकों में भाग लिया

7.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

कम्पनी ने 6 जून 2001 को निदेशकों की एक शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निदेशकों के पदों में परिवर्तन के कारण समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया जाता है।

कम्पनी सचिव इस समिति का अनुपालन अधिकारी हैं।

अब तक कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है और कोई शेयर हस्तांतरण के लिए लंबित नहीं है। एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि शेयरों के हस्तांतरण, तुलन पत्र के प्राप्त न होने, घोषित लाभांश के प्राप्त न होने के संबंध में कोई निवेशक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, को इस समिति के सभी सदस्यों को परिपत्रित किया गया है।

पिछली बार समिति का पुनर्गठन जुलाई 2013 में किया गया था जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त - सदस्य

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

वर्ष के समापन के पश्चात, इरकॉन के निदेशक मंडल ने 28 जुलाई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के प्रावधानों के दृष्टिगत शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति को विघटित कर दिया था। उक्त समिति को विघटित किए जाने के पश्चात, कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करने व उनका निवारण करने का अधिकार निदेशक मंडल के पास आ गया है।

7.3 पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पे-पूल तथा कार्यपालकों व गैर-यूनियनीकृत पर्यवेक्षकों में इसके वितरण के लिए नीति का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देश-2010 के खंड-5.1 का अनुसरण करते हुए 20.04.2009 से कम्पनी में पारिश्रमिक समिति विद्यमान है। जब किभी निदेशक पद में परिवर्तन होता है तो इसकी पुनर्संरचना की जाती है।

वर्ष 2013-14 के समिति की बैठक 11 सितंबर 2014 को पीआरपी के भुगतान के संबंध में की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्यों और तत्कालीन कम्पनी सचिव ने भाग लिया था। समिति का पुनर्गठन नवंबर 2014 में किया गया था जो निम्नानुसार है:

श्री अंजुमन परवेज, अंशकालिक सरकारी निदेशक - अध्यक्ष

श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना - सदस्य

श्री हितेष खन्ना, निदेशक कार्य - सदस्य

जुलाई 2015 मे, मौजूदा पारिश्रमिक समिति का नाम परिवर्तित करके **नामांकन और परिश्रमिक समिति** कर दिया गया है और 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत मौजूदा संदर्भ शर्तों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 मे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को शामिल करने के लिए इसकी संदर्भ शर्तों को और व्यापक किया गया है। संक्षेप मे नामांकन और पारिश्रमिक समिति का कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल और नीति के संबंध में निर्णय लेने के मौजूदा कार्यक्षेत्र को जारी रखने हेतु।
2. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और बोर्ड के अनुमोदन हेतु सलाह देना।
3. कोई अन्य कार्य जिसे समय समय पर कम्पनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल किया जाए।

वर्तमान नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अंतर्गत अध्यक्ष श्री एच.के.काला, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा सदस्य श्री अंजुम पर्वेज, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा श्री मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके सदस्य हैं।

7.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व - धारणीय विकास समिति

सीएसआर तथा धारणीय विकास (सीएसआर-एसडी समिति)

के लिए एक एकीकृत बोर्ड समिति का गठन डीपीई सीएसआर तथा धारणीयता दिशानिर्देश, 2013 के अनुसार अप्रैल 2013 को किया गया था।

नए कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने के पश्चात, सीएसआर-एसडी समिति का जुलाई 2014 मे पुन:नामकरण करके सीएसआर समिति कर दिया गया था। बाद में डीपीई ने सीएसआर तथा धारणीयता पर दिशानिर्देशों (कम्पनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत नियमो की तर्ज पर) को संशोधित किया था। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुए थे। तदनुसार, कम्पनी द्वारा सीएसआर तथा धारणीयता नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा कम्पनी के सीएसआर और धारणीयता के एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियां और ऋणनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु नवंबर 2014 मे सीएसआर तथा धारणीयता समिति का गठन किया गया था (सीएसआर समिति के अधिक्रमण में)।

जब कभी स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन हुआ समिति का पुनर्गठन किया गया। रेल मंत्रालय से स्वतंत्र निदेशको की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लंबित होने के कारण, सीएसआर तथा धारणीयता समिति का अंतिम पुनर्गठन जून 2015 मे किया गया था जो निम्नानुसार है:

श्री एच.के.काला, अंशकालिक सरकारी निदेशक	-	अध्यक्ष
श्री के.के.गर्ग, निदेशक वित्त	-	सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	-	सदस्य
श्री हितेश खन्ना, निदेशक कार्य	-	सदस्य

वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की छह बैठकें निम्नलिखित तिथियों को हुईं:

सदस्य	स्थिति	आयोजित बैठकें संबंधित कार्यकाल के दौरान	बैठकें जिनमें भाग लिया गया
एस.एस.चटर्जी	अध्यक्ष (15.09.2014 तक)	4	4
ए.के.रावल	अध्यक्ष (13.11.2014 से 31.03.2015)	2	2
एच.के.काला	अध्यक्ष (14.06.2015 से)	लागू नहीं	लागू नहीं
के.के.गर्ग	सदस्य	6	6
दीपक सबलोक	सदस्य	6	6
हितेश खन्ना	सदस्य	6	5

इस समिति की सभी बैठको में कम्पनी के कंपनी सचिव ने भाग लिया था (उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान)

7.5 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

अक्तूबर 2013 में गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व पर दिनांक 28 दिसंबर 2012 (दिनांक 20 जून 2013 को डीपीई- कार्यालय ज्ञापन के तहत संशोधित) के डीपीई-कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में अक्तूबर 2013 में स्वतंत्र निदेशक समिति (आईडी समिति) का गठन किया गया है, जिसमें प्रावधान है कि गैर-सरकारी अधिकारी क्रियाशीलता की उपस्थिति के बिना वर्ष में एक बैठक कर सकेंगे और कंपनी, प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचनाओं की गुणवत्ता, मात्रा तथा समय पर प्रवाह का सरकारी निदेशक तथा सदस्य आकलन करेंगे, जो कि कर्तव्यों के कुशल और युक्तिसंगत निष्पादन के लिए बोर्ड हेतु आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VII में प्रावधान है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक गैर स्वतंत्र निदेशक तथा प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक बैठक का आयोजन करना होगा।

समिति की बैठक 10 सितंबर 2014 को आयोजित की गई थी, जिसमें डीपीई-कार्यालय ज्ञापन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में गैर स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की अनुपस्थिति में कंपनी के दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था।

दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल सितंबर 2014 में समाप्त हो गया था। तदनुसार, इरकॉन के बोर्ड में नए स्वतंत्र निदेशकों के कार्यभार ग्रहण करने पर इस समिति का गठन किया जाएगा।

7.6 शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति

कंपनी ने खोए या नष्ट हुए, निरस्त, फटे व पुराने या घिसे हुए जहां शेयर प्रमाणपत्रों के पीछे वाले पृष्ठ को हस्तांतरण रिकार्ड के लिए प्रयोग कर लिया गया हो, के प्रतिस्थापन हेतु डुप्लिकेट शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी (शेयर पूंजी तथा डिबेंचर) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार शेयर प्रमाणपत्रों के नवीकरण/डुप्लिकेट जारी करने हेतु समिति का गठन किया गया है।

जनवरी 2015 में समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

श्री के.के. गर्ग, निदेशक वित्त	-	अध्यक्ष
श्री अंजुम परवेज, अंशकालिक सरकारी निदेशक	-	सदस्य
श्री दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	-	सदस्य

कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

7.7 शेयर इश्यू समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 28 जनवरी 2015 को आयोजित अपनी बैठक में इस तथ्य के दृष्टिगत शेयर इश्यू समिति को भंग कर दिया था कि कंपनी की समान मोहर के अंतर्गत उप-प्रभाग, समेकन आदि पर शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने का कार्य, कंपनी (शेयर पूंजी तथा थिबैंचर) नियम, 2014 के नियम 5 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के 43 (सी) के अंतर्गत

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की धारा 179 (3) सी की शर्तों, जैसा कि समय समय पर संशोधित किया जाए, के अनुसार बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान उक्त समिति के भंग होने से पूर्व कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

8. सहायक कंपनी (कंपनियों) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

वर्तमान में, इरकॉन की निम्नलिखित सहायक कंपनियाँ हैं:

(क) इरकॉन इंफ्रास्टक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

(ख) इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) इरकॉन की सहायक कंपनी है और यह इरकॉन और रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आर.एल.डी.ए.) के बीच एक संयुक्त उपक्रम भी है, जिसमें इरकॉन की इक्विटी 51 प्रतिशत है।

(ग) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन बीटीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है 30 सितंबर 2014 को निगमित किया गया)

(घ) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) इरकॉन की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है (वर्ष की समाप्ति के पश्चात 12 मई 2015 को इसे निगमित किया गया)

इनमें से कोई भी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इरकॉन आईएसएल, आईआरएसडीसी तथा इरकॉन पीबीटीएल का टर्नओवर/निवल संपत्ति इरकॉन (धारक कंपनी) के टर्नओवर या निवल संपत्ति के 20% से अधिक नहीं है। इसलिए, ना तो इरकॉन आईएसएल, ना आईआरएसडीसी और ना ही इरकॉन पीबीटीएल डीपीई सीजी दिशानिर्देशों या सूचीबद्ध करार के अंतर्गत मटीरियल सब्सिडेयरी या सब्सिडेयरी है।

9. वार्षिक साधारण बैठक

9.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वार्षिक बैठक की तारीख	समय	स्थान/स्थल
2013-14	25 सितम्बर 2014	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2012-13	3 सितम्बर 2013	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
2011-12	25 सितम्बर 2012	5 बजे अपराह्न	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

9.2 25 सितंबर 2014 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में केवल एक विशेष संकल्प पारित किया गया था, इसके अतिरिक्त 2011-12 और 2012-13 की पिछली वार्षिक साधारण बैठक में कोई विशेष संकल्प परित नहीं किया गया है।

9.3 इरकॉन की आगामी वार्षिक साधारण बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

10. प्रकटन

10.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेनदेन नहीं हुआ था। जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव होने की संभावना हुई है।

10.2 कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है। लेखांकन मानकों से विचलन को वित्तीय विवरणों के भाग का निर्माण करने वाले नोट सं. 34 में दिए गए स्व-व्याख्यात्मक नोट तथा निदेशक की रिपोर्ट में अनुपालन शीर्ष में स्पष्ट किया गया है।

10.3 वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा 4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 41 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

10.4 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारणों को नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	2014-15	2013-14	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय (करोड़ रुपए में)	**30.60**	35.84	**शून्य**
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार (करोड़ रुपए में)	**8.93**	38.45	
कुल व्यय (करोड़ रुपए में)	**2277.45**	3057.51	
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय(प्रतिशत में)	**1.34%**	1.17%	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	**0.39%**	1.26%	

10.5 कम्पनी आवधिक रुप से बोर्ड को जोखिम भरे क्षेत्रों में उनकी परियोजनाओं तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबधित जोखिमों के सबंध में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा जोखिम तथा चिंता शीर्ष के अंतर्गत प्रबंधन विचारविमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

10.6 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति से जालसाजी निवारण, इसका पता लगाने तथा नियंत्रण की नीति विद्यमान है ताकि जालसाजी का पता लगाने तथा निवारण के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके और पता लगाए गए या आशंकित किसी मामले की रिपोर्टिंग की जा सके और जालसाजी से संबंधित मामलों से निपटा जा सके।

10.7 कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है जिसके द्वारा वह अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस नीति में उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया है। इसमें आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का भी प्रावधान है।

ये दोनों नीतियां इरकॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

10.8 लेखापरीक्षा समिति से किसी कार्मिक को मिलने से इनकार किए जाने का कोई प्रश्न सामने नहीं आया है।

10.9 कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ना तो शेयरों का कोई पब्लिक इश्यू जारी किया है और ना ही कोई प्रोसिक्यूटस या प्रस्ताव पत्र जारी किया है।

10.10 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

10.11 व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानकों के अपेक्षाओं के अनुरुप हैं।

10.12. वर्ष 2013-14 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को उत्कृष्टता ग्रेड प्रदान किया है।

10.13 डीपीई निगम शासन प्रणाली दिशानिर्देशों के स्व-मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2014-15 के लिए 100 में से 91.25 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

10.14 कंपनी प्रत्येक छमाई में परियोजनाओं (भारतीय तथा विदेशी), कंपनी तथा संबंधित कूाननों; कर कानूनों; श्रम और कर्मचारी कल्याण कनूनों; आरटीआई - क्षेत्रों में कानूनों आदि के अनुपालन के संबंध में बोर्ड को सूचित करती है/रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

11. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ) तथा निदेशक वित्त (सीएफओ) ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, यथोचित अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (**इस रिपोर्ट के अनुबंध ग-2** पर संलग्न है)

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

क) वार्षिक आम बैठक से पूर्व शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट आदि भेजने से पूर्व, लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय निष्पादनों सहित कंपनी की परियोजनाओं की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट को प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है।

ख) वर्ष 2014-15 के लिए इरकॉन और इसकी सहायक कम्पनियो की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) निम्नलिखित को कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है:

i) कंपनी की शेयरधारिता का पैटर्न।

ii) नोडल अधिकारियों/सीएमडी/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति के गोपनीय ई-मेल आईडी सहित महत्वपूर्ण निगमित शासन नीतियां जैसे धोखाधड़ी निवारण, परिचयन तथा नियंत्रण नीति तथा विसल ब्लोवर नीति।

iii) वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर नीति तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलीटी गतिविधियां।

iv) निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कंपनी के प्रमुख मूल्य।

घ) अनुपालन अधिकारी का ई-मेल आई डी वेबसाइट में इन्वेस्टर कार्नर शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता लाई जा सके।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख	:	22 दिसम्बर, 2015
समय	:	17.00 बजे
स्थान	:	कम्पनी का सम्मेलन कक्ष, पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

12.3 बही बंद करने की तिथियां

वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश का भुगतान उन सभी शेयरधाराकों को किया जाएगा तो जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक यथा 22 दिसम्बर 2015, रिकार्ड तिथि, को सदस्यों के रजिस्टर में अंकित होंगे।

12.4 शेयरधारण का वितरण (इस रिपोर्ट की तारीख को)

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
केन्द्र सरकार भारत के राष्ट्रपति व उनके दस नामितों के नाम पर	1,97,42,400	99.729
इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन	48,800	0.247
बैंक आफ इंडिया	4,800	0.024
कुल	**1,97,96,000**	**100**

पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी सरकारी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यत: एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 99.729% शेयर सरकार के होते हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए कम्पनी सचिव एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.5 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कम्पनी के पास संयंत्र स्थल नहीं है किन्तु देश के 11 से अधिक राज्यों तथा 5 अन्य देशों में इनकी प्रचालनिक इकाइयां/कार्यालय हैं। इन इकाइयों की सूची कम्पनी की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

12.6 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

कम्पनी सचिव

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर

साकेत, नई दिल्ली-110017

टेलीफोन : 91-11-26545265/26530456

फैक्स : 91-11-26522000/26854000

ई-मेल : sumita.sharma@ircon.org

वेबसाईट : www.ircon.org

13. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

13.1 कंपनी में निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए बोर्ड स्वीकृत एक प्रशिक्षण नीति विद्यमान है। इस नीति के अनुसार, कंपनी की यह नियमित प्रथा है कि नए बोर्ड सदस्यों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन्हें कम्पनी के बारे में अभिलेख भी प्रदान किए जाते हैं जिनमें ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, ब्रॉशर, वार्षिक रिपोर्ट, अद्यतन अलेखापरीक्षित परिणाम, समझौता लक्ष्यों और उपलब्धियों सहित निगमित योजना, तथा निदेशकों के कर्तव्यों, दायित्वों पर संबंधित प्रावधान (शामिल) हैं ।

13.2 बोर्ड के सदस्यों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। वर्ष के दौरान इरकॉन के निदेशकों को एसोचेम, भारतीय अनुसंधान केन्द्र संघ, स्कोप तथा उत्तरी रेल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया/ भाग लिया है।

14. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उजगार किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक सी-3** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 6 नवंबर, 2015

अनुबंध-सी 1

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, मोहन तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21 मई 2015

अनुबंध - सी 2

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त प्रमुख प्रमाणन

हमने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय विवरणों (अर्थात तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण) की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की है:-

i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

vi) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

के.के. गर्ग
निदेशक/वित्त
(डीआईएन: 01495050)

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 28 जुलाई 2015

अनुलग्नक -"सी 3"

एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

बी-152, दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर-IV
नई दिल्ली-110 024
टेली : 91-11-4162 5462 मोबाइल : 9873426246
ई-मेल : manojbangia.mb@gmail.com

डीपीई की कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली

सरकारी उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी किए गए निगम सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में यथा अपेक्षित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत सरकार की एक कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष में कार्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के संबंध में:

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कम्पनी के कार्पोरेट शासन की रिर्पोट का अध्ययन किया है। हमनें कम्पनी द्वारा बनाए गए तथा इस संबध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए संगत रिकार्डों एंव दस्तावेजों की भी जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है जिन्हें कम्पनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कम्पनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कम्पनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कम्पनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमारी समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के लिए निगमित शासन मापदंडों के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों अपेक्षाओं के अनुरुप सभी सामग्रीगत दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों (क्रमश: 15.09.2014 तथा 18.09.2014 को दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के समापन के पश्चात) तथा एक महिला निदेशक (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान) की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति को छोडकर, जो कि सरकार द्वारा की जाती है।

कृते एम. बांगिया एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

मनोज बांगिया
प्रोपराइटर
सीपी सं.-3655

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.11.2015

अनुबंध-घ

सी.एस. विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

39/2068, नाईवाला, 315, दखा
चैम्बर्स, करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005
Tel.: 28755638, Mobile: 9313835638
E-mail: csvishal21@gmail.com

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

फार्म सं. एमआर-3

[कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे कम्पनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कम्पनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कम्पनी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कम्पनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप-नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिबंध) विनियम, 1992

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999

/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर 2014 से प्रभावी)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998

(vi) इनके अंतर्गत निर्मित निम्नलिखित कानून और नियमों को प्रबंधन द्वारा कम्पनी में विशिष्ट रुप से लागू किए जाने के लिए चिहनित किया है:

(क) भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय के दिनांक 14 मई 2010 को जारी लोक उपक्रम विभाग दिशानिर्देश।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961

(ग) संपत्ति कर अधिनियम, 1957

(ड.) सेवाकर कानून

(च) वेट/क्रेन्दीय बिक्री कर अधिनियम/डब्ल्यूसीटी

(छ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(ज) केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिनियम, 1944

(ड.) वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981

(च) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(छ) जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974

(ज) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम

(झ) भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1999

(ट) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ड) नेगोशियेबल इंस्टूमेंट अधिनियम, 1881

(ठ) अन्य श्रम कानून और उनके अंतर्गत निर्मित नियम

- एप्रेंटिस अधिनियम, 1961
- बाल मजदूरी अधिनियम, 1986
- ठेके के श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- प्रसव लाभ अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- वाणिज्यिक दुकान एवं स्थापना अधिनियम,

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित अपेक्षाओं के संबंध में कम्पनी द्वारा अनुपालन किए जाने के संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं है:

(क) इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटिएट ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक क्योंकि इन्हें 31 मार्च 2015 तक केन्द सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।

(ख) स्टॉक एक्सचेज (एक्सचेंजों) के साथ कम्पनी द्वारा किया गया सूचीकरण करार क्योंकि कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के सामग्रीगत गैर अनुपालन के बिना और निम्नलिखित अवलोकनों के मद्देनजर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. उपर्युक्त खंड (खंडों)(ii) तथा (v) में उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, करार और दिशानिर्देशों के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कम्पनी एक असूचीबद्ध निकाय है और इसलिए ये इस पर लागू नहीं होते हैं।
2. उपर्युक्त खंड (खंडों)(iii) तथा (iv) मे उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम के लिए किसी प्रकार के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
3. उपर्युक्त खंड (vi) में उल्लखित अन्य कानून जो विशिष्ट रुप से कम्पनी पर लागू होते हैं, के संबंध में हमने पाया है कि कम्पनी में सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और प्रचालन के अनुसार कम्पनी में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।
4. हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारे मतानुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों और निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कम्पनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुसार हमने कोई सामग्रीगत गैर-अनुपालन नही किया है।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि:

स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति को छोड कर कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। यह सर्वविदित है कि नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानो के अनुपालन के साथ किया गया था।

बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले ही भेज दिया जाता है, केवल अल्प नोटिसों को छोडकर, जहां अपेक्षित अनुपालन किया गया है, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है।

प्रमुख निर्णयों को निष्पादित किया गया है जबकि अनुपस्थित सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त में समाहित व रिकार्ड कर लिया गया है।

कम्पनी ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं और निदेशकों ने अपनी नियुक्ति उनके स्वतंत्र निदेशक होने और निदेशकों व प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण व नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटन आवश्यकताओं को पूरा किया है।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.11.2015

यह रिपोर्ट हमारे पत्र संख्यक दिनांक के साथ पढा जाए जो कि अनुलग्नक-क पर और फार्म इस रिपोर्ट तक एक शामिल भाग है।

अनुबंध-क

सी.एस. विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

सेवा में,

सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएन: यू45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समसंख्यक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएगा:

1. सचिवीय रिकार्डो का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमनें लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमनें लागू वित्तीय कानूनों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों, लेखांकन मानकों, कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता के अनुपालन के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विश्वास किया है क्योंकि ये संबंधित लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के मद्देनजर है।
4. जहां कही अपेक्षित हुआ, हमने कानून, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षा आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कम्पनी की भावी लाभप्रद्ता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता है जिसके द्वारा प्रबंधन कम्पनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते विशाल अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस सं.:7242
सीपी सं.:7710

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.11.2015

अनुबंध ड.

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	:	यू45203डीएल1976जीओआई008171
2	पंजीकरण तिथि	:	28 अप्रैल 1976
3	कंपनी का नाम	:	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
4 क)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी
ख)	कंपनी की श्रेणी	:	सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी वाली कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	:	प्लॉट सं सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017 फोन सं.: 011-26530456 फैक्स सं.: 011-26522000 ई मेल आईडी : sumita.sharma@ircon.org
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां / नहीं)	:	नहीं [मार्च 2012 से डिलिस्टेड]
7.	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	:	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क.सं	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	रेलवे	4210	86.11%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण:

[कंपनियों की संख्या जिनके लिए सूचना दायर की जा रही है - 12 कंपनियां]

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्लाट सं. सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017	यू45400डीएल2009जीओआई194792	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)
2	इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू45400डीएल2014जीओआई272220	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100%	2(87)

क्र. सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
3	इंडियन रेलवे डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर-XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066.	यू45204डीएल2012जीओआई234292	सहायक कंपनी	51%	2(87)
4	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली - 110017	यू74999डीएल2005पीटीसी 135055	संबद्ध	50%	2(6)
5	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू45203सीटी2013जीओआई000729	संबद्ध	26%	2(6)
6	छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर-492013, छत्तीसगढ	यू 45203सीटी2013जीओआई000768	संबद्ध	26%	2(6)
7	कम्पैनिया डोस केमिनोस डी फेरा डा बेइरा, एसएआरएल, लार्जो डा सीएफएम, एडिफिको डा एस्टेकियो सेट्रल, बेयरा, मोजाम्बिक	विदेशी कंपनी	संबद्ध	25%	2(6)
8	इरकॉन - एसपीएससीएल जेवी 47, सेक्टर - 9 , पंचकुला, 134113, हरियाणा	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	50%	2(6)
9	इरकॉन-एफकॉन्स जेवी दूसरा तल, सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेटर, साकेत, नई दिल्ली-110017.	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	53%	2(6)
10	रिकॉन राइट्स भवन, 1, सेक्टर - 29, गुडग़ांव - 122001, हरियाणा	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	49%	2(6)
11	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर 8, जंतर मंतर रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	9.50%	2(6)
12	मेट्रो टनलिंग ग्रुप 8, जंतर मंतर रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली- 110001	गैर निगमित संयुक्त उद्यम	संबद्ध	9.50%	2(6)

IV. शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क)	प्रमोटर									
(1)	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ		-	-			-			
ख)	केन्द्र सरकार		1,97,42,400	1,97,42,400	99.729		1,97,42,400	1,97,42,400	99.729	शून्य
ग)	राज्य सरकार (सरकार)		-	-			-			
घ)	निकाय निगम		-	-			-			
ड.)	बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-			
च)	कोई अन्य		-	-			-			
	उप कुल (क) (1)		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**	शून्य
(2)	विदेशी	लागू नही				लागू नहीं				
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ख)	अन्य - व्यक्तिगत		-	-			-	-		
ग)	निकाय निगम		-	-			-	-		
घ)	बैंक / वित्तीय संस्थान		-	-			-	-		
ड.)	कोई अन्य		-	-			-	-		
	उप कुल (क) (2)		**-**	**-**			**-**	**-**		
	"प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)"		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**1,97,42,400**	**99.729**	शून्य
ख.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	संस्थान									
क)	म्यूचुवल फड		-	-			-	-		
ख)	बैंक/एफएलएस									
	बैंक- बैंक ऑफ इण्डिया		4,800	4,800	0.024		4,800	4,800	0.024	शून्य
	एफआई- इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड		48,800	48,800	0.247		48,800	48,800	0.247	शून्य
ग)	केन्द्र सरकार	लागू नही	-	-		लागू नहीं	-	-		
घ)	राज्य सरकार(सरकारे)		-	-			-	-		
ड.)	उपक्रम पूंजी निधि		-	-			-	-		
च)	बीमा कंपनियां		-	-			-	-		
छ)	एफआईआई		-	-			-	-		
ज)	विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां		-	-			-	-		
झ)	अन्य (विनिर्दिष्ट)		-	-			-	-		
	उप कल (ख)(1):		**53,600**	**53,600**	**0.271**		**53,600**	**53,600**	**0.271**	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी		वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2)	गैर संस्थागत	लागू नही				लागू नहीं				
क)	निकाय निगम									
i)	भारतीय		-	-			-	-		
ii)	विदेशी		-	-			-	-		
ख)	व्यक्तिगत		-	-			-	-		
i)	व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		
ii)	व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण		-	-			-	-		
ग)	अन्य (बताएं)		-	-			-	-		
	उप कुल (ख)(2):		-	-			-	-		
	"कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)"		**53,600**	**53,600**	0.271		**53,600**	**53,600**	0.271	शून्य
घ.	जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	लागू नही	-	-		लागू नहीं	-	-		
	सकल योग (क + ख + ग)	लागू नही	**1,97,96,000**	**1,97,96,000**	100	लागू नहीं	**1,97,96,000**	**1,97,96,000**	100	शून्य

नोट:

1 कपनी के शयरों की डीमटीरियलाइज नहीं किया गया है क्योंकि 99.729% शेयर भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों के नाम पर है।

2 प्रति 10 रुपए के 1,97,38,400 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और प्रति 10 रुपए के 400 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नामितियों (जो सरकारी अधिकारी हैं) के नाम पर है

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति*	1,97,42,400	99.729	शून्य	1,97,42,400	99.729	शून्य	शून्य
	कुल	**1,97,42,400**	**99.729**		**1,97,42,400**	**99.729**		

* भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियों द्वारा धारिता की सूची अनुबंधित है।

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नही है)

क्र. सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	1,97,42,400	99.729	1,97,42,400	99.729
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य			
3	वर्ष के अंत में	1,97,42,400	**99.729**	**1,97,42,400**	99.729

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र. सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए				
1	**इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड**				
क)	वर्ष के आरंभ में	48,800	0.247	48,800	0.247
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग)	वर्ष के अंत में	48,800	**0.247**	**48,800**	0.247
2	**बैंक ऑफ इंडिया**				
क)	वर्ष के आरंभ में	4,800	**0.024**	**4,800**	0.024
ख)	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग)	वर्ष के अंत में	4,800	**0.024**	**4,800**	0.024

v) निदेशकों, एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी) की शेयरधारिता:

क्र. सं	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	**लागू नही[1]**		**लागू नही[1]**	
1	वर्ष के आरंभ में				
2	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				

नोट:

1 इरकॉन के सभी शेयर भारत के राष्ट्रपति और उसके 10 नामितियों (99.729%), भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.(0.247%), तथा बैंक ऑफ इंडिया (0.024%) द्वारा धारित है।

V. ऋणग्रस्तता:

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं है:

	जमानत सहित रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- इसके अलावा				
- कमी		शून्य		
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त				
कुल (i + ii + iii)				

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधन निदेश, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*:

(राशि रुपए में)

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	पूर्णकालिक निदेशकों के नाम (2014-15 वर्षभर)				कुल राशि
		मोहन तिवारी, सीएमडी	के.के.गर्ग, निदेशक वित्त	दीपक सबलोक, निदेशक परियोजना	हितेश खन्ना, निदेशक कार्य	
1	सकल वेतन					
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	2,905,779	3,387,317	2,503,058	2,886,339	11,682,493
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	736,259	743,272	580,575	648,497	2,708,603
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमिशन					
	- लाभ के प्रतिशत के रुप में	-	-	-	-	-
	- अन्य, उल्लेख करें					
5	अन्य, उल्लेख करें					
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	2,160,440	1,449,947	1,430,520	1,407,743	6,448,650
	- सेवानिवृत्ति लाभ	267,560	239,473	236,194	232,475	975,702
	कुल	**6,070,038**	**5,820,009**	**4,750,347**	**5,175,054**	
	कुल(क)					**21,815,448**
	अधिनियम के अनुसार सीमा(नीचे नोट को देखें)					

ख अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(राशि रुपए मे.)

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
		प्रो. (डॉ.) एस.एस. चटर्जी (15.09.2014 तक)	बी.एम. शर्मा (18.09.2014 तक)	
1	स्वतंत्र निदेशक			
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क			
	- बोर्ड बैठक	30,000	30,000	60,000
	- समिति बैठक	100,000	60,000	160,000
ख)	आयोग	-	-	-
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-
	कुल	**1,30,000**	**90,000**	
	कुल (ख1)			**220,000**
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक	**अंजुम परवेज (2014-15 वर्षभर)**	**ए.के. रावल (2014-15 वर्षभर)**	
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	-	-	
ख)	आयोग			
ग)	अन्य (कपया स्पष्ट करे)			
	कुल (ख2)	**-**	**-**	**0**
	कुल [ख= ख1 + ख2]			**220,000**
			कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक [क + ख]	**22,035,448**
	अधिनियम के अनुसार सीमा(नीचे नोट को देखें)			

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रुपए मे.)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक					कुल राशि
		सीईओ*	कपनी सचिव			सीएफओ*	
			ललिता गुप्ता (30.04.2014 तक)	इति माटा(01.05.2014 से 30.09.2014)	सुमीता शर्मा (30.09.2014 से)		
1	सकल वेतन						
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		166,263	267,947	503,428		**937,638**
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		41,642	15,400	-		**57,042**
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन क एवेज में लाभ		-	-	-		
2	स्टॉक ऑप्शन		-	-	-		
3	स्वीट इक्विटी		-	-	-		
4	कमिशन						
	- लाभ के प्रतिशत के रुप में		-	-	-		**-**
	- अन्य, उल्लेख करें						
5	अन्य, उल्लेख करें						
	- कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (वर्ष 2012-13 हेतु)		566,188	17,012	141,721		**724,921**
	- सेवानिवृत्ति लाभ		449,611				**449,611**
	कुल (ग)		**1,223,704**	**300,359**	**645,149**		**2,169,212**
	अधिनियम के अनुसार सीमा(नीचे नोट को देखें)						

* सीएमडी, इरकॉन को कंपनी का सीईओ माना गया है और निदेशक वित्त, इरकॉन को कम्पनी का सीएफओ घोषित किया गया है और उनका पारिश्रमिक ऊपर क्र.सं. VI (क) पर दर्शाया गया है।

नोट:

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 से छूट प्राप्त है।

VII. "जुर्माना /दंड/ अपराधों का आवृत्ति:"

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाये गये जुर्माने/दंड/ संचयी शुल्क	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोइ हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना दंड कपाउंडिंग	--- शून्य ---				
ख. निदेशक					
जुर्माना दंड कपाउंडिंग	--- शून्य ---				
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना दंड कपाउंडिंग	--- शून्य ---				

अनुबंध

भारत के राष्ट्रपति और उनके नामितियो द्वारा शेयरधारिता की सूची
(31 मार्च, 2015 को)

कपनी का नाम: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

क.सं	धारक का नाम	धारित शेयरा की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	1,97,38,400	99.709
2	श्री अरुणेन्द्र कुमार* अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	400	0.002
3	सुश्री रश्मि कपूर* अवर सदस्य / वित्त [वित्त आयुक्त (रेलवे) का कार्यभार देख रही हैं], रेलवे बोर्ड	400	0.002
4	श्री वी.के.गुप्ता* सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड	400	0.002
5	श्री डी.पी.पांडेय* सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	400	0.002
6	श्री ए.के.मित्तल * सदस्य स्टाफ [सदस्य इलैक्ट्रिकल का कार्यभार देख रहे हैं], रेलवे बोर्ड	400	0.002
7	श्री आलोक जोहरी* सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड	400	0.002
8	श्री ए.के.मित्तल * सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड	400	0.002
9	श्री ए.के.रावल* अपर सदस्य (योजना), रेलवे बोर्ड	400	0.002
10	सुश्री सरोज रजवाडे* अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड	400	0.002
11	श्री प्रमोद शर्मा* कार्यपालक निदेशक (सा.क्षे.उ), रेलवे बोर्ड	400	0.002
	कुल	**1,97,42,400**	**99.729**

* राष्ट्रपति के प्रत्येक 10 नामितियों के पास 400 शेयर हैं, जो रेल मंत्रालय से सरकारी अधिकारी हैं।

परिशिष्ट - च

फॉर्म सं. एओसी-2

[कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में]

वित्त वर्ष 2014-15(1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि के लिए) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म-लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म.

1. संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य
2. सामग्री संविदाओं या संव्यवहार या व्यवस्था का विवरण जो आर्म लैथ आधार पर है

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	इरकॉन के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों का निष्पादन	दिनांक 8 जून 2012 का समझौता ज्ञापन अवधि - जारी	स्कूलों में शौचालयों के निर्माण, सौर प्रकाश आदि से संबंधित सीएसआर कार्य। इरकॉन ने कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड और लाभ के प्रति कार्य संवर्धन के विशिष्ट प्रतिशत पर इरकॉन आईएसएल को कार्य सौंपा था।	लागू नहीं	शून्य
2	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	इरकॉन पीबीटीएल के लिए बीकानेर-फलौदी परियोजना के इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) संविदा का निष्पादन	दिनांक 19 जनवरी 2015 का ईपीसी करार। अवधि: ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन पीबीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है।	यह संविदा प्रतिस्पर्धा आधार पर संविदा को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कोट किए गए मूल्य की तर्ज पर प्रदान किया गया है। इरकॉन पीबीटीएल द्वारा एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के अनुसार इस परियोजना को निष्पादित किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य
3	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	सीईआरएल के लिए छत्तीसगढ मे पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निषादन	परियोजना निष्पादन करार तिथि 18 जनवरी 2014 है। अवधि: रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	यह संविदा सीईआरएल द्वारा साउथ इस्टर्न रेलवे के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार है। इरकॉन को ओवरहैड तथा व्यय के अतिरिक्त संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा कार्य के वास्तविक लागत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य
4	छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) संयुक्त उद्यम कम्पनी	सीईडब्ल्यूआरएल के लिए छत्तीसगढ मे पूर्वी-पश्चिमी गलियारा रेल परियोजना का निषादन	परियोजना निष्पादन करार तिथि 05 अप्रैल 2014 है। अवधि: रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	यह संविदा सीईडब्ल्यूआरएल द्वारा साउथ ईस्टर्न इस्टर्न रेलवे के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार है। इरकॉन को ओवरहैड तथा व्यय के अतिरिक्त संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा कार्य के वास्तविक लागत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/ व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रुप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
5	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	इरकॉन आईएसएल के लिए म्यांमार में भू-तकनीकी अन्वेषणों के लिए विस्तृत अभिकल्प हेतु कार्य	इरकॉन को दिनांक 20 मार्च 2015 का कार्य प्रदान किए जाने संबंधी पत्र। अवधि - स्थल पर संसाधन जुटाने की तिथि से 6 माह या पुलों के अभिकल्प के लिए सभी संगत ब्यौरे उपलब्ध कराने की तिथि से 3 माह, जो कोई पहले हो।	यह कार्य 32.06 लाख रुपए के कुल मूल्य पर प्रदान किया गया है। यही इरकॉन को म्यांमार सरकार द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करने मे इरकॉन आईएसएल द्वारा ओवरहैड तथा परिकलित लाभ सहित आंतरिक लागत पर प्रदान किया गया है।	लागू नही	शून्य
		ख) मलेशिया मे इरकॉन की परियोजना के लिए आईएसएल श्रमशक्ति उपलब्ध कराएगा	करार तिथि 1 अप्रैल 2013. अवधि: करार पर हस्ताक्षर किए जाने से 2 वर्ष [जब तक की किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनो के लिखित नोटिस द्वारा इसे समाप्त नही किया जाता है, यह करार 2 वर्ष के लिए वैध रहेगा। जब तक कि कोई पक्ष अन्य पद्वा को इस करार को समाप्त करने की सूचना नही देता है, यह प्रत्येक दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।	करार मे निर्धारित श्रमशक्ति की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधान हेतु दरे उन दरों की तुलना में है जो समान प्रकार की श्रमशक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओ हेतु श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता एजेसियों द्वारा प्रभारित की जा रही हैं।	लागू नहीं	शून्य
		ग) श्रीलंका मे इरकॉन की परियोजना के लिए आईएसएल श्रमशक्ति उपलब्ध कराएगा	क. करार तिथि 21.09.2012. ख. अवधि: करार पर हस्ताक्षर किए जाने से 2 वर्ष [जब तक की किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनो के लिखित नोटिस द्वारा इसे समाप्त नही किया जाता है, 26.12.2015 यह करार 2 वर्ष के लिए वैध रहेगा। जब तक कि कोई पक्ष अन्य पद्वा को इस करार को समाप्त करने की सूचना नही देता है, यह प्रत्येक दो वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा।	यथोपरि	लागू नहीं	20%की दर से बिल से 2,50,000 अमरीकी डालरों की वसूली की जानी है।
		घ) इरकॉन आईएसएल के लिए स्टेशन परिसरो मे एमएफसी के अभिकल्प और निर्माण से संबंधित कार्य [2014-15 मे किए जाने वाला निर्माण कार्य]	कार्य प्रदान किए जाने के पत्र की तिथि 3 जून 2010 है।	व्यवहार्यता अध्ययन के पश्चात 24 चिहनित स्टेशनो पर एमएफसी का निर्माण। इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत जमा ओवरहैड व्ययो तथा लाभों के प्रति अतिरिक्त संविदा के विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया गया है।	लागू नहीं	शून्य
		ड.) इरकॉन आईएसएल से पट्टे पर ली गई लाइन ट्रैक टैंपिंग मशीन पर ड्यूमेटिक।	पत्र की तिथि 31 मार्च 2014 है। अवधि: श्रीलंका मे मशीन आरंभ होने से 24 माह।	मशीन को मासिक किराया प्रभार आधार पर पट्टे पर लिया गया है। सहमत पट्टा प्रभार समान मशीनो के लिए अंतरराष्ट्रीय पट्टा कम्पनियों द्वारा प्रभारित की तुलना में हैं।	लागू नहीं	शून्य

6	**"इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) आरएलडीए की सहायक और संयुक्त उद्यम कम्पनी"**	क) पालिका भवन, सेक्टर- XIII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 में कार्यालय परिसरों को पट्टे पर देना।	पट्टा करार तिथि 25 मार्च 2014 अवधि: 11 माह	वास्तविक व्यय पर धनवापसी आधार पर व्यवस्था।	लागू नहीं	शून्य
		क) पालिका भवन, सेक्टर- XIII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 में कार्यालय परिसरों को पट्टे पर देना।	पट्टा करार तिथि 25 मार्च 2014 अवधि: 11 माह	वास्तविक व्यय पर धनवापसी आधार पर व्यवस्था।	लागू नहीं	शून्य

नोट:

1 उपर्युक्त संव्यवहारो के अतिरिक्त, संबंधित पक्षों के साथ किए गए अन्य संव्यवहार निम्नानुसार है:

(i) कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों (यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, तथा आईआरएसडीसी), संयुक्त उद्यम कम्पनियों (यथा इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)], तथा अनिगमित संयुक्त उद्यमों (यथा इरकॉन-एफकॉन्स जेवी) मे तैनात किया है। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति वास्तविक लागत (सीटीसी) आधार पर है।

(ii) सहायक कम्पनियों यथा इरकॉन आईएसएल तथा आईआरएसडीसी की ओर से किए गए विविध व्यय जैसे विज्ञापन व्यय आदि की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाती है।

(iii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों (यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, तथा इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड) तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी (यथा आईएसटीपीएल) को उपलब्ध कराए गए कार्यालय स्थान को समान भवन मे अन्य किराएदारो से प्रभारित समान किराया वसूला जाएगा।

2 उपर्युक्त सभी संव्यवहारों को इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकत किया गया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 नवंबर, 2015

अनुबंध-छ

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

(स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
4 (क)	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखों में कम्पनी द्वारा शामिल नोट-34 का संदर्भ लिया गया है। नोट स्वत:स्पष्ट है।
4 (ख)	लेखापरीक्षा का यह मत वर्ष 2007 तथा 2009 में हस्ताक्षरित करार के संबंध में है और उन्हें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक स्थिति की अवहेलना की गई है। ये भुगतान 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 8 परियोजनाओं से संबंधित है और यह कम्पनी द्वारा प्राप्त वास्तविक भुगतानों के निर्धारित प्रतिशत (आरबीआई के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर) के रुप में थी। इन एजेंसियों का चयन तथा नियुक्ति कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए तथा दिशानिर्देशों और उद्योग की पद्धतियों के अनुसार एजेंसी की सेवाएं प्राप्त का अनुसारण करते हुए की गई थी। ये परियोजनाएं व्यापक रुप से पूरी भी हो गई हैं। कम्पनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसे करारों मे प्रवेश करने तथा भुगतानों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल या लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सभी भुगतान कम्पनी द्वारा भुगतान के लिए पावती प्राप्त होने तथा परियोजना प्रमुखों से संतोषजनक सेवाओं का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई थीं। विधिक अनुपालन संबंधी दस्तावेज भी लेखापरीक्षकों को दिखाए गए थे। अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट से संबंधित पैरा 4 (ख) तथा पैरा (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा किसी विशिष्ट गैर-अनुपालन की रिपोर्ट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट में बल दिए जाने वाले विषय में लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार कि कम्पनी ने इस संबंध मे नीतियों, प्रक्रियाओं तथा अभिलेखन को सुदढ़ बनाने के लिए कदम उठाए है, कम्पनी के निदेशक मंडल ने पहले ही इस विषय पर वृहत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। कम्पनी ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को प्रबंधन के विचारों से अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे संगत दस्तावेजों की जांच करे और उपर्युक्त अर्हता पर अपनी टिप्पणियां/सलाह दें।
8 (च)	कम्पनी इस विचार से सहमत नहीं है कि इससे कम्पनी की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पडता।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध :

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(iv)	नीतियों प्रक्रियों और अभिलेखन को सुदृढ बनाने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने पहले ही उपर्युक्त पैरा 4 (ख) मे उल्लिखित वृहत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों और लेखांकन मानकों के अनुसार है। एक विदेशी परियोजना, जिसकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती वर्षों में कम्पनी के योग्यताप्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई थी, को छोडकर विभिन्न इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सनदी लेखापरीक्षकों की बाहरी फर्मों को नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रुप से लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। कम्पनी का यह मत है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरुप है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार कम्पनी में एक सतत प्रकिया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 नवंबर, 2015

अनुबंध-ज

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध

(समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट मे टिप्पणियों का उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
4 (क)	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखों में कम्पनी द्वारा शामिल नोट-36 का संदर्भ लिया गया है। नोट स्वत:स्पष्ट है।
4 (ख)	लेखापरीक्षक का यह मत वर्ष 2007 तथा 2009 मे हस्ताक्षरित करार के संबंध में है और उन्हें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक स्थिति की अवहेलना की गई है। ये भुगतान 2007-08 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 8 परियोजनाओं से संबंधित है और यह कम्पनी द्वारा प्राप्त वास्तविक भुगतानों के निर्धारित प्रतिशत (आरबीआई के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर) के रुप में थी। इन एजेंसियों का चयन तथा नियुक्ति कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करते हुए तथा दिशानिर्देशों और उद्योग की पद्धतियों के अनुसार एजेंसी की सेवाएं प्राप्त का अनुसारण करते हुए की गई थी। ये परियोजनाएं व्यापक रुप से पूरी भी हो गई हैं। कम्पनी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसे करारों मे प्रवेश करने तथा भुगतानों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल या लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सभी भुगतान कम्पनी द्वारा भुगतान के लिए पावति प्राप्त होने तथा परियोजना प्रमुखों से संतोषजनक सेवों का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई थीं। विधिक अनुपालन संबंधी दस्तावेज भी लेखापरीक्षकों को दिखाए गए थे। अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट से संबंधित पैरा 4 (ख) तथा पैरा (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा किसी विशिष्ट गैर-अनुपालन की रिपोर्ट नही की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय विवरणो पर रिपोर्ट में बल दिए जाने वाले विषय में लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार कि कम्पनी ने इस संबंध मे नीतियों, प्रक्रियाओं तथा अभिलेखन को सुदढ बनाने के लिए कदम उठाए है, कम्पनी के निदेशक मंडल ने पहले ही इस विषय पर वृहत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। कम्पनी ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को प्रबंधन के विचारों से अवगत कराया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे संगत दस्तावेजों की जांच करे और उपर्युक्त अर्हता पर अपनी टिप्पणियां/सलाह दें।
8 (च)	कम्पनी इस विचार से सहमत नहीं है कि इससे कम्पनी की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पडता ।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध :

पैरा	प्रबंधन के उत्तर
(iv)	नीतियों, प्रकियों और अभिलेखन को सुदृढ बनाने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने पहले ही उपर्युक्त पैरा 4 (ख) मे उल्लिखित वृहत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों और लेखांकन मानकों के अनुसार है। एक विदेशी परियोजना, जिसकी लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती वर्षों में कम्पनी के योग्यताप्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई थी, को छोडकर विभिन्न इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सनदी लेखापरीक्षकों की बाहरी फर्मों को नियुक्त किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रुप से लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। कम्पनी का यह मत है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरुप है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार कम्पनी में एक सतत प्रकिया है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

(मोहन तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00191363)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 6 नवंबर, 2015

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

संस्थागत प्राधिकरण हेतु	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग	राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार *(भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त) अग्रणी अंतरराष्ट्रीय रेल तथा सड़क निर्माण कंपनी के रूप में कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता पुरस्कार	1983, 1984 1991 तथा 1993* 1988
ईईपीसी इंडिया जिसे पहले इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी)के नाम से जाना जाता था (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 25 पुरस्कार)	i. निर्यात उत्कृष्टता के लिए अखिल भारतीय शीर्ष निर्यातक शील्ड	1986 से 1993 1995 तथा 1996
	ii. क्षेत्रीय शीर्ष निर्यातक शील्ड - सिविल इंजीनियरिंग संविदाकार	1994, 1997
	iii. निर्यात के क्षेत्र में अखिल भारतीय विशेष शील्ड	1997
	iv. अधिकतम निर्यात के लिए अखिल भारतीय ट्राफी (टर्नकी औद्योगिक परियोजना निर्यातक गैर-एसएसआई)	1998
	v. मर्चेंट निर्यातकों की श्रेणी में शीर्ष निर्यातकों हेतु अखिल भारतीय ट्राफी	1999 से 2002 2004 तथा 2007
	vi. परियोजना निर्यातों के क्षेत्र में बड़े उपक्रम के रूप में स्टार निष्पादक के लिए अखिल भारतीय शील्ड	2005
	vii. मध्यम उपक्रमों के रूप में शीर्ष निर्यातकों हेतु रजत ट्राफी	2006
	viii. मर्चेंट निर्यातकों के रूप में शीर्ष निर्यातकों की श्रेणी में स्वर्ण ट्राफी	2008
	ix. अखिल भारतीय निर्यात पुरस्कार	2009
	x. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में रजन ट्राफी	2011 तथा 2013
	xi. 2012-13 के लिए शीर्ष मर्चेंट निर्यातक की श्रेणी में उत्कृष्ट निर्यातक के लिए रजन ट्राफी	2014
भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी) (पूर्व में भारतीय ओवरसीज निर्माण परिषद-ओसीसीआई) (कंपनी के अस्तित्व में आने से अब तक 45 पुरस्कार)	i. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण	1985,1989 से 1993, 1995 1997, 2000 से 2004
	ii. अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जन व उसे भारत में प्रत्यर्पण के लिए दूसरा सर्वात्तम कार्यनिष्पादन	1994, 2001, 2003 व 2005 से 2007
	iii. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर	1985 से 1989, 1992 से 1994, 1996, 1999, 2001 व 2002
	iv. विदेशी निर्माण परियोजनाओं में अधिकतम टर्नओवर में दूसरा सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन	1990,1991, 1995 व 2000
	v. निर्माण संविदाओं में नए क्षेत्रों में अर्जित अधिकतम विदेशी कार्य	1995, 1996, 2000 व 2001
	vi. अधिकतम विदेशी व्यापार प्रयास	1995 से 1998, 2002 व 2004
कंस्ट्रक्शन वर्ड	भारत में सर्वाधिक प्रशंसनीय निर्माण कंपनी	2009

पुरस्कार और प्रमाणपत्र

संस्थागत प्राधिकरण हेतु	पुरस्कार की प्रकृति	वर्ष
इस्सार स्टील और ई-18 तथा सीएनबीसी टीवी-18	रेल श्रेणी में अवसंरचना उत्कृष्टता पुरस्कार	2009
दैनिक भास्कर और दैनिक न्यूज़ एंड एनेलाइसिस (डीएनए) द्वारा इंडिया प्राइड अवार्ड	i. परिवहन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए रजत ट्राफी ii. अवसंरचना विकास में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण ट्राफी iii. भारत की छवि संवर्धन में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्कृष्टता iv. अवसंरचना विकास मे सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम- केन्द्रीय मे उत्कृष्टता	2010 2011 2013 2015
निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	निम्नलिखित श्रेणियो में सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार: a) 1000 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली सर्वोत्तम व्यावसायिक कंपनी b) पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू और कश्मीर के लिए सर्वोत्तम निर्माण परियोजना	 2012, 2014 तथा 2015 2014
डन एंड ब्रॉडस्ट्रीट	i. इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में वर्ष 2012 के लिए भारत का शीर्ष पीएसयू पुरस्कार ii. निर्माण - अवसंरचना विकास की मध्यम श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष अवसंरचना कंपनी के लिए रजत ट्राफी iii. जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क के लिए काजीगुंड-बेनिहाल खंड के लिए `रेलवे` श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ परियोजना iv. निर्माण और अवसंरचना विकास (रेलवे) की श्रेणी मे इन्फ्रा पुरस्कार। v. पटना मे गंगा नदी के उपर रेल सह सडक़ पुल के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना पुरस्कार	2012 2013 2013 2014 तथा 2015 2015
लोक उपक्रम संस्थान	i. एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ के लिए वैश्विक एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार, जिसे श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया। ii. एचआर ओरिएंटेशन वाले सीईओ के लिए एशिया पेसेफिक एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार 2013 पुरस्कार, जिसे श्री मोहन तिवारी, सीएमडी, इरकॉन को प्रदान किया गया। iii. सृजनात्मक मानव संसाधन पद्धतियो वाले संगठन के लिए एशिया प्रशांत एचआरएम कांग्रेस पुरस्कार।	2013 2013 2014
स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार	वर्ष 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं प्रतिक्रियात्मकता।	2014
भारतीय लागत लेखांकन संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वर्ष 2013 के लिए लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार	लागत प्रबंधन मे उत्कृष्टता - सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (बडा)।	2014

इरकॉन की वित्तीय विशेषताएं

(रु.करोड में)

क्र.सं	विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
1	**प्रचालनिक आय**	2,950	4,067	4,232	3,601	3,182	3,153	2,654	1,968	1,475	1,058
2	**एकीकृत संयुक्त उपक्रमों में टर्नवोवर में कम्पनी का शेयर**	89	(9)	(13)	(23)	(7)	(13)	(27)	(65)	(11)	(29)
3	एकीकृत संयुक्त उपक्रम में लाभ/(हानि) में कपनी का शेयर	2	(1)	1	2	7	2	7	(7)	1	1
4	**निवल प्रचालन आय**	2,864	4,057	4,220	3,580	3,182	3,142	2,634	1,896	1,465	1,030
5	अन्य आय	258	250	251	181	72	64	85	81	68	55
6	**कुल आय**	3,122	4,307	4,471	3,761	3,254	3,206	2,719	1,977	1,533	1,085
7	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	2,267	3,024	3,412	3,102	2,816	2,901	2,487	1,776	1,398	954
8	प्रचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी)	854	1,283	1,059	659	438	305	232	201	135	131
9	**ब्याज व्यय**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	मूल्यह्रास	10	34	44	57	37	41	44	41	24	20
11	**कर पूर्व लाभ**	844	1,249	1,015	602	401	264	188	160	111	111
12	**कर पश्चात लाभ**	579	907	730	470	241	182	140	114	76	81
13	लाभांश	182	182	148	94	49	37	30	30	26	26
14	**सामान्य आरक्षित निधियां**	3,334	2,971	2,277	1,733	1,372	1,181	1,012	903	824	768
15	विदेशी परियोजना आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	3	28	30	33	44
16	अन्य आरक्षित निधियां	-	2	3	-	-	5	25	6	7	7
17	कुल आरक्षित निधियां व अतिरेक	3,334	2,973	2,280	1,733	1,372	1,189	1,065	939	864	819
18	शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	163	170	180	196	244	236	260	279	260	160
19	दरसूचियां	114	119	125	135	165	373	430	159	89	42
20	विदेशी विनिमय अर्जन (निवल)	418	1,042	822	444	428	264	96	37	51	56
21	शेयर पूंजी	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10
22	लगाई गई पूंजी	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,205	1,078	951	876	830
23	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	**निवल परिसंपातियां**	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382	1,199	1,075	949	874	829
25	प्रयुक्त पूंजी पर कर पूर्व लाभ(%)	25	42	44	35	29	22	17	17	13	13
26	प्रयुक्त पूंजी पर प्रचालनिक मार्जिन (%)	26	43	46	38	32	25	22	21	15	16
27	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)	2,924	4,578	3,687	4,747	2,429	1,841	1,416	1,150	765	815
28	आय पर व्यय (%)	73	70	76	82	87	90	91	90	91	88
29	कर्मचारियों की संख्या	1,472	1,579	1,704	1,703	1,678	1,751	1,964	1,978	1,830	1,723
30	प्रति कर्मचारी आय	2.12	2.73	2.62	2.21	1.94	1.83	1.39	1.00	0.84	0.63
31	प्रति कर्मचारी विदेशी विनिमय अर्जन	0.28	0.66	0.48	0.26	0.25	0.15	0.05	0.02	0.03	0.03
32	चालू अनुपात	1.72	1.81	1.61	1.47	1.53	1.31	1.24	1.21	1.25	1.41
33	ऋण/इक्विटी अनुपात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	निवेश	737	494	295	208	185	130	234	246	234	213

नोट

* 25 से 28 प्रतिशत में हैं।

** 29,32 और 33 करोड़ रुपए में नहीं हैं।

इरकॉन

स्टैंडएलोन

वित्तीय विवरण

2 0 1 4 - 1 5

विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
909, चिरंजीवी टावर,
43 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
बी-30, कनॉट प्लेस, कुथियाला बिल्डिंग
नई दिल्ली-110001

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 को तुलनपत्र, इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, अल्जीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखारीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्नों को शामिल किया गया है।

2. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिदृष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड प्रवाह के सबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं है और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, ताकि परिस्थितियों के अनुरुप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे वित्तीय विवरणों पर योग्य लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. योग्य मत के लिए आधार

(क) कंपनी संयुक्त उपक्रम कंपनी, कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फीरो डा बेरा एसएआरएल (सीसीएफबी) से देय शेयरधारक ऋण और उस पर संचित ब्याज को 31 मार्च 2011 को प्रचलित विनिमय दर पर अग्रशेष कर रही है तथा लेखांकन मानक-11 के अनुरूप दिनांक 31.03.2015 के वर्तमान दरों पर मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप, दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम 25.74 करोड़ रुपए तक कम और कर पूर्व लाभ 25.74 करोड़ रुपए तक कम (चालू वर्ष में 5.59 करोड़ रुपए, पूर्ववर्ती वर्ष में 20.15 करोड़ रुपए) हो गए हैं। (नोट सं. 34 का संदर्भ लें)। इस मुद्दे को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में अर्हित भी किया गया था।

यदि उपर्युक्त के प्रभाव को प्रस्तुत किया जाता है तो दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम और कर पूर्व लाभ 25.74 करोड़ रुपए अधिक होते।

ख. कमिशन के रुप में दी गई 12.74 करोड़ रुपए की राशि को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण के नामे डाला गया है (पिछले वर्ष 37.91 करोड़ रुपए), जैसा कि दो देशों में परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास, एजेंसी और परामर्श प्रभारों के रुप में नोट सं. 24 में प्रचालन और प्रशासनिक व्ययों में शामिल किए गए हैं। इन परियोजनाओं के आरंभ होने से अब तक इस संबंध में लाभ और हानि के विवरण के नामे डाली गई कुल राशि 422.43 करोड़ रुपए है। उक्त राशि को संबंधित सरकार/सरकारी एजेंसियों के लिए इन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए आर्डर प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त विदेशी एजेंटों को कमिशन के प्रति भुगतान किया गया है/किया जाना है।

विदेशी कमीशन एजेंटों को सिंगापुर (एक देश में परियोजना हेतु)और हांगकांग (अन्य देश में परियोजना हेतु)में पंजीकृत किया गया है। कंपनी विदेशी एजेंटों की नियुक्ति के समय किसी वित्तीय विवरण, कर रिटर्नों, एजेंट के प्रोफाइल, उनके अनुभव का ब्यौरा, उनकी स्थिति और ट्रैक रिकार्ड को प्राप्त नहीं किया जाता था। विदेशी एजेंटों की नियुक्ति और उन्हें भुगतान लेखापरीक्षा समिति या निदेशक मंडल की स्वीकृति से नहीं किया गया है। हम कमिशन एजेंटों के चयन और नियुक्ति के लिए अनुसरण की जा रही प्रक्रिया, उनकी वास्तविक पहचान के संबंध में दस्तावेज, उनकी स्थिति, विशेषज्ञता और एजेंटों के अनुभव के संबंध में संतुष्ट नहीं हैं।

इन भुगतानों के संबंध में विधिक अनुपालनों के संबंध में हमें कोई साक्षय या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इस विषय में लेखापरीक्षकों द्वारा बल दिया गया था।

5. योग्य मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार सहायक कंपनियों के उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2015 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, और इसके लाभ और इसके रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

6. विषय पर बल

क. हम ग्राहक, उत्तरी रेल द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल संपर्क परियोजना (यूएसबीआरएल) नामक ब्रॉड गेज रेल संपर्क परियोजना के निष्पादन में 1099.25 करोड़ रुपए की राशि के कतिपय व्ययों की स्वीकार्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट सं.31 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

ख. हम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत दावित कटौती को अनुमति प्रदान न किए जाने और भारत में अन्य देशों की स्थायी इकाइयों द्वारा अर्जित आय की कर योग्यता के लिए वित्तीय विवरणों में किए गए आयकर प्रावधानों के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट सं. 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दोनों ही मुद्दों को कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य मुद्दे

हमने कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 7 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2015 को 2,459.71 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा

उक्त तिथि का समाप्त वर्ष के लिए 2,140.59 करोड़ रुपए को प्रदर्शित करता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रुप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रम (ज़ेवी) लेखों में लाभ/हानि में कंपनी का भाग शामिल है, जिसमें से 4 संयुक्त उपक्रम खातों को अन्य सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रमाणित किया गया है और 1 संयुक्त उपक्रम (इरकॉन-एसपीएससीपीएल) को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

8. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (आदेश) द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण अ हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

II. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा योग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(क)में वर्णित मामले के प्रभावों से इतर, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बिहयों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षाकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहायों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा योग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(क)में वर्णित मामले के प्रभावों से इतर, उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप हैं।

(च) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा योग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(ख)में वर्णित मामलों से कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) लेखों के अनुरक्षण और इससे संबंधित अन्य विषयों से संबंधित अर्हता का उल्लेख उपर्युक्त पैरा योग्य मत के लिए आधार के खंड 4(क)में किया गया है।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 29, 33 और 34 का संदर्भ लें।

(ख) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है- वित्तीय विवरणों के नोट सं. 27(ख) में अपरिहार्य घाटो का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(ग) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

III. अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप-निदेशों के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:

क.सं	विवरण	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	यदि कंपनी को विनिवेश के लिए चुना जाता है तो विनिवेश प्रकिया के माध्यम तथा वर्तमान स्तर सहित परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियो और भूमि सहित) तथा देयताओं (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यशंकन के संबंध मे एक सम्पूर्ण स्थिति रिपोर्ट।	लागू नहीं है।
2.	कृपया बताएं कि क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि में छूट/ बट्टा खाता डाले जाने को यदि कोई मामला है, यदि हों तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि का उल्लेख करें।	कंपनी ने सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 2.37 करोड रुपए के पुराने देयों के अंतिम निपटान, गैर-वसूली के कारण 0.97 करोड़ रुपए के अग्रिमों तथा 0.01 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डाला है।
3.	क्या तीसरी पक्षों के पास पड़ी इंवेटरी तथा सरकार और अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपकार के रुप में प्राप्त परिसंपत्तियो का उचित रिकाई रखा गया है?	तीसरे पक्षों के पास पड़ी इंवेंटरियों के लिए उचित रिकाई रखे जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से परिसंपत्तियों के रुप में कोई उपहार प्राप्त नहीं हुए हैं।
4.	सभी विधिक मामलो (विदेशी और स्थानीय) के लंबित होने के कारण तथा उनकी उपस्थिति और इन पर व्यय के लिए मॉनीटरिंग तंत्र सहित आयुवार विश्लेषण/ मध्यस्थता मामलों पर रिपोर्ट।	लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों के आयुवार विश्लेषण के लिए अनुबंध ख का संदर्भ लें। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कानूनी/ मध्यस्थता के मामलों की व्यवस्था कंपनी द्वारा पैनलीकृत एड्वोकेटों के माध्यम से की जाती है। विधिक/ मध्यस्थता के मामलों के लिए देय/भुगतान किए गए शुल्कों को कंपनी की अधिकार अनुसूची के अनुसार कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
सदस्यता सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 006711एन

नीना गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्तूबर, 2015

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक-क

(इसके पैरा 8(1) का संदर्भ लें))

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसी जांचों के आधार पर, जिसे हम उपयुक्त समझते हैं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि:

i. क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

ii. क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

ग) हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रुप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) (क) तथा (ख) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

iv. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मुख्य रिपोर्ट में मान्य मत के आधार के पैरा सं 4(ख) में वर्णित अनुसवार को छोड़कर इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री के लिए कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवशकयता है। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कम्पनी में युक्तियुक्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को सुदृढ बनाए जाने की आवश्यकता है।

v. हमे दी गई सूचना औस स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकार्डों की हमारी जांच के अनाुसार, समूह निकाय ने जनसाधारण से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधानों और अन्य संगत प्रावधानो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नही होते है।

vi. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों औरा रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं जैसा कि हमें उल्लेख किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा और उत्पाद शुल्क के प्रति कंपनी का कोई बकाया देय नही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2015 को कोई गैर-विवादित सांविधिक देय राशियां बकाया नहीं है, जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय हो।

ख) 31.03.2015 को कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	आईए- हैंगर, बम्बई में निष्पादित कार्य के लिए लगाया गया सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय के लिए नामंजूरी	11.89*	2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर अधिनियम, 1961	32.97*	2010-11	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 80-आईए में कटौती के लिए गैर-अनुमति, विदेशी भत्ते पर कर एवं अन्य गैर-अनुमति	43.50*	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.53	1996-97	मुम्बई उच्च न्यायालय
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	2.65	2003-04	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	0.80	2004-05	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर 2005-06, गोधरा	1.90	2005-06	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गोवा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	इनपुट कर की नामंजूरी कर ऋण व कर योग्य राशि के मूल्यांकन से सम्बंधित मुद्दे	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकार, मरगाव
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.56	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.13	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.76	2008-09	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.11	2009-10	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	1.00	2010-11	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.22	2011-12	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007 और उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	प्रवेशकर/ बिक्री कर के लिए मांग	4.80	2004-05 से 2009-10	संयुक्त आयुक्त, अपील, बरेली
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.91	2008-09 व 2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, नोएडा
स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेशकर के लिए मांग	0.03	2010-11	उपायुक्त बिक्रीकर, लखनऊ

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.08	1982-83 व 1989-90	अपील अधिकरण, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपीटीटी के लिए मांग	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम,	यूपीटीटी के लिए मांग	0.43	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.26	2009-10	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	0.60	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.30	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	प्रवेश कर के लिए मांग	0.22	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.38	2009-10	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट	1.23	2009-10	उपायुक्त, वाणिज्यि कर, रायबरेली
ओडीशा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	बिक्री कर के लिए मांग	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर ओडीशा
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	0.28	1998-99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	1.75	1987-88 से 1994-95	बेहाला बिक्री कर अधिकरण- कहलगांव
बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यय की नामंजूरी	5.98**	2005-06 से 2006-07	उपायुक्त बिक्रीकर, बिहार
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.31	2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.26	2008-09	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	वरिष्ठ जेसीसीटी, धरमतला प्रभार, कोलकाता
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.55	2011-12	बिक्री कर उपायुक्त -पश्चिम बंगाल- कॉलेज स्ट्रीट प्रभार

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना बिहार
जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	129.77**	1999-00 से 2010-11	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर
कर्नाटक वेट	सकल लाभ को अपनाने में विवाद और उस पर दंड	0.85	2006-07	कर्नाटक अपील अधिकरण
कर्नाटक वेट	कर की दर में अंतर और उस पर लगाया गया ब्याज	0.50	2009-10	उपायुक्त (अपील) त्रिवेंद्रम
आयकर विभाग, बांग्लादेश	आयकर मांग	5.55	ए/वाई 2011-12	कर अपील अधिकरण, बांग्लादेश
अल्जीरिया निगमित कर कानून	निगमित कर	5.45	2010, 2011, 2012 व 2013	डीजीई कर कार्यालय
वित्त अधिनियम , 1994	सेवाकर	19.95	2001-02 से 2006-07	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली

*31 मार्च 2015 से आगे, आयकर विभाग ने 88.36 करोड़ रुपए की कुल मांग के प्रति अन्य वर्षों के 54.76 करोड़ रुपए के रीफंड को समायोजित किया है और इस पर विवाद है।

** कंपनी ने 135.75 करोड़ रुपए की मांग के प्रति 112.44 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और इस पर विवाद है।

ग. हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में किसी राशि को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

viii. हमारी लेखापरीक्षा अवधि और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई हानियां नहीं हुई है न ही इस अवधि में किसी प्रकार की संचित हानियां हुई हैं।

ix. वर्ष के दौरान कंपनी की वित्त संस्था, बैंक या डिवेंचेर धारकों के प्रति कोई बकाया देय राशि नहीं है। तदनुसार, आदेशक का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं है।

x. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कम्पनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गांरटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

xi. वर्ष के दौरान कंपनी का कोई आवधिक ऋण नहीं है। तदनुसार, आदेशक का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
सदस्यता सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 006711एन

नीना गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्तूबर, 2015

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध - ख

(लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों के आयसुवार विश्लेषण पर पैरा 8(III) के संदर्भ में)

1. प्रत्यक्ष कर

क्र.सं.	आयु (वर्ष में)	संलिप्त राशि (रु.करोड में)	लंबित होने के प्रमुख कारण
1.	एक वर्ष तक	172.89	धारा 80 आईए के अंतर्गत दावित कटौती की नामंजूरी, विदेशी परियोजनाओं द्वारा अर्जित आय के लिए विधि को समाप्त करने की नामंजूरी तथा ब्याज मुक्त आय आदि के लिए धारा 14 क के अंतर्गत नामंजूरी
2.	1 से तीन वर्ष	57.17	
3.	3 वर्ष से अधिक	137.17	
	कुल	**367.23**	

2. अप्रत्यक्ष कर

क्र.सं.	आयु (वर्ष में)	संलिप्त राशि (रु.करोड में)	लंबित होने के प्रमुख कारण
1.	एक वर्ष तक	0.50	विभिन्न प्राधिकार स्तरों पर लंबित मुकदमों के कारण बिक्री कर, वेट, प्रवेश कर, सीमा शुल्क आदि के अंतर्गत उत्पन्न विभिन्न मांगें।
2.	1 से तीन वर्ष	-	
3.	3 वर्ष से अधिक	195.70	
	कुल	**196.20**	

3. उपठेकेदारों के दावे

क्र.सं.	आयु (वर्ष में)	संलिप्त राशि (रु.करोड में)	लंबित होने के प्रमुख कारण
1.	एक वर्ष तक	165.62	परिसमापन क्षतियों, गुणवत्ता विषयों, मूल्य वृद्धि दावों आदि जैसे विषयों के कारण कंपनी पर या द्वारा उप ठेकेदारो द्वारा उठाए गए विभिन्न दावे।
2.	1 से तीन वर्ष	915.60	
3.	3 वर्ष से अधिक	276.17	
	कुल	**1357.39**	

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
सदस्यता सं.511741

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्तूबर, 2015

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 006711एन

नीना गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 057986

तुलन पत्र

31 मार्च 2015 को

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
I						
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	**19.80**		19.80	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	**3,333.71**	**3,353.51**	2,973.23	2,993.03
2	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) दीर्घकालिक देयताएं	4	**178.08**		172.22	
	(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5	**351.03**	**529.11**	407.15	579.37
3	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	6	**450.85**		594.50	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	7	**1,586.75**		1,178.01	
	(ग) अल्पकालीन प्रावधान	8	**828.42**	**2,866.02**	812.65	2,585.16
	कुल			**6,748.64**		**6,157.56**
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) नियत परिसंत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	9	**157.24**		153.09	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	9	**0.03**		0.01	
	(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	10	**1.01**		1.01	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	11	**5.20**		-	
	(v) पारगमन में मशीनरी		**-**		15.64	
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**671.15**		318.21	
	(ग) आस्थगित कर परिसपत्ति (निवल)	13	**274.31**		301.37	
	(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	**640.78**		632.36	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	15	**66.18**	**1,815.90**	43.85	1,465.54
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	16	**66.06**		176.02	
	(ख) दरसूचियां	17	**114.29**		118.80	
	(ग) व्यापार प्राप्य	18	**571.50**		778.40	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	19	**3,202.83**		2,675.36	
	(ड.) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	**342.87**		445.09	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	21	**635.19**	**4,932.74**	498.35	4,692.02
	कुल			**6,748.64**		**6,157.56**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1				
IV.	समेकित वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006711एन

मुकेश दधीच
साझेदार
स.सं. 511741

नीना गोयल
साझेदार
स.सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:28.07.2015

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	22	**2,950.22**	4,066.82
	घटा :-एकीकत संयुक्त उद्यम में टर्नओवर में कपनी का भागे		**88.62**	8.81
	जमा:- एकीकत संयुक्त उद्यम में लाभ / (हानि) में कपनी का भाग		**2.39**	(0.81)
			2,863.99	4,057.20
	अन्य आय	23	**257.75**	249.37
	कुल राजस्व		**3,121.74**	**4,306.57**
II.	**व्यय :**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	24		
	- प्रचालनिक व्यय		**2,039.50**	2,728.51
	- प्रशासनिक व्यय		**30.60**	35.84
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	**188.36**	221.07
	वित्तीय लागतें	26	**8.93**	38.45
	मूल्यहृास एवं परिशोधन	9	**10.06**	33.64
	कुल व्यय		2,277.45	**3,057.51**
III.	**कर पूर्व लाभ (I - II)**		**844.29**	**1,249.06**
IV.	**कर व्यय :**			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		**196.95**	348.20
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**40.89**	26.75
	(2) आस्थगित कर (निवल)	13	**27.06**	(32.39)
	कुल कर व्यय		**264.90**	342.56
V.	**वर्ष के लिए लाभ (अल्प हित के समायोजन से पूर्व) (V-VI)**		**579.39**	**906.50**
VI.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित (रु.में)	48	**292.68**	457.92
VII.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
VIII.	पूर्व अवधि समायोजन	28		
IX.	वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-49		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 06711एन

मुकेश दधीच
साझेदार
स.सं. 511741

नीना गोयल
साझेदार
स.सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:28.07.2015

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		844.29		1,249.06	
निम्न के लिए समायोजन:					
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		10.06		33.64	
निवेश की किश्तों पर छूट		0.01		0.35	
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		1.41		(0.19)	
ब्याज आय		(217.81)		(229.51)	
प्रावधान - जमा (बट्टा खाता) निवल		(26.44)		140.02	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(19.90)		7.72	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	591.62		1,201.09	
निम्न के लिए समायोजन:					
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		221.78		585.67	
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		4.51		5.76	
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		(177.03)		(252.57)	
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		(143.65)		(39.21)	
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		134.67		(1,202.14)	
	(2)	40.28		(902.49)	
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	631.90		298.60	
प्रदत्त आयकर		(145.43)		(234.95)	
प्रचालनिक निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	(क)		486.47		63.65
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(7.48)		(26.50)	
निवेश संपत्ति की खरीद		(15.85)		(245.55)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		2.32		0.91	
सहायक कंपनिया और संयुक्त उद्यमों को ऋण		(43.62)		(27.84)	
सहायक कंपनिया और संयुक्त उद्यमों को ऋण का पुनर्भुगतान		23.15		13.70	
प्राप्त ब्याज	236.08		250.66		
इक्विटी आर बांडों में निवेश		(117.32)		(135.14)	
(निवेश) / बैंक जमा राशियों की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		(863.64)		366.09	
चालू निवेश (निवल) की (खरीद) /बिक्री		134.96		(61.42)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		(651.40)		134.91
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
प्रदत्त लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(190.73)		(233.16)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		(190.73)		(233.16)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)		19.90		(7.72)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(क+ख+ग+घ)		(335.76)		(42.32)
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)		1,524.81		1,567.13
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)		1,189.05		1,524.81
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(छ -ज)		(335.76)		(42.32)

नोट:
1. समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक-3/रोकड़ प्रवाह विवरण के रुप मे निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया है।
2. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दशार्ते हैं।
4. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुन: समूहित किए गए हैं।
5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 679.68 करोड़ रु. (272.31 करोड रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
स.सं. 511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006711 एन

नीना गोयल
साझेदार
स. सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:28.07.2015

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) समूह संबंधी सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय (सामूहिक रुप से समूह में) आरंभ करने के पश्चात, सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्र में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कार्यरत है। कंपनी गुणत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी; अनुसूची `क` की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनी रत्न श्रेणी-। कंपनी है।

(ii) तैयार करने के आधार

क) ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं। सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) में कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत धारा-133 तथा अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित स्तर तक) के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल हैं। लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुप्रयोग किया गया है, उन स्थानों को छोड कर जहां नए रुप से जारी लेखांकन मानकों को आरंभिक तौर पर अपनाया गया है या लेखांकन नीति में परिवर्तन की अपेक्षा के अनुसार मौजूदा लेखांकन मानक को संशोधित किया गया है।

ख) वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(iii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर किया जाता है।

ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचालित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

i) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को विद्यमान दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचालित अंतिम क्रय का उपयोग करके परिवर्तित की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

i) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

ii) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को दर पर रूपांतरित किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

iv) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियां

(क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

(ख) मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यहृसित/परिशोधन किया जाता है।.

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप हैं, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घाटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(v) निवेश

क) गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है, यदि कोई हो।

ख) चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग) भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, उसे निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लिखित किया जाता है।

(vi) मालसूचियाँ

(क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) अन्य

(i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नही है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रुप में दर्शाया गया है।

(ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

(iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(vii) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(viii) प्रावधान

(क) अनुरक्षण के लिए प्रावधान

(i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

(iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

(ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

(ग) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो। तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

(घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(ix) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते

रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आंकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रूप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(x) संयुक्त उद्यम (जेवी) संविदाओं के लिए लेखांकन

(i) कार्य भागीदारी व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रित प्रचालनों को स्वतंत्र संविदाओं के रूप मे लेखांकित किया जाता है;

(ii) संयुक्त नियंत्रित निकाय द्वारा निष्पादित संविदाओं के संबंध में,

(क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

- लाभों या हानियो में कंपनी के भाग का लेखांकन संयुक्त उद्यमों द्वारा लाभों या हानियों के निर्धारण पर किया जाता है।
- निवेशों को मान्य लाभों या हानियों में कपनी के भाग की निवल लागत पर लेखांकित किया जाता है और शुद्ध निवेश को निवेशों, ऋणो तथा अग्रिमों या चालू देयताओं के रूप मे प्रदर्शित किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ख) गैर निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय:

- निवेश पर आय को तब मान्य माना जाता हे जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- ऐसे संयुक्त उद्यमों में निवेश को मूल्य मे किसी प्रकार की कमी के लिए प्रावधान करने के पश्चात लागत पर लेखांकित किया जाता है, जो प्रकृति में अस्थायी से इतर हो।

(xi) पट्टे

(i) प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

(ii) प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

(xii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

(i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/ विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiii) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xiv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा।

(xv) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर, 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के

वर्ष में पूर्णत: परिशोधित किया जाएगा।

(xvi) क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति की वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है।इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है।

(xvii) उधार लागतें

(i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

(ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xviii) कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

(i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने के लिए संभावित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

(i) भविष्य निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

(ii) समूह अपने कर्मचारियों के लिए उपदान निर्धारित लाभ योजना प्रचालित करता है। लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के अंत में यूनिट क्रैडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(iii) छुट्‌टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

(xix) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

(i) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xx) कर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का मूल्यांकन लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

(ii) अस्थगित कर परिसंपत्त्यिों का निर्धारण केवल उसी स्तर तक किया जाता है, जहां युक्तिसंगत निश्चितता हो कि अस्थगित पर परिसंपत्तियों को छोड़ कर पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी, यदि वहां गैर-आमेलित मूल्यह्रास या हानियां होती हैं तो इन्हें उस स्थिति में निर्धारित किया जाएगा जब वहां वास्तविक निश्चितता हो कि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी।

(iii) अस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxi) खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्‌टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्‌टा व प्रचालन) पट्‌टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxii) प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiii) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

(क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i) भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii) वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii) एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

(ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान होती है, ना ही प्रकटन।

(ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2. शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2015 को	31मार्च 2014 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. (25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.)	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त (1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त)	**19.80**	19.80
कुल	**19.80**	**19.80**

i) धारित शोयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**19,742,400**	**99.729%**	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**48,800**	**0.247%**	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**4,800**	**0.024%**	4,800	0.024%
कुल	19,796,000	100%	19,796,000	100%

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर : वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णत: प्रदत्त बोनस शेयरों के रुप में प्रत्येक 10 रुपए के 98,98,000 इक्विटी शेयर।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग
कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश
कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) परिसमापन
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	19,796,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	**19,796,000**	**19.80**

3. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. सीएसआर आराक्षित निधि					
आरंभिक शेष		1.71		2.90	
घटा :- लाभ और हानि विवरण में अंतरण	(i)	1.71	-	1.19	1.71
ख. आरक्षित निधि					
आरंभिक शेष		2,971.52		2,277.67	
जमा: लाभ हानि विवरण में अधिशेष से अंतरण (नीचे (ग) का संदर्भ लें)		362.19	3,333.71	693.85	2,971.52
ग. लाभ और हानि विवरण में अधिशेष					
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ		579.39		906.50	
विनियोजन					
जमा:					
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि से अंतरण		1.71		1.19	
घटा:					
- अंतरिम लाभांश (प्रति शेयर लाभांश 40/- रु. (51/- रु.)		79.18		100.96	
- प्रस्तावित लाभांश (प्रति शेयर लाभांश 52/- रु. (41/- रु.)		102.94		81.16	
- अंतरिम लाभांश पर कर		15.83		17.16	
- प्रस्तावित लाभांश पर कर		20.96		14.56	
- सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण		362.19	-	693.85	-
कुल			3,333.71		2,973.23

फुट नोट:

(i) धारक कंपनी ने 4.93 करोड़ रुपए (7.30 करोड रुपए) की आवश्यकता की तुलना में वर्ष के दौरान 6.72 करोड़ रुपए (8.49 करोड रुपए) खर्च किए हैं और 1.71 करोड रुपए पूर्ववता वर्ष के करी फार्वड शेष क प्रति है (संदर्भ नोट 47)।

4. दीर्घकालिक देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
(क) व्यापार देय			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 46 का संदर्भ लें)		-	-
- अन्य		8.38	2.46
(ख) अन्य देयताएं			
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा	(i)	69.24	49.48
- एनएचएआई को देय आस्थगित कर देयता		100.46	120.28
कुल		178.08	172.22

फुट नोट:

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - 12.40 करोड़ रु. (2.13 करोड़ रु.)

5. दीर्घकालिक प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 का		31 मार्च 2014 को	
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 27 और 44 का संदर्भ लें)					
i) उपदान		**61.79**		57.76	
ii) छुट्टी वेतन		**75.85**		73.54	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		**1.20**		1.20	
iv) सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		**1.36**		-	
v) यात्रा छुट्टी रियायत		**0.12**	**140.32**	0.13	132.63
(ख) अन्य प्रावधान: (नोट सं 27 का संदर्भ लें)					
i) विसंग्रहण		**7.89**		24.01	
ii) अनुरक्षण		**96.87**		55.37	
iii) डिजाईन गारंटी		**105.36**		172.20	
iv) अन्य व्यय		**0.59**	**210.71**	22.94	274.52
कुल			**351.03**		**407.15**

6. व्यापार देय राशियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 का	31 मार्च 2014 को
व्यापार देय राशियां			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग			
(नोट 46 का संदर्भ लें)		**-**	-
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		**434.65**	576.65
(ख) संबंधित पक्ष		**16.20**	17.85
कुल		**450.85**	**594.50**

7. अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 का		31 मार्च 2014 को	
(क) अग्रिम ठेका प्राप्तियां			**24.63**		109.77
(ख) ग्राहकों से अग्रिम	(i)		**1,030.37**		604.59
(ग) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि			**490.50**		412.16
(ड.) सांविधिक देय		**209.81**		196.09	
घटा :- विरोध में जमा राशि		**(184.31)**	**25.50**	(168.80)	27.29
(च) बही ओवरड्राफ्ट			**0.10**		0.24
(छ) स्टाफ			**0.98**		2.82
(ज) अन्य	(ii)		**14.67**		21.14
कुल			**1,586.75**		**1,178.01**

फुट नोट:

i) ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - 69.47 करोड़ रु. (67.96 करोड़ रु.)

ii) बकाया व अन्य देयताओं सहित।

8. अल्पकालीन प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 का			31 मार्च 2014 को		
(क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान:						
(नोट सं 27 और 44 का संदर्भ लें)						
i) उपदान		**4.52**			4.09	
ii) छुट्टी वेतन		**6.95**			6.56	
iii) सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		**0.08**			0.09	
iv) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		**5.97**			17.50	
v) पेंशन		**26.18**			23.61	
vi) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		**18.82**			22.42	
vii) छुट्टी यात्रा रियायत		**0.01**	**62.53**		0.01	74.28
(ख) अन्य प्रावधान: (नोट सं 27 का संदर्भ लें)						
i) विसंग्रहण		**40.59**			23.92	
ii) अनुरक्षण		**37.01**			161.37	
iii) प्रत्याशित घाटा		**12.55**			10.12	
iv) अभिकल्प गारंटी		**52.72**			56.99	
v) कानूनी मामले		**72.05**			47.93	
vi) अन्य व्यय		**49.68**			28.05	
vii) आय कर तथा संपत्ति कर	**901.96**			868.46		
घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	**(524.57)**	**377.39**		(553.43)	315.03	
viii) लाभांश (प्रस्तावित)		**102.94**			81.16	
ix) लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		**20.96**	**765.89**		13.80	738.37
कुल			**828.42**			812.65

9. स्थिर परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

	स्थिर परिसंपत्तियां	फुट नोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास				क्षति	निवल ब्लॉक	
			1.04.2014 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2015 को	31-3-2014 तक	वर्ष के लिए	बिक्री/ समायोजन	31-3-2015 तक	31.03.2015 को	31.03.2015 को	01.04.2014 को
क	**मूर्त परिसंपत्तियां**												
	स्वामित्व भूमि		2.30	-	-	**2.30**	-	-	-	**-**	**-**	**2.30**	2.30
	पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	**36.39**	0.18	0.01	-	**0.19**	**-**	**36.20**	36.21
	पट्टे के भवन	(iv)	42.44	-	-	**42.44**	5.79	0.77	-	**6.56**	**-**	**35.88**	36.65
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	(i)	9.30	-	(0.57)	**8.73**	2.69	0.14	(0.14)	**2.69**	**-**	**6.04**	6.61
	पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय		10.64	-	(3.52)	**7.12**	1.72	0.16	(0.74)	**1.14**	**-**	**5.98**	8.92
	संयंत्र और मशीनरी	(i & ii)	341.75	16.28	(6.16)	**351.87**	283.14	6.89	(5.82)	**284.21**	**0.87**	**66.79**	58.61
	सर्वेक्षण संयंत्र		3.46	0.08	(0.20)	**3.34**	3.25	0.02	(0.17)	**3.10**	**-**	**0.24**	0.21
	कम्प्यूटर		8.43	0.41	(0.44)	**8.40**	7.69	0.35	(0.42)	**7.62**	**-**	**0.78**	0.74
	मोबाईल हैंडसेट		0.22	0.02	(0.03)	**0.21**	0.19	0.02	(0.03)	**0.18**	**-**	**0.03**	0.03
	कार्यालय उपस्कर		7.21	0.42	(0.65)	**6.98**	6.44	0.24	(0.64)	**6.04**	**-**	**0.94**	0.77
	फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग		8.06	0.38	(0.45)	**7.99**	7.56	0.15	(0.43)	**7.28**	**-**	**0.71**	0.50
	कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड		6.00	0.11	(1.41)	**4.70**	5.99	0.02	(1.42)	**4.59**	**-**	**0.11**	0.01
	वाहन	(i)	14.63	-	(0.69)	**13.94**	13.10	0.18	(0.58)	**12.70**	**-**	**1.24**	1.53
	चालू वर्ष का जोड़		490.83	17.70	(14.12)	494.41	337.74	8.95	(10.39)	336.30	0.87	157.24	153.09
	पिछले वर्ष के आंकड़े		495.71	10.60	(15.48)	490.83	317.78	33.60	(13.64)	337.74	-	153.09	177.93
ख	**अमूर्त परिसंपत्तियां**												
	सॉफ्टवेयर		1.76	0.22	-	**1.98**	1.75	0.20	-	**1.95**		**0.03**	0.01
	चालू वर्ष का जोड़		1.76	0.22	-	1.98	1.75	0.20	-	1.95	-	0.03	0.01
	पिछले वर्ष के आंकड़े		1.71	0.05	-	1.76	1.71	0.04	-	1.75	-	0.01	-
	चालू वर्ष का सकल योग		492.59	17.92	(14.12)	496.39	339.49	9.15	(10.39)	338.25	0.87	157.27	153.10
	पिछले वर्ष के आंकड़े		497.42	10.65	(15.48)	492.59	319.49	33.64	(13.64)	339.49	-	153.10	177.93

फुट नोट :

(i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बही मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

परिसंपति ब्लॉक	मार्च 2015 को		मार्च 2014 को	
	सकल ब्लॉक	**निवल ब्लॉक**	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
संयंत्र एवं मशीनरी	**-**	**-**	7.69	0.57
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	**0.38**	**0.28**	-	-
वाहन	**-**	**-**	0.04	-
कुल	**0.38**	**0.28**	**7.73**	**0.57**

ii) अल्पकालिक पट्टे पर दिए गए इंजन शामिल है (रेफर नोट 37 ॥)

iii) लाभ और हानि के विवरण में नामित किए गए मूल्यह्रास, परिशोधन एवं परिवर्धन इस प्रकार है-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	**9.15**	33.64
परिशोधन हानि	**0.87**	-
निवेश संपत्तियों पर हानि	**0.04**	-
कल	**10.06**	**33.64**

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा मेे भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) वर्ष क दौरान, समूह ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। में समाविष्ट प्रावधानों/दरों को अपनाकर मूल्यह्रास परिवर्तन से संबंधित लेखांकन नीति को परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन क कारण वर्ष के लिए मूल्यह्रास 23.06 करोड रुपए की कमी हुई है और कर पूर्व लाभ 23.06 करोड रुपए तक बढ गया है।

10. प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
एसएपी का क्रियान्वयन		
आरंभिक शेष	**1.01**	0.80
वर्ष के दौरान जमा :	**-**	0.21
कुल	1.01	1.01

11. पूंजीगत चालू कार्य*

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
आरंभिक शेष		-		0.88
वर्ष के दौरान जमा:				
- कार्यशील व्यय	**0.43**		0.73	
- परामर्श प्रभार	**0.31**		-	
- दरें व कर	**4.40**		-	
- वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	**0.04**		-	
- उर्जा, बिजली और जल प्रभार	**0.01**		-	
- विज्ञापन एवं प्रचार	**0.01**		-	
		5.20		0.73
घटा : वर्ष के दौरान पूंजीकरण		**-**		1.61
कुल		**5.20**		**-**

***प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का ब्यौरा**

		31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
1.	सीसीएम, गुडगांव में कार्यालय भवन	4.82	-
2.	सीआईसी नोएडा में अग्निशमन एवं सिविल निर्माण कार्य	0.12	-
3.	कोलकाता में कार्यालय भवन	0.26	-
		5.20	**-**

12. गैर-चालू निवेश

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को				31 मार्च 2014 को			
			संख्या	राशि (करोड़ में)			संख्या	राशि (करोड़ में)		
क	**निवेश संपत्ति**									
	पुराने एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन				3.00				2.73	
	नोएडा मं भूमि				260.36				-	
	कुल (क)					263.36				2.73
ख	**अन्य निवेश (लागत पर)**									
	कोट किए गए									
	पूर्णत् प्रदत्त इक्विटी शेयरों में निवेश									
	सहायक कंपनियों में									
	इरकॉन इफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	(iii)	65,000,000		65.00		4,00,00,000		40.00	
	प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर									
	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम - प्रत्येक 10 रुपए के 2,04,00,000 इक्विटी शेयर		20,400,000		20.40		20,400,000		20.40	
	इरकॉन पीबी टोलवे लि. - प्रत्येक 10 रुपए के 9,00,00,000 इक्विटी शेयर	(iv)	90,000,000		90.00		-		-	
	निगमित संयुक्त उपक्रम/उपक्रमों में									
	सीसीएफबी, मोजाम्बिक									
	मैटीशियस 24000 प्रत्येक के पूर्णत प्रदत्त 1,250,000 इक्विटी शेयर	(i)	12,50,000	5.53			12,50,000	5.53		
	घटा: निवेश की हानि के लिए प्रावधान (नोट सं 34 का संदर्भ लें)			5.53	-			5.53	-	
	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि. (आईएसटीपीएल)	(ii) (क ख)								
	10 रु. प्रत्यके के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर		6,38,70,000		63.87		6,38,70,000		63.87	
	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे स्टेशन									
	प्रत्येक 10 रुपए क प्रर्णत प्रदत्त 11,70,000 इक्विटी शेयर		1,170,000		1.17		13,000		0.01	
	छत्तीसगढ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड									
	प्रत्येक 10 रुपए क प्रर्णत प्रदत्त 11,70,000		1,170,000		1.17		13,000		0.01	
	इक्विटी शेयर									
	कुल (ख)					241.61				124.29
ग	**अन्य निवेश (लागत पर)**									
	कोट किए गए									
	बांडों में निवेश									
	8.00% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000/- रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड		163,131		16.31		163131		16.31	
	7.21% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000/ रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500		49.96		500		49.96	
	8.23% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 1,000/- रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500,000		50.00		500,000		50.00	
	8.35% भारतीय रेले वित्त कम्पनी लि. के 10,00,000/- रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड		500	49.92			500	49.92		
	घटा : प्रीमियम का परिशोधन			0.01	49.91			-	49.92	
	म्यूचुवल फंड में निवेश									
	एसबीआई डेट फट फंड सीरीज - ए -14				-		25,000,000		25.00	
	कुल (ग)					166.18				191.19
	कुल					671.15				318.21

कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:		**करोड रुपए में**	**करोड रुपए में**
कोट नहीं किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	241.61	124.29
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	166.18	191.19
	- बाजार मूल्य	175.61	190.95

फुट नोट:

i) मैटीशियस 24000 का एक इक्विटी शेयर 44.27 रुपए के बराबर है।

ii) (क) आईएसटीपीएल द्वारा लिए गए ऋण के प्रति 6,38,70,000 इक्विटी शेयरों में से, 30% शेयर (1,91,61,000 शेयर) पंजाब नेशनल बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं, 31.03.2015 को बकाया देय राशि 325.20 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान होल्डिंग (गिरवी रखे गए 30 प्रतिशत की शेयरधारिता के अतिरित) के इसके 21% (1,34,12,700 शेयर) को जमा न किए जाने के कारण कंपनी ने पंजान नेशनल बैंक को एक वचन भी दिया है।

(ख) आई एस टी पी एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद-5) के अनुसार एन एच ए आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई एस टी पी एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51% से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के मद्देनजर शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था । उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन-अधिकार के मद्देनजर तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26% तक कम किया जा सकता है।

iii) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में 25.00 करोड रुपए निवेश किए गए है, जिसक लिए रिपोर्टिंग तिथि को इक्विटी शेयरों का आवंटन लंबित था। शेयर का आवंटन 25.05.2015 को किया गया था।

iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड में 85.00 करोड रुपए निवेश किए गए है, जिसक लिए रिपोर्टिंग तिथि को इक्विटी शेयरों का आवंटन लंबित था। शेयर का आवंटन 29.04.2015 को किया गया था।

13. आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	01-04-2014 को	वर्ष के दौरान योग (लोप)	31 मार्च 2015 को
	कुल	कुल	कुल
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	70.11	(19.89)	**50.22**
- भावी हानियां	3.44	0.91	**4.35**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	31.07	10.51	**41.58**
- उपदान के लिए	21.02	1.93	**22.95**
- छुट्टी यात्रा रियायत	0.05	(0.01)	**0.04**
- विधिक मामलों के लिए	16.29	8.64	**24.93**
- अभिकल्प गारंटी	77.90	(23.19)	**54.71**
- अन्य व्यय	16.23	2.81	**19.04**
व्यय :			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.01	(0.01)	**-**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमति, जब प्रदत्त हो	49.09	(2.03)	**47.06**
- मूल्यहास	16.16	(6.73)	**9.43**
	301.37	**(27.06)**	**274.31**
देयता :	**-**	**-**	-
	-	-	**-**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	**301.37**	**(27.06)**	**274.31**
पिछले वर्ष	268.98	32.39	**301.37**

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -22 /आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार बहियों में प्रविष्ट किया गया है।

14. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			1.60			1.68	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम			25.29	26.89		22.44	24.12
ख. अरक्षित वसूली योग्य							
भूमि के क्रय क लिए पूंजी अग्रिम				-			244.82
संबंधित पक्षो को ऋण और अग्रिम :							
संयुक्त उपक्रम	(i)						
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 34 का संदर्भ लें)			70.48			61.16	
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड			30.00			-	
सहायक कपनियां	(i)						
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड			31.50	131.98		48.15	109.31
अन्य ऋण एवं अग्रिम :							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			0.32			0.58	
- अन्य			0.51	0.83		0.21	0.79
कर प्राधिकारी :							
- अग्रिम कर/टीडीएस		544.64			562.55		
- घटा : कर के लिए प्रावधान		(524.57)	20.07		(553.43)	9.12	
- आयकर विभाग में जमा			253.77	273.84		136.33	145.45
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			0.73			1.05	
सरकारी विभागों में जमा			0.10			0.02	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			205.41			103.12	
पूर्व भुगतान व्यय			0.03			1.39	
अन्य			0.97	207.24		2.29	107.87
ग. वसूलीयोग्य संदिग्ध							
संबंधित पक्षों को ऋण							
संयुक्त उद्यम							
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 34 का संदर्भ लें)			25.46			27.66	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			8.71			8.62	
			34.17			36.28	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			34.17	-		36.28	-
कुल				640.78			632.36

फुट नोट :

(i) ऋण पर ब्याज तत्व है और यह पूंजीगत व्यय /मध्यस्थता व्यय के लिए है तथा इनके पुनर्भुगतान की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

15. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
अरक्षित वसूली योग्य				
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि	27.48		33.81	
- ग्राहक के पास फसी राशियां	22.62	50.10	5.15	38.96
ख. अन्य				
i) रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		0.85		0.88
ii) अरक्षित वसूली योग्य				
12 माह से अधिक के लिए सावधि जमा {(फुट नोट (i) का संदर्भ लें}		0.41		-
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम	0.32		0.34	
- ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओ व अन्य को अग्रिम	14.50		3.47	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	-	14.82	0.20	4.01
iii) संदिग्ध समझे गए				
पर अर्जित ब्याज :				
संयुक्त उद्यम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 34 का संदर्भ लें)	0.19		0.19	
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं व अन्यों को अग्रिम	0.40		0.40	
	0.59		0.59	
घटा: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.59	-	0.59	-
कुल		66.18		43.85

फुट नोट :

(i) 0.40 करोड रुपए के लिए एफडीआर सहित।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

16. चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	
क गैर व्यापार निवेश						
कोट किया गया						
म्यूचुवल फंड में निवेश						
यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना	106,836	10.89		227,274	23.17	
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVI - I	-	-		25,000,000	25.00	
यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVIII - IV	-	-		25,000,000	25.00	
एसबीआई डेट फंड सीरीज - 40	-	-		25,000,000	25.00	
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड- दैनिक डिविडेंड योजना	300,718	30.17		278,452	27.85	
एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए- 14	25,000,000	25.00	66.06	-	-	126.02
ख दीर्घकालिक बांडों की वर्तमान परिपक्वता						
कोट किया गया						
1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.00% कर मुक्त भारतीय अवसंरचना वित्तीय कंपनी लिमिटेड के बांड	-	-	-	5,000	50.00	50.00
कुल			66.06			176.02

कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :

		रुपए करोड़ में	रुपए करोड़ में
कोट किए गए निवेश का सकल	- बुक मूल्य	66.06	176.02
	- बाजार मूल्य	68.39	179.24

17. मालसूचियाँ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
क. सामग्री एंव भंडार				
- हाथ में	32.49		34.66	
- तृतीय पक्षों के पास	25.81		0.84	
- मार्गस्थ	0.11		0.33	
		58.41		35.83
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		55.88		82.97
कुल		114.29		118.80

18. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	67.90		134.90	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	16.24	84.14	17.33	152.23
देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया ऋण				
व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य	395.37		527.53	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	-	395.37	0.58	528.11
ग्राहकोंके पास प्रतिधारण राशि				
- वसूली योग्य	60.09		44.63	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	9.89	69.98	10.10	54.73
ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि				
- वसूली योग्य	48.14		71.34	
- संदिग्ध समझे गए और प्रवधान किया गया	4.50	52.64	3.20	74.54
		602.13		809.61
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		30.63		31.21
कुल		571.50		778.40

फुट नोट :

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

(ii) सहायक कंपनियों से देय राशियों सहित :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2015	31.03.2014
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण		
व्यापार प्राप्य	0.96	2.54
कुल	0.96	2.54

19. रोकड़ और बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण		फुट नोट	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य						
क) हाथ रोकड़		(i)		**0.21**		0.16
ख) हाथ में चैक/ड्राफ्ट				**0.17**		7.57
ग) बैंकों में शेष						
-	चालू खातों में		**123.95**		45.57	
-	फ्लैक्सी खातों में	(ii)	**171.36**		127.37	
-	सावधि जमा खातों में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)	**893.36**	**1,188.67**	1,344.14	1517.08
अन्य बैंकों में शेष						
-	सावधि जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)		**2,013.78**		1150.55
कुल				**3,202.83**		**2,675.36**

फुट नोट :

i) रोकड़ इंप्रेस्त सहित हस्थ रोकड़ 0.01 करोड़ रुपए (0.02 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2015	31.03.2014
सावधि जमा खाते में	**100.44**	73.65
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	**624.86**	272.31
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	**54.82**	-
कुल	**780.12**	345.96

20. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
स्टाफ के लिए अग्रिम			0.62			0.67	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम			9.15	9.77		3.45	4.12
ख. अरक्षित, वसूली योग्य							
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम :							
ऋण							
संयुक्त उद्यम (नोट 39 का संदर्भ लें)	(i)						
- इरकॉन-एफकॉन जेवी			18.11			-	
अन्य							
संयुक्त उपक्रम (नोट 39 का संदर्भ लें)							
- रिकॉन सीईटीए एसएआरएल			0.84			0.80	
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल			0.79			4.67	
- रिकॉन			9.67			9.41	
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर			3.53			3.21	
- मेट्रो टनलिंग ग्रुप			5.42			5.51	
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.			7.15			-	
- इरकॉन-एफकॉन जेवी			2.44			-	
सहायक कंपनियां (नोट 40 का संदर्भ लें)							
- इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.			2.26			0.93	
- भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम			0.27	50.48		0.30	24.83
अन्य ऋण एवं अग्रिम:							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			6.22			6.44	
- अन्य			1.30	7.52		1.75	8.19
कर प्राधिकारी :							
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		200.98			197.53		
घटा :- प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा		(184.31)	16.67		(168.80)	28.73	
- मूल्य संवर्धन कर			114.26			109.40	
- सेवाकर इनपुट ऋण			0.02	130.95		0.39	138.52
स्टाफ ऋण एवं अग्रिम			1.78			1.78	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			125.94			225.35	
बयाना राशि			0.41			20.58	
पूर्वप्रदत्त व्यय			3.54			5.28	
अन्य			12.48	144.15		16.44	269.43
ग. संदिग्ध समझे गए							
स्टाफ ऋण व अग्रिम			-			0.01	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण			9.87			8.49	
सरकारी विभागों से जमा			2.38			2.26	
बिक्री कर (टीडीस सहित)			35.31			12.56	
मूल्य संवर्धन कर			7.18			-	
अन्य			0.01			-	
			54.75			23.32	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			54.75	-		23.32	-
कुल				342.87			445.09

फुट नोट :

(i) ऋण ब्याज धारित है और यह कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाआ के लिए है।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर,शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

(iii) निदेशकों से देय राशियों का विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशको से देय राशि	-	0.02
	-	0.02

21. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज :			
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**0.12**	0.15
बांड		**14.21**	8.63
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.12**	0.09
त्रण हेतु			
- भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**0.20**	0.20
- दरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड		**5.04**	6.14
- छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		**0.60**	-
- इरकॉन एफकॉन जेवी		**0.25**	-
निम्न पर जमा व अग्रिम :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**17.44**	55.38
- बैंकों में जमा राशि		**80.23**	77.08
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)		**109.93**	186.07
ग) बिल योग्य राजस्व	(i)	**405.32**	144.02
घ) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(ii)	**1.73**	1.59
ड.) इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई में निवेशित राशि	(iii)	**-**	19.00
कुल		**635.19**	**498.35**

फुट नोट :

(i) ग्राहक द्वारा प्रमाणित 196.08 करोड रु. (144.02 करोड रु.) मूल्य के कार्य सहित किंतु रिर्पोटिंग तिथि को बिल तैयार नहा किया गया है।

(ii) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम):

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	**31 मार्च 2015**		31 मार्च 2014 को	
	सकल ब्लाक	**निवल ब्लाक**	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	17.16	1.45	19.91	1.59
फीहोल्ड भवन - आवासीय	0.38	0.28	-	-
वाहन	-	-	0.04	-
कुल	17.54	1.73	**19.95**	**1.59**

(iii) 31.03.2014 को इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई म्यूचवल फंड को 19 करोड रुपए का भुगतान किया गया था। चूंकि 31.03.2014 तथा 01.04.2014 यूटीआई म्यूचवल फंड में लेनदेन के लिए बैंक अवकाश का दिन थे, इसलिए 02.04.2014 को ही फॉयल सं. 509270058623 में इकाइयां आवंटित की गईं थीं।

(iv) समूह , फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2015**	**31 मार्च 2014**
कर्मचारी ऋण व अग्रिम पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	0.005
	-	**0.005**

22. प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	**2,809.67**	3,850.10
एकीकृत संयुक्त उपक्रम मं टर्नओवर में कंपनी का भाग	**88.62**	8.81
लोको पट्टा	**42.77**	41.49
मशीन किराया प्रभार	**1.31**	0.04
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**17.09**	11.85
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 28 का संदर्भ लें)	**(9.24)**	154.53
कुल	**2,950.22**	**4,066.82**

23. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**16.02**		13.78
बैंक ब्याज - सकल	**214.13**		227.88	
घटा: ग्राहकों को पारित किए जाने वाला ब्याज	**36.23**	**177.90**	35.20	192.68
वापस आए आयकर पर ब्याज		**3.40**		8.74
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.33**		0.34
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज				
- इरकॉन आईएसएल	**5.61**		6.82	
- सीईआरएल	**0.67**		-	
- इरकॉन एफकॉन जेवी	**0.27**	**6.55**	-	6.82
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**6.80**		4.10
सावधि परिपक्वता योजना पर ब्याज		**6.81**		3.05
विनिमय उच्चावचन लाभ	**43.33**		-	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	**23.43**	**19.90**	-	-
लाभांश आय		**3.21**		4.05
परिसंपतितयों की बिक्री से लाभ		**2.02**		0.19
विविध		**14.47**		14.44
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 28 का संदर्भ लें)		**0.34**		1.18
कुल		**257.75**		**249.37**

24. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय			
		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण									
आरंभिक शेष		**35.49**		38.28			**-**		-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद		**196.47**		257.82			**-**		-
		231.96		296.10			**-**		-
घटा: अंतिम शेष		**58.30**	**173.66**	35.49	260.61		**-**		-
कार्यगत व्यय			**1,783.69**		2,169.10		**-**		-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी			**27.09**		2.94		**-**		-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास एजेंसी व परामर्श प्रभार			**24.44**		48.42		**-**		-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि			**1.87**		5.74		**-**		-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण			**26.50**		42.14		**-**		-
मशीनरी का किराया प्रभार			**12.88**		15.41		**-**		-
विनिमय उच्चावचन हानि						**-**		40.10	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ						**-**		32.38	
निवल विनिमय उच्चावचन हानि							**-**		7.72
किराया-गैर आवासीय (नोट 37 (I)ख का संदर्भ लें)			**3.80**		3.77		**0.23**		0.20
दर एवं कर			**12.49**		8.97		**2.02**		1.40
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण			**9.70**		11.71		**0.91**		0.82
मरम्मत और रखरखाव									
- भवन			**0.14**		0.14		**0.42**		0.84
- कार्यालय तथा अन्य			**3.47**		3.51		**2.81**		2.05
बिजली, विद्युत व जल प्रसार			**3.71**		3.66		**1.55**		1.35
बीमा			**5.76**		7.16		**0.14**		0.03
यात्रा और वाहन			**8.30**		9.26		**2.29**		1.84
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			**1.59**		1.82		**0.55**		0.65
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स			**2.33**		2.42		**0.45**		0.49
विधिक और व्यावसायिक प्रसार			**3.39**		4.32		**2.33**		1.26
सुरक्षा सेवाएं			**4.32**		3.79		**0.14**		0.15
व्यवसाय संर्वधन			**0.98**		1.02		**0.16**		0.23
बट्टा खाता:									
- अशोध्य ऋण			**2.37**		31.98		**-**		-
- अशोध्य अग्रिम			**0.97**		7.15		**-**		-
- परिसंपत्तियां			**-**		0.01		**-**		-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि			**-**		-		**3.43**		-
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन			**-**		-		**0.01**		0.35
निदेशकों की फीस			**-**		-		**0.02**		0.03
चंदा			**-**		-		**0.05**		0.01
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)		**-**		-		**0.42**		0.63
विज्ञापन और प्रसार			**-**		-		**3.19**		4.43
प्रशिक्षण और भर्ती			**-**		-		**0.60**		0.49

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
अनुसंधान एवं विकास व्यय		**-**	-	**-**	0.96
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 47 का संदर्भ लें)		**-**	-	**6.72**	8.49
विवित व्यय		**8.73**	4.29	**1.44**	1.24
पूर्व अवधि व्यय (नोट 28 का संदर्भ लें)		**0.27**	0.41	**0.72**	0.18
प्रावधान (जमा-पश्चलिखित) (नोट 27 का संदर्भ लें)		**(26.44)**	140.02	**-**	-
प्रावधान / उपयोग की गई आरक्षित निधियां (नोट 27)		**(56.51)**	(61.26)	**-**	0.00
कुल		**2,039.50**	**2,728.51**	**30.60**	**35.84**

फुट नोट :

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी :

	2014-15	2013-14
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.20**	0.31
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	**0.07**	0.08
(iii) प्रमाणीकरण फीस	**0.03**	0.05
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय :		
- स्थानीय	**0.09**	0.14
- विदेशी	**0.03**	0.05
कुल	**0.42**	0.63

25. कर्मचारी लाभ व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल	प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस (नोट 37(i)(क))	(i)	**115.37**	**38.35**	**153.72**	125.77	36.72	162.49
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान		**6.59**	**3.32**	**9.91**	6.55	2.69	9.24
विदेश सेवा अंशदान		**0.47**	**0.30**	**0.77**	0.49	0.58	1.07
सेवानिवृत्ति लाभ		**11.61**	**10.08**	**21.69**	11.48	34.16	45.64
कर्मचारी कल्याण		**1.80**	**0.47**	**2.27**	2.15	0.48	2.63
कुल		**135.84**	**52.52**	**188.36**	**146.44**	**74.63**	**221.07**

फुट नोट :

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है 0.33 करोड़ रुपए (0.35 करोड़ रुपए)

26. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	**-**	26.32
अन्य वित्त लागत			
बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार		**8.93**	12.13
कुल		**8.93**	**38.43**

फुट नोट :

(i) शून्य करोड़ रुपए (26.30 करोड़ रुपए) के आयकर पर ब्याज शामिल है।

27. प्रावधान (निवल)

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	1-4-2014 को शेष			2014-15 के दौरान					31-3-2015 को शेष		
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल	अतिरिक्त	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल
प्रावधान :												
क	**कर्मचारी संबंधित**											
(i)	**सेवानिवृत्ति से लाभ**											
	उपदान	57.76	4.09	61.85	8.16	-	3.70	-	-	61.79	4.52	**66.31**
	छुट्टी वेतन के लिए	73.54	6.56	80.10	9.27	0.08	6.50	0.07	0.08	75.85	6.95	**82.80**
	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	0.09	1.29	-	0.01	-	-	-	1.20	0.08	**1.28**
	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	-	17.50	17.50	1.83	-	12.00	-	-	1.36	5.97	**7.33**
	पेंशन	-	23.61	23.61	2.57	-	-	-	-	-	26.18	**26.18**
	सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	**132.50**	**51.85**	**184.35**	**21.83**	**0.09**	**22.20**	**0.07**	**0.08**	**140.20**	**43.70**	**183.90**
(ii)	**अन्य**											
	कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	22.42	22.42	9.11	3.27	9.44	-	-	-	18.82	**18.82**
	छुट्टी यात्रा रियायत	0.13	0.01	0.14	-	0.01	-	-	-	0.12	0.01	**0.13**
	अन्य लाभों का योग (ii)	0.13	22.43	22.56	9.11	3.28	9.44	-	-	0.12	18.83	**18.95**
	कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**132.63**	**74.28**	**206.91**	**30.94**	**3.37**	**31.64**	**0.07**	**0.08**	**140.32**	**62.53**	**202.85**
ख	**अन्य**											
	विसंग्रहण	24.01	23.92	47.93	2.74	0.15	0.40	2.16	0.52	7.89	40.59	**48.48**
	अनुरक्षण	55.37	161.37	216.74	23.24	66.43	38.43	3.17	1.93	96.87	37.01	**133.88**
	प्रत्याशित हानि	-	10.12	10.12	10.17	2.68	5.06	-	-	-	12.55	**12.55**
	अभिकल्प गारंटी	172.20	56.99	229.19	-	57.27	-	13.84	-	105.36	52.72	**158.08**
	संदिग्ध ऋण के लिए	-	17.91	17.91	2.64	2.08	2.28	-	0.06	-	16.25	**16.25**
	संदिग्ध अग्रिम के लिए	36.87	36.62	73.49	34.94	3.57	0.95	0.02	-	34.76	69.13	**103.89**
	निवेश के मूल्य में कमी	5.53	-	5.53	-	-	-	-	-	5.53	-	**5.53**
	देयताएं (विधि मामले)	-	47.93	47.93	24.76	0.45	0.19	-	-	-	72.05	**72.05**
	अन्य व्यय	22.94	28.05	50.99	13.35	5.65	9.20	-	0.78	0.59	49.68	**50.27**
	आयकर और संपत्ति कर	-	868.46	868.46	239.15	-	203.07	2.58	-	-	901.96	**901.96**
	लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	81.16	81.16	182.12	-	160.34	-	-	-	102.94	**102.94**
	लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	13.80	13.80	36.79	-	29.63	-	-	-	20.96	**20.96**
	कुल अन्य प्रावधान (ख)	**316.92**	**1,346.33**	**1,663.25**	**569.90**	**138.28**	**449.55**	**21.77**	**3.29**	**251.00**	**1,375.84**	**1,626.84**
ग	**सकल योग (ग = क+ख)**	**449.55**	**1,420.61**	**1,870.16**	**600.84**	**141.65**	**481.19**	**21.84**	**3.37**	**391.32**	**1,438.37**	**1,829.69**
घ	**घटा: अलग से विचार किए गए**											
	नोट 18 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	17.91	17.91						-	16.25	**16.25**
	नोट 18 में संदिग्ध समझे गए अग्रिम		13.30	13.30							14.38	**14.38**

Particulars	1-4-2014 को शेष			2014-15 के दौरान					31-3-2015 को शेष		
	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल	अतिरिक्त	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल
नोट 14, 15, 20 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	36.87	23.32	60.19						34.76	54.75	**89.51**
नोट 12 में विचारित निवेश में क्षति	5.53	-	5.53						5.53	-	**5.53**
नोट 25 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				21.83	0.09	22.20					
वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				9.11	3.28	9.44					
पृथक रुप से भुगतान किए गए/विचारित आयकर				239.15	-	203.07					
पृथक रुप से भुगतान किए गए/ विचारित लाभांश				182.12	-	160.34					
भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				36.79	-	29.63					
कुल (घ)	**42.40**	**54.53**	**96.93**	**489.00**	**3.37**	**424.68**	**-**	**-**	**40.29**	**85.38**	**125.67**
निवल: चालू वर्ष (ग - घ)	**407.15**	**1,366.08**	**1,773.23**	**111.84**	**138.28**	**56.51**	**21.84**	**3.37**	**351.03**	**1,352.99**	**1,704.02**
पिछले वर्ष	420.10	1,189.86	1,609.96	192.06	52.04	61.26			407.15	1,366.08	1,773.23

नोट :

नोट 24 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बट्टाखाता) (26.44)

नोट 24 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान 56.51

नोट 25 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान (0.46)

वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 25 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी (3.61)

28. पूर्व अवधि समायोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
पूर्व अवधि मदें :				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	**(9.24)**		154.53	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	**0.03**		0.21	
विविध	**0.31**		0.97	
		(8.90)		155.71
व्यय :				
कार्य व्यय	**0.27**		0.41	
प्रशासनिक व्यय	**0.55**		0.01	
अन्य	**0.17**		0.17	
		0.99		0.59
कुल		**(9.89)**		**155.12**

29. आकस्मिक देयताएं:

क) कंपनी के विरूद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 1279.09 करोड़ रूपए जो 78.29 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान है (1039.11 करोड़ रूपए जो 47.93 करोड रुपए का निवल प्रावधान) हैं। इसके विरुद्ध, समूह ने 821.69 करोड़ रुपए (303.06 करोड़ रुपए) का प्रति दावा किया है। यदि कंपनी के विरुद्ध दावा कार्यान्वित होते हैं तो ग्राहकों से 748.02 करोड रुपए (434.65 करोड रुपए) के दावे की धनवापसी ली जाएगी। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 132.66 करोड़ रूपए (126.23 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से शून्य रूपए (शून्य रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है।

घ) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 186.06 करोड़ रूपए (176.06 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 114.16 करोड़ रूपए (107.27 करोड़ रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

ड.) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर ने उपयोगिता और सहायक सेवाएं प्रदान करने वाले उप-ठेकेदारो पर भविष्य निधि के अंशदान के लिए शून्य (1.75 करोड रूपए) की मांग की है।

च) संयुक्त उद्यमों के संबंध में :

I. रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति मे देय राशियों, यदि कोई हो, मे किसी प्रकार की कमी के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन, सोमा टॉलीवे प्राइवेट लिमिटेड, को दी गई मियादी ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैंक को शपत। इसके प्रति कंपनी का अधिकतम दायित्व 162.60 करोड़ रूपए (222.15 करोड रूपए) है।

II. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर को 1.24 करोड रुपए (1.24 करोड रूपए) का इंडेमनिटी बांड।

III. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर की 4.25 करोड रुपए (4.25 करोड रुपए) की बिक्री कर देयता और 2.02 करोड रुपए (1.01 करोड रुपए) रुपए का सेवा कर।

IV. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे केन्दीय सीमा शुल्क को 1.54 करोड रुपए (1.54 करोड रुपए) की निगमित गारंटी।

V. इरकॉन-आरसीएस-फ्लीडरर के मामले मे 1.40 करोड रुपए (1.40 करोड रुपए) की बैंक गारंटी।

VI. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मामले में 5.29 करोड रुपए (5.29 करोड रुपए) तथा मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे 0.88 करोड रुपए (0.88 करोड रुपए) की आयकर देयता।

VII. मैसर्स साई इंजीनियर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध 0.02 करोड रुपए (0.02 करोड रुपए) का वसूली दावा।

VIII. भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 51.34 करोड रुपए (56.71 करोड रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

छ. ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, समूह ग्राहकों को 56.70 करोड़ रुपए (44.33 करोड रुपए) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रुप से दायी है।

30. प्रतिबद्धताएं :

क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 68.55 करोड़ रूपए (15.92 करोड़ रूपए)है।

ख) अन्य प्रतिबद्धताएं

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

i) सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसएल को बैंक गारंटी जारी करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को 10.00 करोड़ रुपए (10.00 करोड रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

ii) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड, सहायक कंपनी मे 20.40 करोड रुपए (20.40 करोड रुपए) के शेष इक्विटी शेयर (51 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु

iii) छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमश: 0.13 करोड रुपए (1.29 करोड रुपए) और 0.13 करोड रुपए (1.29 करोड रुपए) के शेष इक्विटी शेयर (26 प्रतिशत) के प्रति अंशदान हेतु।

iv) छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड और छत्तीसगढ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड संयुक्त उद्यम कंपनियों में क्रमश: 9.00 करोड रुपए (शून्य करोड रुपए) और 39.00 करोड रुपए (शून्य करोड रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

v) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को 75.00 करोड रुपए (शून्य करोड रुपए) की शेष इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान हेतु।

vi) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, सहायक कंपनी को 352 करोड रुपए (शून्य करोड रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

vii) संयुक्त उद्यम कंपनी कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फेरो डा बेरा एसएआरएल को 5.75 करोड रुपए (08.99 करोड रुपए) के शेष शेयरधारक ऋण जारी करने हेतु।

viii) संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 38.66 करोड़ रुपए (शून्य रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

ix) संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपथ पत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)

x) सहायक कंपनी इरकॉन शिपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (12.05.2015 को निगमित) में 3.00 करोड रुपए (शून्य रुपए) के लिए इक्विटी शेयर के प्रति अंशदान।

31. कंपनी लागत जमा आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य में उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल संपर्क परियोजना

(यूएसबीआरएल) नामक ब्रॉड गेज रेल संपर्क परियोजना को निष्पादित कर रही है। उत्तर रेलवे, ग्राहक, ने कंपनी द्वारा किए गए कतिपय व्ययों/किए गए व्ययों पर देय संविदा संवर्धन के औचित्य पर कतिपय प्रश्न उठाए हैं और परियोजना में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर कतिपय टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनका उपयुक्त रुप से उत्तर भी दिया गया है। कंपनी को इस संबंध में किसी प्रकार के दायित्व की संभावना नहीं है। तथापि, इन मुद्दों से उत्पन्न समायोजनाएं, यदि कोई हो, को आवश्यकता पड़ने पर की जायेगी।

32. कंपनी श्रीलंका परियोजनाओं पर कर के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 76.28 करोड रुपए तथा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 179.58 करोड़ रुपए के लिए उत्तरदायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

33. (क) आकलन वर्ष 2000-01 से, कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओं के संबंध मे आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध मे आयकर विभाग ने सीआईटी /ए द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोड़कर सभी आकलन वर्षों के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी/ए द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से धारा 80-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है 925.63 करोड़ रूपए (799.79 करोड़ रूपए) जिसका कर प्रभाव है 315.70 करोड़ रूपए (272.92 करोड़ रूपए)

(ख) कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकल वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकारण को अपील दायर की है।

तदनुसार, कंपनी नें वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 के लिए वित्त वर्ष 2012-13 मे 185.36 करोड रुपए का प्रावधान किया है और वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के लिए 229.71 का प्रावधान संबंधित वर्षों में किया गया है।

34. (क) बीओटी आधार पर मोज़ाम्बिक सरकार द्वारा प्रदान की गई रेल परियोजना के निष्पादन के लिए वर्ष 2004 में मोजांबीक के कानूनों के अनुसार सीसीएफबी नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया था जियमें कंपनी की इक्विटी भागीदारी 25 प्रतिशत की हे और गैर चालू निवेश (नोट 12) मे दर्शाए अनुसार 1.25 मलियन अमरीकी डालर (5.53 करोड रुपए) का भुगतान किया गया है। कंपनी ने सीसीएफबी को शेयरधारक ऋण उपलब्ध कराया है और 31.03.2011 तक संचित ब्याज सहित कुल राशि 21.124 मिलियन अमरीकी डालर (31.03.2011 को 93.43 करोड़ रुपए को विनिमय दर में परिवर्तित किया गया है। 28.02.2013 को सीसीएफबी से 0.999 मिलियन अमरीकी डालर (4.42 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्यय को पूरा करने के लिए सीसीएफबी को 7.12 करोड़ रुपए (1.142 मिलियन अमरीकी डालर), 95.94 करोड रुपए (88.82 करोड रुपए) को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (नोट 14(ख) तथा (ग) और 0.19 करोड रु.(0.19) करोड़ रु. को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (नोट 15 (ख iii) में दर्शाया गया है)।

(ख) हालांकि, परियोजना पूरा हो गयी थी, मोज़ाम्बिक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध है तथा गैरकानूनी है और उसने मोज़ाम्बिक सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबित निष्कर्ष के कारण:

i) 31.18 करोड़ रुपए (33.38 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (29.77 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए और 7.33 करोड़ रुपए (5.13 करोड़ रुपए) की समाप्ति के पश्चात ब्याज में कमी के कारण इक्विटी निवेश के प्रति 5.53 करोड़ रुपए (5.53 करोड़ रुपए) (नोट 12 का संदर्भ लें) 2011-12 के दौरान हानि होने की संभावना है।

ii) देय ब्याज सहित ऋण की राशि, को 31.03.2011 को विद्यमान विनिमय दर पर प्रदर्शित किया गया है।

iii) चालू वर्ष के दौरान मध्यस्थता व्ययों को पूरा करने के लिए ऋण की राशि को पुन:प्रदर्शित नहीं किया गया है।

iv) वर्ष के लिए 4.89 करोड़ रुपए (3.79 करोड़ रुपए), संचयी 13.48 करोड़ रुपए (8.59 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2015 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम 25.74 करोड़ रुपए (20.15 करोड़ रुपए) अधिक होते और कर पूर्व लाभ 25.74 करोड़ रुपए (20.15 करोड़ रुपए) अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 5.59 करोड़ रुपए तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 20.15 करोड़ रुपए)।

35. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, कंपनी

इस संबंध मे वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नहीं करता है।

ख) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

36. क. विदेशी मुद्रा में आय (संचय आधार पर):

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**806.60**	2172.97
बैंक ब्याज	**11.22**	9.75
अन्य ब्याज	**0.02**	0.20
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	**19.93**	-
अन्य	**3.87**	1.84
कुल	**841.64**	**2184.76**

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय (संचय आधार पर):

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रचालन व्यय	**399.09**	1095.08
परामर्शदात्री प्रभार	**24.85**	40.13
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	**-**	7.72
कुल	**423.94**	**1142.93**

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
सामग्री	**159.45***	60.02
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**-**	-
कुल	**159.45**	**60.02**

*आयातों को कार्यशील व्ययों में बुक किया गया है।

घ. प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15		2013-14	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित	**159.45**	**47.87**	60.02	23.03
स्वदेशी	**173.67**	**52.13**	200.59	76.97
कुल	**333.12**	**100.00**	**260.61**	**100.00**

ड. अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन :

अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में	विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	-	-	9.42	7.21
	यूरो	0.06	4.36	0.12	10.12
	एलकेआर	0.40	0.19	1.00	0.46
	एमवाईआर	0.02	0.30	0.90	16.56
	एमजेडएन	0.06	0.10	0.06	0.12
	यूएसडी	0.00	0.08	-	-
व्यापार प्राप्त					
	बीडीटी	1.41	1.13	-	-
	डीजेडडी	51.29	32.83	104.54	79.98
	यूरो	0.46	31.41	0.98	79.62
	एमवाईआर	0.04	0.69	0.02	0.37
	यूएसडी	2.43	151.09	4.46	264.67
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीडीटी	0.13	0.10	-	-
	डीजेडडी	29.63	18.96	4.87	3.72
	ईटीबी	0.00	0.01	0.18	0.56
	यूरो	1.30	89.32	0.69	56.00
	एलकेआर	19.46	9.14	73.28	33.59
	एमवाईआर	1.69	28.50	4.68	85.86
	एमजेडएन	0.03	0.05	0.36	0.69
	यूएसडी	6.88	428.27	7.79	462.56
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	1.38	1.11	0.00	0.00
	डीजेडडी	16.17	10.35	13.19	10.09
	ईटीबी	1.13	3.45	1.13	3.50
	यूरो	0.43	29.54	0.24	19.51
	एलकेआर	16.18	7.60	18.42	8.44
	एमवाईआर	0.14	2.43	2.78	51.01
	यूएसडी	1.94	120.47	1.71	101.70
देयताएं :					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीडीटी	0.84	0.67	-	-
	डीजेडडी	-	-	18.60	14.23
	यूरो	0.39	26.87	0.58	47.31
	यूएसडी	0.16	9.98	2.82	167.11
व्यापार देय					
	एयूडी	0.01	0.71	-	-
	बीडीटी	0.02	0.02	-	-
	डीजेडडी	13.92	8.91	43.93	33.61
	यूरो	0.92	63.10	0.71	57.36
	जेपीवाई	10.10	5.25	-	-
	एलकेआर	14.20	6.67	58.76	26.94
	एमवाईआर	0.42	7.07	4.79	87.89

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में	विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में
	एमजेडएन	4.13	6.97	4.13	7.88
	यूएसडी	0.84	52.10	0.28	16.82
अन्य देयताए					
	बीडीटी	0.38	0.31	-	-
	डीजेडडी	30.90	19.77	17.90	13.69
	ईटीबी	0.02	0.05	0.02	0.06
	यूरो	0.19	13.01	0.16	13.17
	एलकेआर	17.51	8.22	33.93	15.55
	एमवाईआर	4.26	71.91	5.15	94.49
	यूएसडी	0.83	51.67	0.90	53.27

अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा प्रकटन स्वत: ही प्रतिरक्षित होते हैं

37. पट्टे संबधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां :

कंपनी की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत् आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) - 5.78 करोड रु. (6.52 करोड रु.) (नोट सं.25 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)

ख) कार्यालय परिसरो, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध मे पट्टा भुगतान - 4.03 करोड रु. (3.97 करोड रु.) (नोट सं. 24 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

ग) रद्द न किए जा सकने वाले पट्टो के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

क) कंपनी ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरो को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

ख) कंपनी ने विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

ग) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है :

1. गैर आवासीय परिसरो के संबंध में पट्टा किराया - 7.02 करोड रु. (6.69 करोड रु.) (नोट 23 मे विविध आय मे शामिल किया गया है)
2. इंजनो के संबंध में पट्टा किराया - 42.77 करोड रु. (41.49 करोड रु.) (नोट 22 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)

घ) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध मे 31.03.2015 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
परिसर	शून्य	शून्य	शून्य
इंजन	33.42	शून्य	शून्य

ड. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	परिसर	इंजन	परिसर	इंजन
परिसिंपत्तियों की सकल वहन राशि	6.96	35.66	6.96	35.66
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	0.14	-	0.14	1.16
वर्ष के लिए क्षति हानि	-	-	-	-
संचित मूल्यहृास	1.22	33.87	1.08	33.87

38. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक) :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क. आवर्त						
प्रचालन से राजस्व	**877.52**	2137.49	**2072.70**	1929.33	**2950.22**	4066.82
घटाएं: संयुक्त उद्यम में आय का शेयर	**47.07**	1.30	**41.55**	7.51	**88.62**	8.81
जोडें: संयुक्त उद्यम में आय का शेयर	**1.90**	(1.06)	**0.49**	0.25	**2.39**	(0.81)
अन्य आय	**35.30**	11.07	**222.45**	238.30	**257.75**	249.37
अंत: खण्ड		-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**867.65**	2146.20	**2254.09**	2160.37	**3121.74**	4306.57
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**455.69**	1115.46	**372.22**	333.58	**827.91**	1449.04
घटाएं: प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**(75.15)**	134.43	**48.71**	5.59	**(26.44)**	140.02
मूल्यह्रास	**5.53**	25.21	**4.53**	8.43	**10.06**	33.64
ब्याज	**-**	-	**-**	26.32	**-**	26.32
कर पूर्व लाभ	**525.31**	955.82	**318.98**	293.24	**844.29**	1249.06
कर व्यय	**203.55**	258.07	**61.35**	84.49	**264.90**	342.56
कर पश्चात लाभ	**321.76**	697.75	**257.63**	208.75	**579.39**	906.50
ग. अन्य सूचना						
परिसंपतियां	**1063.26**	2214.19	**5685.38**	3943.37	**6748.64**	6157.56
स्थिर परिसंपतियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**63.54**	69.04	**99.94**	100.71	**163.48**	169.75
देयताएं	**741.49**	1516.40	**2653.64**	1648.13	**3395.13**	3164.53
पूंजीगत व्यय: अचल परिसंपतियों को जोडकर	**16.23**	7.32	**1.69**	3.33	**17.92**	10.65

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रुपए करोड़ में)

विवरण	सेगमेंट आय		सेगमेंट परिसंपत्तियां		अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
निर्माण, आदि	**2907.45**	4024.80	**6722.08**	6129.94	**17.90**	8.57
पट्टा प्रचालन	**42.77**	42.02	**26.56**	30.82	**0.02**	2.08
कुल	**2950.22**	4066.82	**6748.64**	6160.76	**17.92**	10.65

39. संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम :

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2015	2014
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकॉन	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	**53.00** **47.00**	53.00 47.00

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2015	2014
1.	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	49.00 51.00	49.00 51.00
2.	रीकॉन-सीटा एस ए आर एल	रीकान, भारत सी इ टी ए, मोजांबिक	49.00 51.00	49.00 51.00
3.	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	61.22 34.35 4.43	61.22 34.35 4.43
4.	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	24.21 75.79	24.21 75.79
5	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	55.00 45.00	55.00 45.00
6.	इंटरनेशनल मेट्रा सिविल कॉन्ट्रैक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7.	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8.	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	55.70 44.30	55.70 44.30
9.	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टैकनीक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	65.08 21.87 13.05	65.08 21.87 13.05

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां :

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयर व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
			31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
1.	सीसीएफबी (कम्पनियां डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	25.00 26.00 49.00	25.00 26.00 49.00
2.	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	50.00 50.00	50.00 50.00
3.	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00
4.	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	26.00 64.00 10.00	26.00 64.00 10.00

ग. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों की आय, व्यय, लाभ, परिसंपत्तियां और देयताएं का विवरण:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय	वित्त वर्ष	विवरण					
			आय	व्यय	लाभ	स्थिर परिसंपत्तियां	चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियां	देयताएं
1.	रिकॉन	2014-15	0.38	0.13	0.25	-	10.67	1.01
		2013-14	0.42	0.33	0.09	-	10.31	0.89
2.	आईएमसीसी	2014-15	-	0.04	(0.04)	-	4.21	0.93
		2013-14	-	0.01	(0.01)	-	4.61	1.41
3.	एमटीजी	2014-15	-	(0.28)	0.28	-	5.06	0.15
		2013-14	-	(0.18)	0.18	-	8.15	2.64
4.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	2014-15	41.17	41.17	-	0.08	13.43	10.28
		2013-14	7.09	7.09	-	0.03	6.57	6.67
5.	इरकॉन -एफकॉन	2014-15	47.07	45.17	1.90	7.69	48.44	54.81
		2013-14	1.30	2.36	(1.06)	0.06	22.85	22.80
6.	सीसीएफबी	2014-15	1.47	5.50	(4.03)	0.02	131.95	126.53
		2013-14	0.60	4.58	(3.98)	0.02	124.56	114.39
7.	आईएसटीपीएल	2014-15	83.13	90.96	(7.83)	487.06	55.01	536.94
		2013-14	81.58	101.02	(19.44)	531.13	65.74	584.00
8.	सीईआरएल	2014-15	0.01	0.02	(0.01)	9.56	26.50	35.06
		2013-14	-	0.04	(0.04)	-	0.53	0.56
9.	सीईडब्ल्यूआरएल	2014-15	0.01	0.02	(0.01)	0.57	0.68	0.24
		2013-14	-	0.03	(0.03)	-	0.01	0.03
	कुल	**2014-15**	**173.24**	**182.73**	**(9.49)**	**504.98**	**295.95**	**765.95**
		2013-14	90.99	115.28	(24.29)	531.24	243.33	733.40

घ. संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 29/च में प्रकट किया गया है।

40. संबधित पक्ष प्रकटन

क. उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

(i) सहायक कंपनियां:

- इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल)
- इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
- इरकॉन - पीबी टोलवे लिमिटेड

(ii) संयुक्त उद्यम :

- गैरनिगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 39(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 39(ख) के समान

ख. प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

निदेशक : श्री मोहन तिवारी, श्री के.के. गर्ग, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना

ग. संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों का प्रकटन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारों/व्यवसथाओं का विवरण
	2014-15	2013-14	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिको (उपुर्यक्त ख) का पारिश्रमिक और अन्य स्वतंत्र निदेशकों की बैठक शुल्क	नोट सं. 41 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (सीएसआर व्ययो सहित)/स्थिर परिसंपत्तियों का पट्टा /कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहायक कंपनियां (सहित)			
इरकॉन आईएसएल	0.46	1.55	सीएसआर गतिविधियाँ
इरकॉन आईएसएल	6.17	2.12	मशीनों को किराए पर लेना
इरकॉन आईएसएल	17.83	26.69	श्रमशक्ति आपूर्ति
कुल	**24.46**	**30.36**	
3. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/ब्याज आय/कोई अन्य संव्यवहार (कृपया स्पष्ट करें)			
सहायक कंपनियां (सहित)			
इरकॉन आईएसएल	1.19	5.02	परामर्श सहित कार्य प्राप्तियां एमएफसी
संयुक्त उद्यम (सहित)			
सीईआरएल	27.67	-	परामर्श और कार्य प्राप्तियां
सीईडब्ल्यूआरएल	53.64	-	परामर्श प्राप्तियां
कुल	**82.50**	**5.02**	
4. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल	25.00	-	
आईआरएसडीसी	-	10.20	
इरकॉन पीबी टोलवे लि.	90.00	-	
संयुक्त उद्यम			
सीईआरएल	1.16	0.01	
सीईडब्ल्यूआरएल	1.16	0.01	
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल			
संवितरित ऋण	6.50	27.84	
ऋण का पुनर्भुगतान	(23.15)	(13.69)	
संयुक्त उद्यम			
सीसीएफबी	7.12	-	

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		करारो/व्यवसथाओं का विवरण
	2014-15	2013-14	संव्यवहार की प्रकृति
सीईआरएल	30.00	-	
इरकॉन एफकान्स जेवी	18.11	-	
6. प्रतिनियुक्ति के कार्मिको का व्यय, किराए, अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
सहायक कंपनियां			
इरकॉन आईएसएल	3.60	1.66	
आईआरएसडीसी	0.99	0.70	
संयुक्त उद्यम			
आईएसटीपीएल	1.98	-	
कुल	**6.57**	**2.36**	

संबंधित पक्षों को/से देय राशियों का प्रकटन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-3-2015 को	31-3-2014 को
प्राप्य राशियां		
(1) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश	**247.14**	**129.82**
सहायक कंपनियां	**175.40**	**60.40**
इरकॉनआईएसएल	65.00	40.00
आईआरएसडीसी	20.40	20.40
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	90.00	-
संयुक्त उद्यम	**71.74**	**69.42**
सीसीएफबी	5.53	5.53
आईएसटीपीएल	63.87	63.87
सीईआरएल	1.17	0.01
सीईडब्ल्यूआरएल	1.17	0.01
(2) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम से बकाया ऋण	**175.55**	**136.97**
सहायक कंपनियां	**31.50**	**48.15**
इरकॉनआईएसएल	31.50	48.15
संयुक्त उद्यम	**144.05**	**88.82**
सीसीएफबी	95.94	88.82
सीईआरएल	30.00	-
इरकॉन एफकान्स जेवी	18.11	-
(3) अन्य सेवाओं और प्रतिपूर्ति आदि हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉनआईएसएल	3.23	3.76
आईआरएसडीसी	0.27	0.30
संयुक्त उद्यम		
सीसीएफबी	0.78	4.67
आईएसटीपीएल	7.25	7.63
सीईआरएल	4.43	-
सीईडब्ल्यूआरएल	0.41	-
देय राशि		
1) अन्य सेवाओं हेतु		
सहायक कंपनियां		
इरकॉनआईएसएल	7.26	8.36

41. निदेशकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
I	वेतन और भत्ते*	**1.78**	1.06
II	भविष्य निधि में अंशदान	**0.10**	0.09
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.03**	0.03
IV	बैठक शुल्क	**0.02**	0.03
V	अन्य लाभ	**0.27**	0.26
	कुल	**2.20**	**1.47**

* वर्ष 2014-15 के आंकडों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.64 करोड रुपए के पीआरपी (2012-13) शामिल हैं, जबकि 2013-14 के दौरान किसी प्रकार के पीआरपी का भुगतान नही किया गया है। निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है।

42. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एएस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का ह्रास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाही की जाने वाली शुद्ध राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है। ह्रास हानि 0.87 करोड़ रुपए (शून्य रुपए) है।

43. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेशा अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जे अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। परंपरागत लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपुर्जो की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।.

44. कर्मचारी लाभ पर एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 9.91 करोड रुपए (9.24 करोड रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट में दिनांक 31.03.2015 को 50.05 करोड़ रुपए (31.83 करोड़ रुपए) की संयुक्त निधि है। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 7.33 करोड़ रुपए (17.50 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण

कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2015 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खातों के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
ब्याज लागत	4.95 (4.04)	6.16 (4.60)	0.01 (0.01)	0.10 (0.11)
चालू सेवा लागत	3.37 (3.16)	4.63 (4.72)	- (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(3.70) ((2.35))	(8.78) ((7.16))	(0.01) ((0.02))	(0.03) (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.15) (3.12)	0.95 (13.45)	(0.02) (0.07)	(0.14) ((0.28))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

iii) तुलन पत्र में मान्य राशि

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(66.31) ((61.85))	(79.90) ((76.95))	(0.13) ((0.14))	(1.28) ((1.29))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(66.31) ((61.85))	(79.90) ((76.95))	(0.13) ((0.14))	(1.28) ((1.29))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

iv) लाभ हानि की विवरणिका में मान्य व्यय

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.37 (3.16)	4.6 (4.72)	- (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (0.01)	- (-)
ब्याज लागत	4.95 (4.04)	6.16 (4.60)	0.01 (-)	0.10 (0.11)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.15) (3.12)	0.94 (13.45)	(0.02) (0.07)	(0.14) ((0.28))
लाभ हानि विवरणिका में मान्य व्यय	8.16 (10.33)	11.73 (22.77)	- (0.08)	0.02 ((0.12))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

कंपनी द्वारा अगले वर्ष उपदान के लिए 8.76 करोड रु., छुट्टी नकदीकरण के लिए 11.27 करोड ़रुपए, एलटीसी के लिए 0.02 करोड रुपए तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 0.20 करोड रुपए का अंशदान करने की संभावना है।

v) वास्तविक अनुमान

क. प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ख. रियायत दर	8.00%
ग. क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि की दर	8.00%
घ. सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत शेष सेवा	13.53 वर्ष
ड. लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	13.53 वर्ष

vi) वर्तमान और पिछली 4 अवधियो के लिए राशि निम्नानुसार है:

क. उपदान :

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	66.31	61.85	53.87	49.63	44.61
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	4.07
सरप्लस/(डैफिसेट)	(66.31)	(61.85)	(53.87)	(49.63)	(40.54)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.15	(3.12)	(1.13)	(1.01)	(3.61)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	(0.26)

ख. छुट्टी नकदीकरण (विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर):

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	79.90	76.95	61.34	55.61	54.02
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(79.90)	(76.95)	(61.34)	(55.61)	(54.02)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	(0.95)	(13.46)	(0.04)	5.18	(11.52)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

ग. एलटीसी:

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	0.13	0.14	0.08	-	-
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(0.13)	(0.14)	(0.08)	-	-
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.02	(0.07)	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

घ. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	1.27	1.29	1.41	1.57	1.45
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(1.27)	(1.29)	(1.41)	(1.57)	(1.45)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.14	0.28	0.35	0.06	0.02
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

45. प्रगतिरत संविदाओं के लिए निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक -7 के अंतर्गत प्रकटन *

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
(क)	इस अवधि के दौरान राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	2883.55	4036.29
(ख)	वहन लागतों की समग्र राशि तथा स्वीकृत लाभ (घटा स्वीकृत हानियां)	20667.13	18309.48
(ग)	ग्राहकों के प्राप्त अग्रिमों की राशि	847.83	314.77
(घ)	प्रतिधारणों की राशि (ग्राहकों द्वारा)	100.56	106.32
(ड.)	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि	434.12	619.42

* 31.03.2015 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर

46. कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006(एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2015 तक कोई देय नहीं है।

47. (i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि है 4.93 करोड रु. (7.30 करोड रु.)।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर 4.93 करोड रुपए (7.30 करोड रुपए) की अपेक्षित राशि की तुलना में 6.72 करोड रुपए (8.49 करोड रुपए) खर्च किए हैं। इस व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क.सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1.	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	**3.08**	3.10
2.	शिक्षा का संवर्धन	**0.76**	1.16
3.	लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का संवर्धन	**0.02**	0.42
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना	**1.04**	1.07
5.	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण	**0.52**	0.10
6.	प्रधान मंत्री राहत कोष तथा सामाजिक आर्थिक विकास व राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान	**0.50**	1.25
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	**0.80**	1.39
	कुल	**6.72**	**8.49**

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

क.सं.	विवरण	रोकड में	रोकड में अभी भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण	-	-	-
2.	अन्य प्रयोजन	6.66	0.06*	6.72

*अप्रैल,2015 में भुगतान किया गया

सीएसआर पर किए गए कुल व्यय में से 0.46 करोड रुपए (1.55 करोड़ रुपए) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन आईएसएल के माध्यम से किए गए हैं।

48. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 579.68 करोड़ रुपए (906.50 करोड़ रुपए) को (197,96,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

49. पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहित, पुन:व्यवस्थित तथा पुन:निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13 अक्तूबर, 2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जुलाई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के स्टैंएडलोन वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का स्टैंएडलोन वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधक वर्ग का है। अधिनियम के धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के धारा 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.10.2015 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मै अधिनियम के धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचारानुसार वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने में संभवकारी होंगे।

	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां **वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाले नोट**	**प्रबंधन का उत्तर**
i	कंपनी ने सेरंबन गिमास विद्युतीकरण दोहरीकरण परियोजना के लिए समय विस्तार के प्रति परिवहन मंत्रालय, मलेशिया सरकार को 359.50 करोड रुपए के दावे प्रस्तुत किए थे, जिसके प्रति वर्ष 2014-15 के दौरान परिवहन मंत्रालय द्वारा 58.48 करोड ़रुपए को स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, कंपनी ने लेखांकन के परंपरागत सिद्धांतो का अनुसरण करते हुए वित्तीय विवरणो मे राजस्व को लेखांकित नही किया है। इस राजस्व को लेखांकित न किए जाने के तथ्य को वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय विवरणो के भाग का निर्माण करने वाले नोटो मे प्रकट किया गया है। इस प्रकार, वित्तीय विवरणों के भाग के निर्माण करने वाले नोट इस स्तर तक कम है।	इस दावे को 13-01-2015 को ग्राहक के परामर्शदाता द्वारा स्वीकृत किया गया था। तथापि, आज की तिथि तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। वसूली की अनिश्चितता के दृष्टिगत, यह विवादित परिसंपत्ति बनी हुई है, इसलिए, इसे लेखांकित/प्रकट नहीं किया गया है। तथापि, टिप्पणियों को भविष्य के लिए नोट कर लिया गया है।
ii	परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 58.48 करोड ़रुपए के उपर्युक्त दावों में से 8.60 करोड ़रुपए की राशि के दावे उप-ठेकेदारों को देय हैं। तथापि, कंपनी ने ना तो उप-ठेकेदारो को देय दावो के लिए कोई प्रावधान किया है और ना ही वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाली टिप्पणियो मे दावो के गैर-प्रावधन के तथ्य को प्रकट किया गया है।	उपर्युक्त (i) की टिप्पणी के उत्तर मे वर्णित अनुसार चूंकि ग्राहक से दावे को लेखांकित/प्रकट नही किया गया है, लेखांकन की मैचिंग सिद्धांतो के आधार पर उपठेकेदारो के समवती दावो को भी लेखांकित नहीं किया गया है (किन्तु आकस्मिक देयता में शामिल किया गया है)। तथापि, टिप्पणियों को भविष्य के लिए नोट किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त और उनकी ओर से

दिनेश भर्गव
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
(रेलवे -वाणिज्यिक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवम्बर, 2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के.गर्ग
निदेशक वित्त
डीआईएन: 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 00191363

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 नवम्बर, 2015

इरकॉन

समेकित

वित्तीय विवरण

2 0 1 4 - 1 5

फॉर्म एओसी-1

31.03.2015 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित खंड 129 के उपखंड (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग - "क" : सहायक कंपनियां

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि व अतिरिक्त	कुल परिसंपत्ति	कुल देयता	निवेश	टर्नओवर/ कुल आय	कर पूर्व लाभ	कर के लिए प्रावधान	कर पश्चात लाभ	प्रस्तावित लाभांश	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	01.04.2014 से 31.03.2015	भारतीय रुपया	40.00	23.11	169.43	106.32 *	शून्य	41.51	20.29	9.36	10.93	शून्य	100.00%
2.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि.	01.04.2014 से 31.03.2015	भारतीय रुपया	40.00	3.43	45.31	1.88	शून्य	2.93	2.93	0.95	1.98	शून्य	51.00%
3.	इरकॉन पीबी टोलवे लि.	01.04.2014 से 31.03.2015	भारतीय रुपया	5.00	(1.08)	88.92	85.00 *	शून्य	0.11	(1.48)	(0.39)	(1.09)	शून्य	100.00%

* शेयरों के लम्बित आवंटन पर शेयर आवेदन राशि सहित। शेयरो का आवंटन वित्त वर्ष 2015-16 में किया गया।

भाग - "ख" : संयुक्त उद्यम

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यमों का नाम	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	वर्ष के अंत को कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर			महत्वपूर्ण प्रभाव होने का वर्णन	गैर-समेकन के लिए कारण	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति	वर्ष लाभ/ (हानि)	समेकन में विचारार्थ (इरकॉन का भाग)	समेकन में विचारार्थ नहीं (अन्य का भाग)
			संख्या	संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि	धारिता प्रतिशत का स्तर						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	संयुक्त उद्यम कंपनियां										
1.	कंपैनिया डोस कैमिनोस डे फेरो डा बेरा (एसएआरएल) मोजाम्बिक	31.12.2014	1,250,000	5.53	25.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं	4.81	(15.20)	(3.80)	(11.40)
2.	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा.लि.	31.03.2015	63,870,000	63.87	50.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं	5.13	(15.67)	(7.83)	(7.84)
3.	छत्तीसगढ इस्ट रेलवे लिमिटेड	31.03.2015	1,170,000	1.17	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं	1.01	(0.04)	(0.01)	(0.03)
4.	छत्तीसगढ इस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	31.03.2015	1,170,000	1.17	26.00%	शेयरधारिता	लागू नहीं	1.01	(0.04)	(0.01)	(0.03)
	गैरनिगमित संयुक्त उद्यम										
1.	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	31.03.2015			50.00%	नियंत्रण	लागू नहीं	-	6.47	3.24	3.24
2.	इरकॉन-एफकॉन	31.03.2015			53.00%	नियंत्रण	लागू नहीं	1.32	3.80	1.91	1.89
3.	रीकॉन	31.03.2015			49.00%	नियंत्रण	लागू नहीं	9.67	0.51	0.25	0.26
4.	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर (आईएमसीसी)	31.03.2015			9.50%	नियंत्रण	लागू नहीं	3.52	(0.40)	(0.04)	(0.36)
5.	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	31.03.2015			9.50%	नियंत्रण	लागू नहीं	5.42	2.64	0.28	2.36

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2015

विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
909, चिरंजीवी टावर,
43 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
बी-30, कनॉट प्लेस, कुथियाला बिल्डिंग
नई दिल्ली-110001

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

1. समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमनें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) तथा इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रुप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायो के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 को समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं(जिन्हें यहां आके समेकित वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं की शर्तों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिदृष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत मे सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों सहित समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड प्रवाह के सबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। समूह सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमिततओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करता हे और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनिम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जिनका प्रयोग उपर्युक्त अनुसार धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

3. लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करना है।

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट मे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमनें लेखापरीक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस तथ्य का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण तथ्यात्मक दुर्विवरण से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक और समेकित वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के जोखिम पर निर्भर करता है। इन जोखिम आकलनों को करने के लिए लेखापरीक्षक धारक कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सही और वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, किन्तु यह विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि क्या धारक कंपनी के पास वित्तीय

रिपोर्टिंग के संबंध मे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा नीतियों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन और समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे दिए गए पैरा अन्य मुद्दे मे संदर्भित अपनी रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारे वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. योग्य मत का आधार

(क) संयुक्त उद्यम कंपनी कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फीरो डा बेरा एसएआरएल (सीसीएफबी) से प्राप्त होने वाले शेयरधारक का ऋण और उसपर उपचित ब्याज का 31 मार्च, 2011 को विद्यमान विनमय दर पर धारक कंपनी शेष रकम को अग्रेनित कर रही है। जो 31 मार्च, 2015 को विद्यमान दरों पर परिवर्तित न किये गए और जो लेखा कर्ण मानक-11 के अनुरुप नहीं है। इसके परिणामत: दीर्घकालिक ऋण और पेशगियॉं 19.31 करोड रुपये और पिछले वर्ष 15.11 कर पूर्व लाभ 19.31 करोड रुपये से कम है (वर्तमान वर्ष में 4.20 करोड रुपये और पिछले वर्ष 15.11 करोड़ रुपये) (संदर्भ टिप्पणी सं. 36)। इस मामले का उल्लेख 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किया गया।

यदि उपर्युक्त के प्रभाव को प्रस्तुत किया जाता है तो दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम और कर पूर्व लाभ 19.31 करोड़ रुपए अधिक होते।

ख. 12.74 करोड़ रुपए की राशि को, जो कि कमीशन के रुप मे दिया गया है को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण के नामे डाला गया है (पिछले वर्ष 37.91 करोड़ रुपए), जैसा कि दो देशों में परियोजनाओं के संबंध में अभिल्प, आरेखण, व्यवसाय विकास, एजेंसी और परामर्श प्रभारों के रुप में नोट सं. 25 में प्रचालन और प्रशासनिक व्ययों में शामिल किए गए हैं। इन परियोजनाओं के आरंभ हाने से अब तक इस संबंध में लाभ और हानि के विवरण के नामे डाली गई कुल राशि 422.43 करोड़ रुपए है। उक्त राशि को संबंधित सरकार/सरकारी एजेंसियों के लिए इन देशों में क्रियान्वित की जा रही विदेशी परियोजनाओं के लिए आर्डर प्राप्त करने और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त विदेशी एजेंटों को कमिशनप के प्रति भुगतान किया गया है/किया जाना है।

विदेशी कमीशन एजेंटों को सिंगापुर (एक देश में परियोजना हेतु)और हांगकांग (अन्य देश में परियोजना हेतु)में पंजीकृत किया गया है। धारक कंपनी विदेशी एजेंटों की नियुक्ति के समय किसी वित्तीय विवरण, कर रिटर्नों, एजेंट के प्रोफाइल, उनके अनुभव का ब्यौरा, उनकी स्थिति और ट्रैक रिकार्ड को प्राप्त नहीं किया जाता है। विदेशी एजेंटों की नियुक्ति और उन्हें भुगतान धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति या निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति से नहीं किया जाता है। हम कमीशन एजेंटों के चयन और नियुक्ति के लिए अनुसरण की जा रही प्रक्रिया, उनकी वास्तविक पहचान के संबंध में दस्तावेज, उनकी स्थिति, विशेषज्ञता और एजेंटों के अनुभव के संबंध में संतुष्ट नहीं हैं।

इन भुगतानों के संबंध में विधिक अनुपालनों के संबंध में हमें कोई साक्षय या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। वास्तव में उपलब्ध कराई गई सेवाओ के संबंध मे कोई संतोषजनक साक्ष्य या संप्रेषण के अभाव मे हम धारक कंपनी द्वारा विदेशी एजेंटो से प्राप्त सेवाओं की सदाशयीता के संबंध में संतुष्ट नहीं हैं।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इस विषय में लेखापरीक्षकों द्वारा बल दिया गया था।

5. योग्य मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और सहायक कंपनियों के उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, योग्य मत पैरा के आधार में वर्णित मुद्दों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान करता है और भारत में सामान्यत स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है, जो उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2015 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति, और इसकेसमेकित लाभ और इसके समेकित रोकड़ प्रवाह को दर्शाता है।

6. विषय पर बल

क. हम ग्राहक, उत्तरी रेल द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल संपर्क परियोजना (यूएसबीआरएल) नामक ब्रॉड गेज रेल संपर्क परियोजना के निष्पादन में 1099.25 करोड़ रुपए की राशि के कतिपय व्ययों की स्वीकार्यता के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं.33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

ख. हम आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत दावित कटौती को अनुपति प्रदान न किए जाने और भारत में अन्य देशों की स्थायी इकाइयों द्वारा अर्जित आय की कर योग्यता के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए आयकर प्रावधानों के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट सं. 35 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दोनों ही मुद्दों को धारक कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

विषय पर बल के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

7. अन्य मुद्दे

(क) हमनें 3 सहायक कंपनियों और 8 संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2015 को 1,063.54 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों, 176.80 करोड़ रुपए तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 103.59 करोड ़रुपए के निवल रोकड ़प्रवाह को प्रदर्शित करता है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है , और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है।

(ख) हमनें एक संयुक्त रुप से नियंत्रित निकाय के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2015 को 13.26 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 41.17 करोड ़रुपए के कुल राजस्व और (0.43) करोड रुपए निवल रोकड ़प्रवाह को प्रदर्शित करता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और ये हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, जहां तक यह इन सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों का संबंध है , और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार हमारी रिपोर्ट अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणो/वित्तीय सूचना पर पूर्णत आश्रित है, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियो, संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है। हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए तथ्यात्मक नहीं है।

समेकित वित्तीय विरणों पर हमारा मत, और नीचे प्रस्तुत अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओ पर हमारी रिपोर्ट, हमारे द्वारा किए गए कार्य की हमारी विश्वसनियता, अन्य लेखापरीक्षको की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचनाके संबंध मे उपर्युक्त विषयो के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

8. अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

I. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (आदेश) द्वारा अपेक्षित अनुसार धारक कंपनी, सहायक कंपनियों और भारत मे निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियो की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में टिप्पणियों के आधार पर, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक के रूप में दे रहे हैं।

II. कंपनी अधिनियम के खंड 143(3) के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणो की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा योग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(क)में वर्णित मामले के प्रभावों से इतर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विरणो को तैयार करने संबंधि विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखे की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत हुआ है।

(ग) शाखा लेखापरीक्षाकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी, भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियो और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियो कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें/अन्य लेखापरीक्षकों, जैसा भी लागू हो, को भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ-हानि का विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्नों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।

(ड.) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा यौग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(क)में वर्णित मामले के प्रभावों से इतर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरुप हैं।

(च) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पैरा यथा योग्य मत के लिए आधार पर खंड 4(ख)में वर्णित मामलों से कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(छ) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ज) लेखों के अनुरक्षण और इससे संबंधित अन्य विषयों से संबंधित अर्हता का उल्लेख उपर्युक्त पैरा योग्य मत के लिए आधार के खंड 4(क)में किया गया है।

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(क) समूह और इसकी संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरण के नोट सं. 31, 35 और 36 का संदर्भ लें।

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों में दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है, जिसका उल्लेख ऐसे मदों के संबंध मे वित्तीय विवरणों के नोट सं. 28(ख) में अपरिहार्य घाटों मे किया गया है, क्योंकि यह समूह से संबंधित है। समूह और इसके संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(ग) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियो तथा भारत में निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा ऐसी किसी राशि को कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
सदस्यता सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 006711एन

नीना गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्तूबर, 2015

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसके पैरा 8(1) का संदर्भ लें)

आदेश पर हमारी रिपोर्टिंग मे धारक कंपनी, सहायक कंपनियां और भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां (जिसे यहां आगे संयुक्त रुप से समूह कहा जाएगा) शामिल हैं, जिस पर लेखापरीक्षकों ने आदेश (लागू स्तर तक) के अनुसार रिपोर्टिंग की है। इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध मे हमारी रिपोर्ट पूर्ण रुप से उनके लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हम उल्लेख करते हैं कि:

i. क. कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

 ख. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में समूह निकायों के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

ii. क. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रुप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

 ख. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया समूह निकायों के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त और समुचित है।

 ग. हमारी राय में इनवेंटरी अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर समूह निकाय इनवेंटरी अभिलेखों का उचित रखरखाव कर रही है। प्रत्यक्ष सत्यापन परिणामों की तुलना बही अभिलेखों से करने पर पाई गई विसंगतियां नगण्य हैं तथा इन्हें उचित रुप में लेखा बहियों में समायोजित कर लिया गया है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से समूह निकायों ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) (क) तथा (ख) के अधीन अपेक्षाएँ समूह निकायों पर लागू नहीं होती।

iv. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मुख्य रिपोर्ट में मान्य मत के आधार के पैरा सं. 4(ख) में वर्णित अनुसवार को छोड़कर इनवेंटरी और स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद और माल की बिक्री के लिए समूह निकायों के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। समूह निकायों की हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कोई ऐसी सतत् चूक नहीं पाई गई है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षाप्रणली को व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है।

v. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकार्डों की हमारी जांच के अनुासार, समूह निकाय ने जनसाधारण से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 73 से 76 के प्रावधानो और अन्य संगत प्रावधानो तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नही होते हैं।

vi. धारक कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमने ना ही ऐसे लेखों औरा रिकार्डों की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है। संबंधित अन्य समूह निकायों के सांविधिक लेखापरीक्षको ने सूचित किया है कि केन्द्र सरकार ने अधिनियम के अनुच्छेद 148(1)के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण को निर्धारित नहीं किया है।

vii. क. समूह निकाय सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर को मिलाकर लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियों और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। जैसे हमें उल्लेख किया गया है, निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा समूह निकाय पर लागू नहीं होती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.03.2015 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

 ख. 31.03.2015 को धारक कम्पनी के अभिलेखों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, संपदाकर, उत्पादशुल्क और उपकर के संबध में देय राशियों का विवरण निम्नप्रकार है, जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है। संबंधित अन्य समूह निकायों के सांविधिक लेखापरीक्षको ने सूचित किया है कि 31.03.2015 को विवाद के कारण कोई उपर्युक्त देय राशि जमा नहीं कराई गई है।

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962	आईए- हैंगर, बम्बई में निष्पादित कार्य के लिए लगाया गया सीमा शुल्क	5.81	1989-90	उपायुक्त (सीमाशुल्क), मुम्बई
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय के लिए नामंजूरी	11.89*	2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय के लिए नामंजूरी के प्रति दंड	32.97*	2010-11	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 80-आईए के अंतर्गत कटौती की गैर अनुमति, विदेशी आय पर कर और अन्य गैर अनुमतियां	43.50*	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील) नई दिल्ली
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.99	1995-96	मुम्बई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002	व्यय की नामंजूरी	1.53	1996-97	मुम्बई उच्च न्यायालय
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	2.65	2003-04	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	निर्माण उपकरणों पर प्रवेश कर	0.80	2004-05	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गुजरात मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर 2005-06, गोधरा	1.90	2005-06	उपायुक्त बिक्रीकर प्राधिकरण, वडोदरा
गोवा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	इनपुट कर की नामंजूरी कर ऋण व कर योग्य राशि के मूल्यांकन से सम्बंधित मुद्दे	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकार, मरगाव
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.56	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.13	2007-08	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.76	2008-09	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.11	2009-10	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	1.00	2010-11	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर - एजीआरपी	0.22	2011-12	आयुक्त, व्यापार कर, गाजियाबाद
स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007 और उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	प्रवेशकर/ बिक्री कर के लिए मांग	4.80	2004-05 से 2009-10	संयुक्त आयुक्त, अपील, बरेली
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.91	2008-09 व 2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, नोएडा
स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेशकर के लिए मांग	0.03	2010-11	उपायुक्त बिक्रीकर, लखनऊ

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए मांग	0.08	1982-83 व 1989-90	अपील अधिकरण, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपीटीटी के लिए मांग	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.15	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 1948	यूपीटीटी के लिए मांग	0.43	2006-07	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.06	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
स्थानीय क्षेत्र में सामान के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर के लिए मांग	0.26	2009-10	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	0.60	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.30	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	प्रवेश कर के लिए मांग	0.22	2008-09	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट के लिए मांग	1.38	2009-10	संयुक्त आयुक्त अपील, झांसी
उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	वेट	1.23	2009-10	उपायुक्त, वाणिज्यि कर, रायबरेली
ओडीशा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	बिक्री कर के लिए मांग	0.99	2002-03	आयुक्त बिक्री कर ओडीशा
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	0.28	1998-1999	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.71	2004-05	सहायक आयुक्त बिक्री कर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	बिक्री कर के लिए मांग	1.75	1987-88 से 1994-95	बेहाला बिक्री कर अधिकरण- कहलगांव
बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005	व्यय की नामंजूरी	5.98**	2005-06 से 2006-07	उपायुक्त बिक्रीकर, बिहार
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.31	2009-10	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
पश्चिम बंगाल मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2003	इनपुट कर जमा की नामंजूरी	0.26	2008-09	उपायुक्त बिक्रीकर, बेहाला
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	वरिष्ठ जेसीसीटी, धरमतला प्रभार, कोलकाता
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.55	2011-12	बिक्री कर उपायुक्त - पश्चिम बंगाल- कॉलेज स्ट्रीट प्रभार
राज्य बिक्री कर/वेट आदि	वेट	0.07	2010-11	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना बिहार
जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	129.77**	1999-00 से 2010-11	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय तथा उपायुक्त वाणिज्कि कर (अपील) श्रीनगर

अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों की प्रकृति	बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि जिसके लिए राशि जारी की गई है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
कर्नाटक वेट	सकल लाभ को अपनाने में विवाद और उस पर दंड	0.85	2006-07	कर्नाटक अपील अधिकरण
कर्नाटक वेट	कर की दर में अंतर और उस पर लगाया गया ब्याज	0.50	2009-10	उपायुक्त (अपील) त्रिवेंद्रम
आयकर विभाग, बांग्लादेश	आयकर मांग	5.55	एवाई 2011-12	कर अपील अधिकरण, बांग्लादेश
अल्जीरिया निगमित कर कानून	निगमित कर	5.45	2010, 2011, 2012 व 2013	डीजीई कर कार्यालय
वित्त अधिनियम , 1994	सेवाकर	19.95	2001-02 से 2006-07	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली

*31 मार्च 2015 से आगे, आयकर विभाग ने 88.36 करोड़ रुपए की कुल मांग के प्रति अन्य वर्षों के 54.76 करोड़ रुपए के रीफंड को समायोजित किया है और इस पर विवाद है।

** कंपनी ने 135.75 करोड़ रुपए की मांग के प्रति 112.44 करोड़ रुपए जमा कराए हैं और इस पर विवाद है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में किसी राशि को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

viii. हमारे मतानुसार और समूह निकायों के अन्य लेखापरीक्षको की रिपोर्टो मे टिप्पणियो पर विचार करने पर, दो सहायक कंपनियां और दो संयुक्त नियंत्रित कंपनियां पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए पंजीकृत की गई हैं। शेष समूह निकाय के लिए एक संयुक्त नियंत्रित कंपनी में संबंधित निवल संपत्ति के पचास प्रतिशत से अधिक का संचित घाटा हुआ है किंतु वित्त वर्ष और इससे तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष के दौरान कोई रोकड हानि नहीं हुई है। धारक कंपनी और सहायक कंपनी के मामले मे, वित्त वर्ष के दौरान कोई संचित घाटा नहीं हुआ है और वित्त वर्ष और इससे तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष के दौरान कोई रोकड हानि नहीं हुई है ।

ix. हमारे मतानुसार और समूह निकायों के अन्य लेखापरीक्षको की रिपोर्टो मे टिप्पणियो पर विचार करने पर, एक संयुक्त नियंत्रित कंपनी के वित्तीय संस्थानो, बैकों या डिबेंचर धारको के प्रति बकाया देय हैं और वर्ष के दौरान इनके पुनर्भुगतान मे कोई चूक नहीं हुई है। वर्ष के दौरान अन्य समूह निकायों की वित्त संस्था, बैंक या डिवेंचेर धारकों के प्रति कोई बकाया देय राशि नहीं है। तदनुसार, आदेशक का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं है।

x. हमारी राय में बिक्री या वित्तीय संस्थाओं से अन्य पक्षों द्वारा लिए गए ऋण के लिए धारक कंपनी ने जिन निबंधनों और शर्तों पर उनकी गांरटी दी है वे कम्पनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।अन्य समूह निकायो ने बैको या वित्तीय संस्थानो से अन्यो द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेशक के खंड 3(x) के प्रावधान, जैसा कि अन्य लेखापरीक्षकों ने उल्लेख किया है, कंपनी पर लागू नहीं है।

xi. हमारे मतानुसार और दो संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षको की रिपोर्टो मे टिप्पणियो पर विचार करने पर, आवधिक ऋणों का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे लिया गया था। वर्ष के दौरान अन्य समूह निकायो का कोई आवधिक ऋण नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर या उसके द्वारा किया गया कपट न देखा गया न ही सूचित किया गया है।

कृते विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 002304एन

मुकेश दधीच
साझेदार
सदस्यता सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन - 006711एन

नीना गोयल
साझेदार
सदस्यता सं. 057986

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अक्तूबर, 2015

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2015 को

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
I.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**शेयरधारकों की निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	2	19.80		19.80	
	(ख) आरक्षित निधियां और अधिशेष	3	3,284.65	3,304.45	2,922.23	2,942.03
2	**अल्प हित**			21.28		20.32
3	**गैर-चालू देयताएं**					
	(क) दीर्घकालिक ऋण	4	170.80		213.33	
	(ख) दीर्घकालिक देयताएं	5	495.40		490.72	
	(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	6	419.42	1,085.62	461.86	1,165.91
4	**चालू देयताएं**					
	(क) व्यापार देय	7	468.60		591.74	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	8	1,721.67		1,272.98	
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	9	834.99	3,025.26	819.42	2,684.14
	कुल			7,436.61		6,812.40
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) नियत परिसंत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	177.57		165.77	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	558.57		581.44	
	(iii) प्रगतिरत मूर्त परिसंपत्तियां	11	15.14		10.72	
	(iv) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	12	15.29		22.09	
	(v) पारगमन में मशीनरी		-		15.64	
	(ख) गैर-चालू निवेश	13	429.54		193.92	
	(ग) आस्थिगित कर परिसपत्ति (निवल)	14	267.91		300.69	
	(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	15	609.31		562.99	
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	16	66.16	2,139.49	43.88	1,897.14
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वर्तमान निवेश	17	66.06		176.02	
	(ख) दरसूचियां	18	124.34		124.19	
	(ग) व्यापार प्राप्य	19	596.69		778.77	
	(घ) रोकड़ व बैंक शेष	20	3,432.69		2,802.73	
	(ड.) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	21	428.51		539.07	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	22	648.83	5,297.12	494.48	4,915.26
	कुल			7,436.61		6,812.40
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का सार	1				
IV.	समेकित वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-52				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2015

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	23	**3,037.64**	4,138.04
	अन्य आय	24	**267.33**	251.85
	कुल राजस्व		**3,304.97**	**4,389.89**
II.	**व्यय:**			
	प्रचालनिक तथा प्रशासनिक व्यय	25		
	- प्रचालनिक व्यय		**2,122.00**	2,733.22
	- प्रशासनिक व्यय		**33.69**	38.76
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	**198.72**	233.15
	वित्तीय लागतें	27	**32.79**	65.83
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	**57.25**	78.54
	कुल व्यय		**2,444.45**	**3,149.50**
III.	**कर पूर्व लाभ (I - II)**		**860.52**	1,240.39
IV.	कर व्यय :			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष के लिए		**203.84**	354.18
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		**40.77**	26.66
	(2) आस्थगित कर (निवल)	14	**32.78**	(31.70)
	कुल कर व्यय		**277.39**	349.14
V.	**वर्ष के लिए लाभ (अल्प हित के समायोजन से पूर्व) (III-IV))**		**583.13**	891.25
VI.	(आय)/घाटों में जमा/ (घटा)अल्प हित		**(0.97)**	(1.24)
VII.	**वर्ष के लिए लाभ (V+ VI)**		**582.16**	**890.01**
VIII.	प्रति शेयर आमदनी - मूलभूत तथा विलयित(रु.में)	51	**294.08**	449.59
IX.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
X.	समेकित वित्तीय विवरण के भाग के रुप में नोट	2-52		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

सुमीता शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2015

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2015

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड में)

		2014-15		2013-14	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		860.52		1,240.39	
निम्न के लिए समायोजन:					
मूल्यह्रास		57.32		78.57	
निवेश की किश्तों पर छूट		0.01		0.35	
परिसंपतियों (निवल) की बिक्री पर हानि/(लाभ)		1.41		(0.19)	
ब्याज आय		(223.69)		(231.41)	
प्रावधान - जमा (पश्चलिखित) निवल		(13.22)		160.84	
(आय)/हानियों में अल्प हित		(0.97)		(1.24)	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(20.73)		9.31	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	660.65		1,256.62	
निम्न के लिए समायोजन:					
व्यापार प्राप्यों/ऋण और अग्रिम में कमी (वृद्धि)		154.38		572.97	
मालसूचियों में कमी (वृद्धि)		(0.15)		0.38	
अन्य परिसंपत्तियों में कमी (वृद्धि)		(193.93)		(252.57)	
व्यापार देय राशियों में कमी (वृद्धि)		(123.14)		(46.07)	
अन्य देयताओं और प्रावधानों में कमी (वृद्धि)		155.81		(1,173.33)	
अल्पसंख्यक हित में (कमी)/वृद्धि		0.96		11.04	
	(2)	(6.07)		(887.58)	
प्रचालन से सृजित रोकड़	(1+2)	654.58		369.04	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी		(152.89)		(236.45)	
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	(क)		501.69		132.59
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद		(31.91)		(53.74)	
निवेश संपत्ति की खरीद		(15.84)		(245.56)	
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री		2.31		0.91	
प्राप्त ब्याज		240.99		249.44	
बांड्स में निवेश		-		(64.92)	
(निवेश) / बैंक जमा राशिया की परिपक्वता (3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि)		(871.56)		358.34	
चालू निवेश (निवल) की (खरीद) /बिक्री		134.96		(121.42)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		(541.05)		123.05
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
भुगतान किया गया लाभांश (निगमित कर सहित)		(190.73)		(233.16)	
दीर्घकालिक ऋणा का पुनर्भुगतान		(31.41)		(21.18)	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)		(222.14)		(254.34)
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)		19.90		(7.68)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)		(241.60)		(6.38)
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ङ.)		1,608.55		1,614.93
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)	(च)		1,366.95		1,608.55
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(च - ङ.)		(241.60)		(6.38)

नोट: 1. समेकित रोकड प्रवाह विवरण को लेखांकन मानक-3/रोकड प्रवाह विवरण के रुप मे निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया है।
2. नगदी तथा नगदी समतुल्यों में कैश-इन-हैंड तथा बैंकों में शेष शामिल हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े रोकड़ के आऊटफ्लो को दर्शाते हैं।
4. पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक हुआ पुन: समूहित किए गए हैं।
5. नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के प्रति 679.68 करोड़ रु. (272.31 करोड रु) जिस पर उन्हें ब्याज दिया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2015

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

(i) समूह संबंधी सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) टर्नकी आधार पर तथा अन्यथा रेल परियोजनओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है। कंपनी गुणत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी; अनुसूची "क" की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तथा एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी है। रेल निर्माण कंपनी के रुप में अपना व्यवसाय (सामूहिक रुप से समूह में) आरंभ करने के पश्चात, इसने अपनी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के साथ सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मेट्रो निर्माण कार्यों के क्षेत्रों में धीरे-धीरे अपने व्यापार का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है।

(ii)तैयार करने के आधार

क) ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर प्रोदभवन आधार पर तथा निरन्तर तथा वस्तुता के आधारभूत भारत में सामान्यत् स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) की तर्ज पर तैयार किए जाते हैं। सामान्यत् स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) में कंपनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम-7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत धारा-133 तथा अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित स्तर तक) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार अनिवार्य लेखांकन मानक शामिल हैं। लेखांकन नीतियों का निरंतर अनुप्रयोग किया गया है, उन स्थानों को छोड कर जहां नए रुप से जारी लेखांकन मानकों को आरंभिक तौर पर अपनाया गया है या लेखांकन नीति में परिवर्तन की अपेक्षा अनुसार मौजूदा लेखांकन मानक को संशोधित किया गया है।

ख) समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपए में दर्शाए जाते हैं तथा सभी मूल्य करोड़ रुपए सहित दो दशमलव बिन्दुओं के निकटवर्ती रूप में होते हैं बशर्ते अन्यथा दर्शाया गया हो।

(iii) समेकित वित्तीय विवरण

(क)इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंतर-समूह शेषों तथा अंतर-समूह समव्यवहारों पर अवास्तविक लाभ/हानि को समाप्त करने के पश्चात, परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय जैसे समान मदों के बही मूल्य को जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर समेकित किया जाता है, और यथासंभव कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

(ख)संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में कंपनी का हित इंट्रा-समूह संव्यवहारों पर वसूल न किए गए लाभ/हानि को अलग करने के पश्चात परिसंपत्तियों के बही मूल्य, देयताओं, आय और व्ययों के एक साथ जोड़कर रेखा-दर-रेखा आधार पर आनुपातिक रुप में समेकित किया जाता है।

(ग) संयुक्त रुप से नियंत्रित प्रचालनों के मामले में, राजस्व में कंपनी का भाग, संयुक्त व्यय, परिसंपत्तियों तथा देयताओं को क्रमश: राजस्व, व्ययों, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में शामिल किया जाता है।

(घ) कंपनी के शेयरधारकों के प्रति शुद्ध आय का आकलन करने के लिए आय के प्रति वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में अल्पसंख्यक हित को चिहनित और समायोजित किया गया है। शुद्ध परिसंपत्तियों के उनके भाग को समेकित तुलन पत्र में पृथक रुप से चिहनित और प्रस्तुत किया गया है।

(iv) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क) भारतीय प्रचालनों के संव्यवहार

विदेशी मुद्रा सौदों का रूपान्तरण निम्न रीति से किया जाता है:

i) समस्त विदेशी मुद्रा सौदों का भारतीय मुद्रा रूपांतरण सौदे की तारीख पर प्रचलित दर पर किया जाता है।

ii) स्थिर परिसंपत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख पर दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपतियों के मूल्य परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

v) विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों और आकस्मिक देयताओं को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को प्रचालित समापन क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

ख) एकीकृत विदेशी प्रचालनों में संव्यवहार

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का परिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है।

i) राजस्व मदों को अंतरण की तिथि को विद्यमान दर के आधार पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

ii) स्थिर परिसम्पत्तियों और मुद्रेतर मदों को सौदे की तारीख को विद्यमान दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii) मूल्यह्रास को परिवर्तित उन दरों पर किया जाता है, जिनका उपयोग परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है जिन पर मूल्यह्रास का परिकलन किया गया है।

iv) मुद्रित मदें तथा आकस्मिक देयताएं प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को प्रचालित अंतिम क्रय का उपयाग करके परिवतिर्त की जाती हैं।

ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर रूपान्तरणों के परिणामस्वरूप निवल विनिमय अंतरों को वर्ष के लिए आय या व्यय के रुप में लिया गया है।

घ) गैर एकीकृत विदेशी प्रचालनों के संव्यवहार

गैर-एकीकृत विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित किया जाता हैं -

i) परिसम्पत्तियों तथा दायित्व, मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों को अंतिम क्रय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

ii) आय और व्यय मदों को संव्यवहार की तिथि को दर पर रूपांतरित किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनियम अंतर को शुद्ध निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि में एकत्र किया जाता है तथा इसे उसी अवधि में आय या व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें निपटान पर लाभ या हानि को पहुंचाया गया है।

(v) स्थिर परिसम्पत्तियाँ

मूर्त परिसंपत्तियां

(क) मूर्त परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास तथा अर्जन घाटों, यदि कोई हो, को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

(ख)मशीनरी स्पेयर्स जो केवल मूर्त परिसंपत्तियों के मद के संबंध में उपयोग किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग अधिनियमित होने की प्रत्याक्षी है, उन्हें पूंजीगत तथा ऐसी मूर्त परिसंपत्तियों के शेष जीवनकाल पर मूल्यह्रसित/परिशोधन किया जाता है।

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख तक किए गए निर्माण अवधि के दौरान प्रासांगिक व्यय को पूंजीगत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

(क) अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो उस परिसंपत्ति के परिणामस्वरुप हैं, वे उपक्रम में प्रवाहित होंगे और परिसंपत्ति के मूल्य का विश्वसनियता के साथ मापन किया जा सकेगा। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटन ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षति, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

(ख) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां किए गए तथा लागत पर वहन चालू व्यय को दर्शाती हैं।

(ग) टोल एकत्रण अधिकारों को दर्शाने वाले कैरिज-वे निर्माण, प्रचालन तथा हस्तांतरण आधार पर परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित निर्माण कार्य, प्रचालन और सेवाओं को प्रदान करने पर विचार करते हुए प्राप्त किया जाता है। ऐसे कैरिज-वे की लागत में कार्यान्वयन चरण के दौरान निर्माण लागत और अन्य प्रचालनपूर्व लागतें तथा एनएचएआई को देय ऋणात्मक अनुदान शामिल है।

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

निर्माण गतिविधियों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों को पूंजीकृत और लागत पर मूल्यित किया गया है।

(vi) निवेश

क. गैर-चालू निवेशों का मूल्यांकन लागत पर मूल्य में स्थायी गिरावट के लिए प्रावधान को घटाकर किया जाता है, यदि कोई हो।

ख. चालू निवेशों को लागत पर या उचित मूल्य पर, जो भी कम हो, आंका जाता है।

ग. भूमि या भवनों में निवेश, जिसका प्रयोजन व्यापक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रयोग या प्रचालन के लिए के लिए नहीं है, उसे निवेश परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश परिसंपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानियों, यदि कोई हो, के निवल के रुप में उल्लिखित किया जाता है।

(vii) मालसूचियाँ

क) प्रगतिरत निर्माण कार्य

प्रगतिरत निर्माण कार्य का मूल्य लागत पर निकाला जाता है, तब तक कार्य के आउटकम को विश्वसनियता के साथ तथा विश्वसनीय मूल्य पर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। साइट मोबलाइजेशन व्यय को बट्टे खाते के स्तर तक लागत पर ही मूल्यित किया जाता है।

ख) अन्य

i) लागत लाभ ठेकों में, सभी सामग्रियों, स्पेयर्स और भंडारों जो संविदा की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य नहीं है उन्हें नीचे (iii) के अनुसार दर सूची मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

ii) मद दर और एकमुश्त ठेकों के संबंध में, सभी सामग्रियों (पूंजीकृत को छोड़कर) के उपयोग को वर्ष लाभ और हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

iii) मालसूचियों का मूल्यांकन प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर और वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

iv) अबद्ध औजारों को क्रय वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(viii) रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

रोकड़ एंव बैंक शेष में बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, उपलब्ध चैक, मांग जमा तथा तुलन पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर की अवधि में परिपक्व होने वाली बैंक जमा खाते शामिल होते हैं।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

(ix) अनुदान

(क) एनएचएआई से निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान को शेयरधारक निधि के भाग के रूप में लेखांकित किया गया है क्योंकि यह इक्विटी सहायत की प्रकृति के समान है और इसे पूंजी आरक्षित निधि के रुप में माना जाता है।

(ख) एनएचएआई से निर्माण अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व अनुदान को लेखांकित किया गया है और प्राप्त होने पर इसे आय के भाग के रुप में प्राप्त किया जाएगा व माना जाएगा तथा इसे लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाएगा।

(ग) प्रचालनिक अवधि के दौरान एनएचएआई को देय ऋणात्मक अनुदान को निर्माण चरण की समाप्ति पर लेखांकित किया जाएगा और इसे आस्थगित भुगतान देयता पर अमूर्त भुगतान देयता की पहचान पर अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत टोल एकत्रण अधिकारों के भाग के रुप में पूंजीकृत किया जाएगा।

(x) प्रावधान

क. अनुरक्षण के लिए प्रावधान

i) लागत जमा निविदा में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य हो वहां अनुरक्षण के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ii) मद दर और एकमुश्त टर्नकी ठेकों के मामलों में कम्पनी का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अनुरक्षण का प्रावधान किया जाता है जिसमें संविदागत बाध्यता, उप ठेकेदारों की बाध्यता, प्रचालन आवर्त और अन्य संगत कारकों को ध्यान मे रखा जाता है।

iii) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रत्येक आंकलित संविदा में प्रबंधन के जोखिम अनुमान के आधार पर अभिकल्प गारंटी अवधि के दौरान अनिश्चित व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है। तथापि, यह न्यूनतम 50 लाख रुपए तथा अधिकतम ग्राहक के साथ संविदा करार में विनिर्दिष्ट अभिकल्प गारंटी की राशि के बराबर होगा।

ख) विनियोजन के लिए प्रावधान

विदेशी परियोजनाओं में श्रमशक्ति तथा संयंत्र व उपकरण के विनियोजन पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए विनियोजन का प्रावधान रखा गया है।

ग) संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋण/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है, जब देयों की अवधि को ध्यान में रखे बिना इनकी वसूली अनिश्चित हो । तीन वर्षों से अधिक अवधि के बकायों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है बशर्ते यह राशि वसूलनीय समझी जाय। ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, जब उनकी अनिश्चितता स्थापित हो जाए।

घ) अन्य

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में कम्पनी का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

(xi) राजस्व मान्यता

(क) संविदा राजस्व मान्यता

संविदा राजस्व का अनुमान उस स्तर तक लगाया जाता है जहां तक यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलते रहेंगे तथा राजस्वों का विश्वसनीय तौर पर आकलन किया जा सकेगा। संविदा प्रकृति के आधार पर राजस्व का अनुमान निम्न रूप में किया जाता है :

(i) लागत लाभ ठेकों में राजस्व का आकलन ग्राहकों को भेजे जाने वाले बिलों में व्यय की स्वीकार्य मदों और उन पर निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रभारित करके किया जाता है।

(ii) नियत मूल्य ठेकों में राजस्व का आकलन प्रमाणित कार्य की सम्पूर्ण लागत तथा पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का प्रयोग करते हुए आनुपातिक लाभ को शामिल करके किया जाता है । पूर्ण पद्धति के प्रतिशत का निर्धारण उस तारीख को लगाई गई लागत के ठेके की कुल अनुमानित लागत के अनुपात के रुप में किया जाता है ।

इस अवधि में किसी भी हानि के लिए पूर्ण प्रावधान होता है।

राजस्व में बिक्रीकर/वेट/डब्ल्यूसीटी/सेवाकर आदि सम्मिलित नहीं हैं, जिसमें इसे सोचा गया है।

(ख) टोल शुल्क

सुविधाओं के प्रयोक्ताओं से टोल शुल्क एकत्रण को उस समय लेखांकित किया जाता है जब वे देय होते हैं और वसूली निश्चित हो जाती है। स्मार्ट कार्डों की बिक्री से आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब कार्डों के प्रयोक्ताओं से राशि प्राप्त हो जाती है।

(ग) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को बकाया राशि और लागू ब्याज दर का ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(xii) पट्टे

i. प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों की पट्टा अदायगी अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि लेखा विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

ii. प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की पट्टा आय को पट्टा अवधि के लिए सीधी लाइन विधि आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में लिया गया है।

(xiii) निर्णीत हर्जाना और वृद्धि

i) संविदागत बाध्यताओं के कारण उत्पन्न विलंबों के परिणामस्वरुप निर्णीत हर्जानों/दंडों (एलडी) और संभावित रुप से ठेकेदारों द्वारा रोक दिया गया हो/विवादित हों, को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही संविदा लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। तथापि, ग्राहक द्वारा वसूले गए/रोके गए निर्णीत हर्जानों को वसूली में लेखांकित किया जाता है और संविदा राजस्व के प्रति समायोजित किया जाता है। दंड लगाए जाने के उनके अधिकार के मद्देनजर ग्राहक द्वारा समय विस्तार दिए जाने वाले मामलों में संभावित निर्णीत हर्जानों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

ii) वृद्धि प्राप्य/देय को ठेके के प्रावधान के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। वृद्धि प्राप्य लेकिन परियोजना लेखों को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व प्रमाणित न हो तो, उसे चालू कार्य में शामिल किया जाता है।

(xiv) अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान से संबंधित राजस्व व्यय को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ हानि विवरण में तब तक प्रभारित नहीं किया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न हो जाए और ऐसे मामले में ऐसे व्ययों को पूंजीकृत किया जाता है।

(xv) संसाधनों को जुटाने पर व्यय

संसाधनों को जुटाने के लिए नई परियोजनाओं पर आरम्भिक ठेका व्ययों का निर्धारण उस कार्य के वर्ष में प्रगतिरत निर्माण कार्य के रूप में किया जाता है जिसे वित्त वर्ष के अन्त में ठेके के पूरा होने के स्तर पर उसी प्रतिशत में आगामी वर्षों के लिए परियोजना में पूर्व दरों पर प्रभारित माना जाएगा ।

(xvi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन

मूर्त परिसंपत्तियां

क) मूर्त पसिंपत्तियों पर मूल्ह्रास का प्रावधाना कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी लाइन आधार पर किया जाता है।

ख) पट्टे की भूमि के संबंध में (पट्टे से इतर) मूल्यह्रास पट्टे की अवधि के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

ग) वर्ष के दौरान पृथक रुप से 5000 रू. तक की लागत वाली मूर्त परिसम्पत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर पूर्णत: मूल्यह्रासित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयरों को उक्त साफ्टवेयर के सफलतापूर्वक प्रचालित होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर 36 महीनों के अवधि में परिशोधित किया जाएगा बशर्ते प्रत्येक वित्त वर्ष में अंत में इसकी समीक्षा हो। पहचान के लिए 1 रुपए के टोकन मूल्य के आधार पर, 25 लाख रुपए तक के मूल्य के प्रत्येक साफ्टवेयर को क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

(xvii) क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति की वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है। इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रुप में पहचाना गया है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है।

(xviii) उधार लागतें

i) सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रुप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं।

ii) पूँजीगत परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उतरदायी उधार लागतों को पूंजीगत किया जाता है।

(xix) कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

i) प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए जाने के लिए संभावित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की गैर-रियायती राशि को उस अवधि के दौरान व्यय के रुप में लेखांकित किया जाएगा जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(ख) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i) भविष्य निधि के रुप में सेवानिवृत्ति लाभ परिभाषित अंशदान योजना है। भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए अंशदान को उस वर्ष के लिए लाभ हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष अंशदान देय है।

ii) समूह अपने कर्मचारियों के लिए उपदान निर्धारित लाभ योजना प्रचालित करता है। लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के अंत में यूनिट क्रैडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया

जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

iii) छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है।

(xx) पूर्व अवधि समायोजन और अन्य मदें

i) आय/व्यय से संबधित पूर्व अवधि और पूर्वप्रदत व्यय जो प्रत्येक मामले में 50000 रू से अधिक न हों, उन्हें चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबधित व्ययों को व्यय-भार के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(xxi) कर

i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। अतिरिक्त करों या दायित्वों, यदि कोई हो, जैसे ही और जब निर्धारण पूरा होता है, उनका प्रबन्ध/अदायगी कर दी जाती है।

ii) आस्थगित कर परिसंपत्त्यिों का निर्धारण केवल उसी स्तर तक किया जाता है, जहां युक्तिसंगत निश्चितता हो कि आस्थगित पर परिसंपत्तियों को छोड़ कर पर्याप्त भावी आय उपलब्ध होगी, यदि वहां गैर-आमेलित मूल्यह्रास या हानियां होती हैं तो इन्हें उस स्थिति में निर्धारित किया जाएगा जब वहां वास्तविक निश्चितता हो कि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

iii) आस्थगित आयकर का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख तक बनाई गई या वास्तविक रूप से बनाई गई कर दरों और कर कानूनों के आधार पर किया जाता है।

(xxii). खण्ड रिपोर्टिंग

कंपनी ने परियोजना की भौगोलिक अवस्थिति यथा, देशीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दो प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्डों की और निर्माण व्यवसाय और परिसम्पतियों को पट्टे पर देने और इसके प्रचालन (पट्टा व प्रचालन) पट्टे पर और प्रचालन के आधार पर दो द्वितीयक रिपोर्टिंग खंडों की पहचान की है।

(xxiii) प्रति शेयर आमदना

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

(xxiv) आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

क) आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हो, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

ख) आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

घ) आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

2. शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2015 को	31मार्च 2014 को
प्राधिकृत		
25,000,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु.	**25.00**	25.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त		
1,97,96,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10रु. के - पूर्णत प्रदत्त	**19.80**	19.80
कुल	**19.80**	**19.80**

i) धारित शोयरों की संख्या का वितरण:

विवरण	31मार्च 2015 को		31मार्च 2014 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	**19,742,400**	**99.729%**	19,742,400	99.729%
भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड	**48,800**	**0.247%**	48,800	0.247%
बैंक आफ इंडिया	**4,800**	**0.024%**	4,800	0.024%
कुल	19,796,000	100%	19,796,000	100%

ii) रोकड़ से इतर जारी शेयर

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी बांड शेयर : वित्त वर्ष 2012-13 में 1:1 के अनुपात में पूर्णत प्रदत्त बोनस शेयरों के रुप में प्रत्येक 10 रुपए के 98,98,000 इक्विटी शेयर।

iii) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/ अधिकार :

(क) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ख) लाभांश

कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। अंतरिम लाभांश की स्थिति को छोड़ कर निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जाते हैं।

(ग) परिसमापन

कपनी के परिसमापन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियर राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी ।

iv) इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का पुनर्विनियोजन:

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपए
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	19,796,000	19.80
जमा: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	**19,796,000**	**19.80**	**19,796,000**	**19.80**

3. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31मार्च 2015 को		31मार्च 2014 को	
क. आराक्षित निधि					
आरंभिक शेष		14.15		14.15	
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण सें अतिक्ति में अंतरित		-	14.15	-	14.15
ख.सीएसआर आरक्षित निधि					
आरंभिक शेष		1.71		2.90	
घटा: लाभ और हानि विवरण में अंतरित	(i)	1.71	-	1.19	1.71
ग. विदेशी मुद्रा उच्चावचन गतिविधि निधि			0.73		1.56
घ. सामान्य आरक्षित निधि					
अधिशेष		2,904.81		2,227.45	
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित (संदर्भ (ड.) नीचे		364.96	3,269.77	677.36	2,904.81
घ. लाभ और हानि विवरण में अधिशेष					
चालू वर्ष के लिए निवल लाभ		582.16		890.01	
विनियोजन					
जमा:					
- सीएसआर गतिविधि आरक्षित निधि से अंतरण		1.71		1.19	
घटा:					
-अंतरिम लाभांश		79.18		100.96	
(प्रति शेयर लाभांश 40/- रु. (51/-रु.)					
-प्रस्तावित लाभांश		102.94		81.16	
(प्रति शेयर लाभांश 52/- रु. (41/-रु.)					
-अंतरिम लाभांश पर कर		15.83		17.16	
-प्रस्तावित लाभांश पर कर		20.96		14.56	
-सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण		364.96	-	677.36	-
कुल			3,284.65		2,922.23

फुट नोट :

(i) धारक कंपनी ने 4.93 करोड़ रुपए (7.30 करोड रुपए) की आवश्यकता की तुलना में वर्ष के दौरान 6.70 करोड़ रुपए (8.41 करोड रुपए) खर्च किए हैं और 1.71 करोड रुपए पूर्ववता वष के करी फार्वड शेष` के प्रति है (संदर्भ नोट 50)।

4. दीर्घकालिक उधार

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
(क) सावधि ऋण (रक्षित)					
बैंक से	(i)		162.60		222.15
(ख) सावधि ऋण (अरक्षित)					
अन्य पक्षो से दीर्घकालिक					
- साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	(ii)	25.64		-	
- राइट्स लिमिटेड	(iii)	34.77		32.80	
- सीएफएम	(iii)	16.46	76.87	15.93	48.73
पूर्ण योग (क+ख)			239.47		270.88
घटा : अन्य चालू देयतएं के अंतर्गत चालू परिपक्व राशियां (संदर्भ नोट 8)			68.67		57.55
कुल			170.80		213.33

फुट नोट :

(i) इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि(आईएसटीपीएल) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण के 50% भाग पर 11.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। ऋण का पुनर्भुगतान दिसंबर 2011 से सितंबर 2022 तक 40 समान तिमाही किश्तों में किया जाएगा जो 3,40,00,000/- रु. से 30,00,00,000/-रु. होगा। यह ऋण निम्नानुसार रक्षित होगा:

क) अचल संवर्धनीय परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, पर प्रथम प्रभार और मॉर्टगेज;

ख) इस परियोजना से संबंधित वर्तमान तथा भावी दोनों प्रकार की चल परिसंपत्तियां का प्रथम प्रभार और आडमार। इसमें रियायत करार में परिभाषित अनुसार परियोजना परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं बशर्ते एनएचएआई द्वारा सहमति प्रदान की जाए।

ग) एस्क्रो खाते सहित ऋणदाताओं के सभी बैंक खाते (खातों)पर प्रथम प्रभार ऐस्क्रो करार के प्रावधान के अनुसार प्राथमिकताओं के प्रवाह के स्तर तक ही होगा और इससे आगे तथा अप्रार्थिथ पूंजी (वर्तमान तथा भावी) के लिए नहीं होगा बशर्ते यह रियायत करार के अंतर्गत अनुमेय स्तर तक होगा।

घ) प्रतिस्थापन के अधिकार के मामले में ऋणदाता के सभी अधिकारों, हित और दायित्वों हेतु या देनदार के पक्ष में कार्य निर्धारण के रुप में प्रभारित होगा।

ड.) ऋण पत्र, गारंटी और कार्यनिष्पादन बांडों (यदि कोई हो), के अंतर्गत परियोजना के संबंध में सभी ऋणदाता अधिकारों तथा हितों पर प्रभारित अनुसार प्रथम प्रभार, जो ऋणदाता द्वारा परियोजना के संबंध में किसी संविदा के किसी पक्ष द्वारा प्रदान की गई है।

च) बीमा संविदाओं की प्रक्रियाओं के भीतर सभी बीमा संविदाओं पर अधिकार, एस्क्रो करार के अंतर्गत जमा कराया जाएगा और बीमा करारों में एस्क्रो बैंक को घाटा अदाता के रुप में नामित किया जाएगा।

छ) ऋणदाता की जारी तथा प्रदत्त और वोटिंग शेयर पूंजी में धारक कंपनी की शेयर धारिता के 30 प्रतिशत तथा आईएसटीपीएल में स्टेकधारण के 21 प्रतिशत के लिए धारक कंपनी की गैर-निपटान शपत।

(ii) छत्तीसगढ इस्ट रेलवे लिमिटेड द्वारा साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से ऋण के 26 प्रतिशत भाग पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष होगी जिसमें परियोजना निर्माण में शामिल समय नहीं होगा अर्थात ऋण करार की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित मोरेटेरियम अवधि।

(iii) (क) राईट्स पर 8.68 करोड़ रु. (8.40 करोड़ रु.) तथा सीएफएम पर 16.46 करोड़ रु. (15.93 करोड़ रु.) की राशि के लिए बकाया ऋण सीसीएफबी द्वारा लिए गए ऋण क 25 प्रतिशत भाग है जिस पर लिबोर की दर से (छह माह) से ब्याज लगेगा जमा 3 प्रतिशत अतिरिक्त। यह ऋण 16 वार्षिक किश्तों में 8 वर्षों की अवधि में द्वि-वार्षिक आधार पर पुनर्भुगतान किया जाएगा, और इसकी मूल राशि तथा ब्याज की राशि की प्रथम किश्त 1 जुलाई 2011 को और अंतिम किश्त 1 जनवरी 2019 को देय होगी।

(ख) 24.30 करोड़ रु. (23.66 करोड़ रु.) की बकाया राशि राइट्स लिमिटेड से सीसीएफबी द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत भाग है जिस पर लिब्रा(6 माह) जमा 3 प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा। इस ऋण में सीसीएफबी के राजस्व और सभी परिसंपत्तियों पर समरुपी प्रभार शामिल है, जिसमें सीसीएफबी का स्वामित्व है और अन्य लाभार्थी अधिकारी और यह ऋण 18 समान किश्तों में 9 वर्षों के आधार पर छमाही रुप से पुनर्भुगतान योग्य होगी, जिसकी प्रथम किश्त का भुगतान 1 जुलाई 2012 में किया जाएगा।

तथापि, मोजाम्बिक सरकार द्वारा रियायत करार को समाप्त किए जाने के कारण, 50.62 करोड़ रु. (49.08 करोड़ रु.) के सभी बकाया भुगतान (ब्याज सहित) फरवरी 2012 से भुगमान के लिए ओवरड्यू हैं।

(ग) 1.80 करोड़ रु. (0.73 करोड़ रु.) की बकाया राशि राइट्स लिमिटेड से सीसीएफबी द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत भाग है जो मध्यस्थता व्ययों को पूरा करने के लिए है, जिस पर लिब्रा(6 माह) जमा 3 प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा। इसमें ब्याज 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होगा। देय तिथियों को भुगतान न किए गए ब्याज को ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ब्याज सहित ऋण का भुगतान मध्यस्थता का निर्माण आने पर या सीसीएफबी के पास निधियों की उपलब्धता होने, जो कोई भी पहले हो पर, किया जाएगा ।

5. दीर्घकालिक देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31मार्च 2015 को	31मार्च 2014 को
(क)व्यापार देय			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 49 का संदर्भ लें)"		-	-
- अन्य		8.38	2.46
(ख) अन्य देयताएं			
- ग्राहकों से अग्रिम	(i)	88.40	70.38
- प्रतिधारण राशि/प्रतिभूति जमा		101.12	120.38
- एनएचएआई को देय आस्थिगित कर देयता		297.50	297.50
कुल		495.40	490.72

फुट नोट :

(i) ग्राहकों से अग्रिमों पर देय ब्याज शामिल है - 12.40 करोड़ रु. (2.13 करोड रु.)

6. दीर्घकालिक प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31मार्च 2015 को		31मार्च 2014 को	
(क)	**कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 28 और 47 का संदर्भ लें)**				
i)	उपदान	61.81		57.76	
ii)	छुट्टी वेतन	76.30		73.54	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20		1.20	
iv)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1.36		-	
v)	यात्रा छुट्टी रियायत	0.12	140.79	0.13	132.63
(ख)	**अन्य प्रावधान:(नोट सं 28 का संदर्भ लें)**				
i)	विसंग्रहण	7.89		24.01	
ii)	अनुरक्षण	164.79		110.08	
iii)	डिजाईन गारंटी	105.36		172.20	
iv)	अन्य व्यय	0.59	278.63	22.94	329.23
	कुल		419.42		461.86

7. व्यापार देय राशियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
व्यापार देय राशियां			
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग (नोट 49 का संदर्भ लें)		**-**	-
- अन्य			
(क) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता		**460.31**	585.67
(ख) संबंधित पक्ष		**4.58**	4.57
(ग) अन्य		**3.71**	1.50
कुल		**468.60**	**591.74**

8. अन्य चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
(क) दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिवक्वता			**68.67**		57.55
(ख) ऋणों पर संचित ब्याज और देय			**1.28**		1.08
(ग) अग्रिम ठेका प्राप्तियां			**30.09**		110.16
(घ) ग्राहकों से अग्रिम			**1,056.62**		610.35
(ड.) जमा राशियां व प्रतिधारण राशि	(i)		**493.57**		413.69
(ड.) सांविधिक देय		**212.59**		197.11	
घटा :- विरोध में जमा राशि		**(184.31)**	**28.28**	(168.80)	28.31
(च) बही ओवरड्राफ्ट			**0.10**		**0.24**
(छ) स्टाफ			**1.79**		3.69
(ज) अन्य	(ii)		**41.27**		47.91
कुल			**1,721.67**		**1,272.98**

फुट नोट :

i. ग्राहकों से अग्रिम राशियों पर देय ब्याज सहित - 69.47 करोड़ रु. (67.96 करोड़ रु.)।

ii. बकाया व अन्य देयताओं सहित।

9. अल्पकालिक प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
(क)	**कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान: (नोट सं 28 और 47 का संदर्भ लें)**						
i)	उपदान		**4.52**			4.10	
ii)	छुट्टी वेतन के लिए		**6.94**			7.05	
iii)	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान		**0.08**			0.09	
iv)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		**5.97**			17.50	
v)	पेंशन		**26.18**			23.61	
vi)	कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन		**18.82**			22.42	
vii)	छुट्टी यात्रा रियायत		**0.01**	**62.52**		0.01	74.78
(ख)	**अन्य प्रावधान: (नोट सं 28 का संदर्भ लें)**						
i)	विसंग्रहण के लिए		**40.59**			23.92	
ii)	अनुरक्षण के लिए		**37.01**			161.37	
iii)	प्रत्याशित घाटा		**12.56**			10.12	
iv)	अभिकल्प गारंटी		**52.72**			56.99	
v)	कानूनी मामले		**72.05**			47.93	
vi)	अन्य व्यय		**49.68**			28.05	
	आय कर तथा संपत्ति कर	**913.86**			877.59		
vii)	घटा: अग्रिम कर (टीडीएस सहित)	**(529.89)**	**383.97**		(556.29)	321.30	
viii)	प्रस्तावित लाभांश		**102.93**			81.16	
ix)	लाभांश पर कर (प्रस्तावित)		**20.96**	**772.47**		13.80	744.64
	कुल			**834.99**			**819.42**

10. स्थिर परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

स्थिर परिसंपत्तियां	फुट नोट	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यहृास				क्षति	निवल ब्लॉक	
		01.04.2014 को	जमा	बिक्री/ समायोजन	31-3-2015 को	31-3-2014 तक	वर्ष के लिए	बिक्री समायोजन	31-3-2015 तक	31.03.2015 को	31.03.2015 को	01.04.2014 को
क मूर्त परिसंपत्तियां												
स्वामित्व भूमि		2.31	-	-	**2.31**	-	-	-	**-**	**-**	**2.31**	2.31
पट्टे की भूमि	(v)	36.39	-	-	**36.39**	0.18	0.01	-	**0.19**	**-**	**36.20**	36.21
पट्टे के भवन	(iv)	42.44	0.67	-	**43.11**	5.79	0.78	-	**6.57**	**-**	**36.54**	36.65
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट आवासीय	(i)	9.30	-	(0.57)	**8.73**	2.69	0.14	(0.14)	**2.69**	**-**	**6.04**	6.61
पूर्णस्वामित्व भवन/फ्लैट गैर आवासीय		10.66	0.02	(3.51)	**7.17**	1.72	0.16	(0.74)	**1.14**	**-**	**6.03**	8.94
संयंत्र और मशीनरी	(i &ii)	354.46	24.35	(6.16)	**372.65**	283.79	8.54	(5.82)	**286.51**	**0.87**	**85.27**	70.67
सर्वेक्षण संयंत्र		3.47	0.08	(0.20)	**3.35**	3.25	0.02	(0.17)	**3.10**	**-**	**0.25**	0.22
कम्प्यूटर		8.55	0.51	(0.44)	**8.62**	7.73	0.41	(0.42)	**7.72**	**-**	**0.90**	0.82
मोबाईल हैंडसेट		0.22	0.02	(0.03)	**0.21**	0.19	0.02	(0.03)	**0.18**	**-**	**0.03**	0.03
कार्यालय उपस्कर		7.45	0.51	(0.66)	**7.30**	6.49	0.30	(0.66)	**6.13**	**-**	**1.17**	0.96
फर्नीचर, जुडनार और फर्निशिंग		8.20	0.70	(0.46)	**8.44**	7.59	0.19	(0.44)	**7.34**	**-**	**1.10**	0.61
कैरबन, कैम्प और उपस्थायी शैड		5.99	0.11	(1.41)	**4.69**	5.98	0.02	(1.41)	**4.59**	**-**	**0.10**	0.01
वाहन	(i)	14.90	0.26	(0.69)	**14.47**	13.18	0.24	(0.58)	**12.84**	**-**	**1.63**	1.72
चालू वर्ष का जोड़		**504.34**	**27.23**	**(14.13)**	**517.44**	**338.58**	**10.83**	**(10.41)**	**339.00**	**0.87**	**177.57**	**165.76**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**496.41**	**23.48**	**(15.54)**	**504.35**	**318.11**	**34.17**	**(13.70)**	**338.58**		**165.76**	**178.30**
ख अमूर्त परिसंपत्तियां												
सॉफ्टवेयर		1.76	0.22	-	**1.98**	1.75	0.20	-	**1.95**	**-**	**0.03**	0.01
पट्टा अधिकार		50.86	22.48	-	**73.34**	0.12	1.13	-	**1.25**	**-**	**72.09**	50.74
कैरिजवे		691.99			**691.99**	161.29	44.25	-	**205.54**	**-**	**486.45**	530.70
चालू वर्ष का जोड़		744.61	22.70	-	**767.31**	163.16	45.58	-	**208.74**	**-**	**558.57**	581.45
पिछले वर्ष के आंकड़े		693.70	50.90	-	**744.60**	118.76	44.40	-	**163.16**		**581.45**	574.94
चालू वर्ष का सकल योग		**1,248.95**	**49.93**	**(14.13)**	**1,284.75**	**501.74**	**56.41**	**(10.41)**	**547.74**	**0.87**	**736.14**	**747.21**
पिछले वर्ष के आंकड़े		1,190.11	74.38	(15.54)	1,248.95	436.87	78.57	(13.70)	501.74		747.21	753.24

फुट नोट :

i) नियत परिसंपत्तियां जिनकी मरम्मत संभव नहीं है और निपटान के लिए रखी गई हैं उन्हें बिक्री/समायोजन कॉलम में शामिल किया गया है और निवल बही मूल्य पर अन्य चालू परिसंपत्तियों में हस्तांतरित किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

परिसंपति ब्लाक	मार्च 2015 को		मार्च 2014 को	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	**-**	**-**	7.69	0.57
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	**0.38**	**0.28**	-	-
वाहन	**-**	**-**	0.04	-
कुल	**0.38**	**0.28**	**7.73**	**0.57**

ii) अल्प पट्टा व स्टेंडबाय पर इंजन सहित (संदर्भ नाट 39 II)

iii) वर्ष के लिए मूल्यहृास, परिशोधन और क्षति का आवंटन निम्नानुसार है :-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तिया पर मूल्यहृास	**56.34**	78.54
परिशोधन हानि	**0.87**	-
निवेश संपत्तिया पर हानि	**0.04**	-
लाभ और हानि विवरण को अग्रेणीत	**57.25**	78.54
वर्ष क दौरान पूंजीकत मूल्यहृास	**0.07**	0.03
कुल	**57.32**	**78.57**

iv) इसमें 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि(सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

v) कंपन द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि(सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

vi) वर्ष क दौरान, समूह ने कपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में समाविष्ट प्रावधाना/दरा को अपनाकर मूल्यहृास परिवर्तन से संबंधित लेखांकन नीति को परिवर्तित किया है। इस परिवर्तन क कारण वर्ष के लिए मूल्यहृास 23.46 करोड रुपए की कमी हुई है और कर पूर्व लाभ 23.46 करोड रुपए तक बढ गया है।

11. प्रगतिरत अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2015 को	31मार्च 2014 को
आरंभिक शेष	**10.72**	0.80
वर्ष के दौरान जमा	**4.42**	9.92
कुल	**15.14**	**10.72**

ब्योरा :-

1. सेप का क्रियान्वयन	1.01	1.01
2. रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास	14.13	9.71

12. पूंजीगत चालू कार्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31मार्च 2015 को		31मार्च 2014 को	
आरंभिक शेष		**22.09**		69.17
वर्ष के दौरान जमा:				
- कार्यशील व्यय	**9.43**		5.02	
मूल्यहृास	**0.02**		-	
- वेतन, पारिश्रमिक व लाभ	**0.37**		0.17	
- भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**0.02**		0.01	
- अभिकल्प, आरेखण, व्यापार विकास एवं परामर्श प्रभार	**0.34**		0.06	
- निरीक्षण, भू- तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण	**-**		0.01	
- किराया - गैर आवासीय	**0.02**		-	
- दरें व कर	**4.40**		0.01	
- वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	**0.04**		-	
उर्जा, बिजली और जल प्रभार	**0.01**		-	
- यात्रा व्यय	**0.03**		0.05	
- सुरक्षा सेवाएं	**-**		0.01	
- विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	**-**		0.01	
- पूर्व अवधि व्यय	**-**		0.04	
- विज्ञापन एवं प्रचार	**0.01**		-	
- ब्याज व्यय	**0.89**		-	
- विविध प्रचालनिक व्यय	**0.10**	**15.68**	-	5.39
घटा :-				
वर्ष के दौरान पूंजीकरण		**22.48**		50.86
निवेश परिसंपत्ति में हस्तांतरित		**-**		1.61
कुल		**15.29**		**22.09**

ब्योरा:

1. सीसीएम, गुडगांव में कार्यालय भवन	**4.82**	-
2. सीआईसी नोएडा मे` अग्निशमन एवं सिविल निर्माण कार्य	**0.12**	-
3. कोलकाता में कार्यालय भवन	**0.26**	-
4. बहुउद्देशीय परिसर	**0.69**	22.09
5. रेल गलियारे (I और III), छत्तीसगढ	**9. 40**	-
	15.29	22.09

13. गैर-चालू निवेश

	विवरण	31 मार्च 2015 को				31 मार्च 2014 को			
		संख्या	राशि (करोड़ में)			संख्या	राशि (करोड़ में)		
क	**निवेश संपत्ति**								
	पुराने एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर में एसआरओ भवन			**3.00**				2.73	
	नोएडा में भूमि			**260.36**				-	
	कुल (क)				**263.36**				2.73
ख	**अन्य निवेश (लागत पर)**								
	कोट किए गए								
	बॉंडों में निवेश								
	8.00% इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड	**163,131**		**16.31**		163,131		16.31	
	7.21% इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड	**500**		**49.96**		500		49.96	
	8.23% इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड	**500,000**		**50.00**		500,000		50.00	
	8.35% इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रु. प्रत्येक के कर मुक्त बांड	**500**	**49.92**			500	49.92		
	घटा : प्रीमियम का परिशोधन		**0.01**	**49.91**			-	49.92	
	म्यूचुवल फंड में निवेश								
	एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए -14			**-**		25,000,000		25.00	
	कुल (ख)				**166.18**				**191.19**
	कुल				429.54				193.92

		रुपए करोड़ में	रुपए करोड़ में
कोट किए/बिना कोट किए निवेशों का प्रकटन:-			
कोट किए गए निवेश का पूर्ण योग	- खाता मूल्य	**166.18**	191.19
	- बाजार मूल्य	**175.61**	190.95

14. आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	01-04-2014 को	वर्ष के दौरान संवर्धन (लोप)	31 मार्च 2015 को
परिसम्पतियाँ			
प्रावधान :			
- अनुरक्षण और विसंग्रहण के लिए	70.11	(19.89)	**50.22**
- भावी हानियां	3.44	0.91	**4.35**
- संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए	31.07	10.51	**41.58**
- उपदान के लिए	21.02	2.08	**23.10**
- छुट्टी यात्रा रियायत	0.05	(0.01)	**0.04**
- विधिक मामलों के लिए	16.29	8.65	**24.94**
- अभिकल्प गारंटी	77.90	(23.19)	**54.71**
- अन्य व्यय	16.23	3.20	**19.43**
व्यय			
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर	0.01	(0.01)	**-**
- कर प्रयोजन के लिए अनुमति, जब प्रदत्त हो	49.28	(2.22)	**47.06**
- मूल्यहास	15.16	(12.77)	**2.39**
- प्रारंभिक व्यय का 3/5 भाग	0.13	(0.04)	**0.09**
	300.69	(32.78)	**267.91**
देयता	-	-	**-**
निवल आस्थगित कर संपत्ति/देयता	**300.69**	**(32.78)**	**267.91**
पिछले वर्ष	268.99	31.70	300.69

आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -22 /आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार बहियों में प्रविष्ट किया गया है।

15. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			1.65			1.71	
सामग्री और मशीनरी के लिए ठेकेदारों को अग्रिम			25.29			22.44	
				26.94			24.15
ख. अरक्षित वसूली योग्य							
भूमि के क्रय क लिए पूंजी अग्रिम				-			244.83
संबंधित पक्षो को ऋण और अग्रिम:							
संयुक्त उपक्रम	(i)						
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 36 का संदर्भ लें)			40.61			32.53	
- छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड			22.20	62.81		-	32.53
अन्य ऋण एवं अग्रिम							
प्रतिभूति जमा							
- सरकारी विभाग			0.41			0.67	
- अन्य			0.54	0.95		0.21	0.88
कर प्राधिकारी:							
अग्रिम कर/टीडीएस		562.45			572.67		
घटा:कर के लिए प्रावधान		(529.89)	32.56		(556.29)	16.38	
- मांग के प्रति आयकर विभाग में जमा			253.77	286.33		136.33	152.71
कर्मचारी ऋण और अग्रिम			0.73			1.05	
सरकारी विभागों में जमा			0.14			0.04	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			230.18			103.12	
पूर्व भुगतान व्यय			0.26			1.39	
अन्य			0.97	232.28		2.29	107.89
ग. वसूली योग्य संदिग्ध							
संबंधित पक्षों को ऋण							
संयुक्त उद्यम							
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 36 का संदर्भ लें)			25.46			27.66	
ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			8.71			8.62	
			34.17			36.28	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			34.17	-		36.28	-
कुल				609.31			562.99

फुट नोट :

(i) ऋण पर ब्याज तत्व है और यह पूंजीगत व्यय /मध्यस्थता व्यय के लिए है तथा इनके पुनर्भुगतान की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य रुपए) है।

16. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
क. दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य				
अरक्षित वसूली योग्य				
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि	**27.43**		33.81	
- ग्राहक के पास फँसी राशियां	**22.62**	**50.05**	5.15	38.96
ख. अन्य				
i) रक्षित वसूली योग्य				
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम		**0.87**		0.90
ii) अरक्षित वसूली योग्य				
12 माह से अधिक के लिए सावधि जमा {(फुट नोट (i) का संदर्भ लें }		**0.41**		-
पर अर्जित ब्याज :				
- स्टाफ को अग्रिम	**0.33**		0.35	
- ठेकेदारों व आपूर्तिकर्ताओ व अन्य को अग्रिम	**14.50**		3.47	
- आईआरडब्ल्यूओ को अग्रिम	**-**	**14.83**	0.20	4.02
iii) संदिग्ध समझे गए				
पर अर्जित ब्याज :				
संयुक्त उद्यम				
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल (नोट 36 का संदर्भ लें)	**0.19**		0.19	
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओ व अन्यों को अग्रिम	**0.40**		0.40	
	0.59		0.59	
घटा :- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**0.59**	**-**	0.59	-
कुल		**66.16**		**43.88**

फुट नोट :

(i) 0.41 करोड रुपए के लिए एफडीआर सहित

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य रुपए) है।

17. चालू निवेश

	विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)		संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	
क	**गैर व्यापार निवेश**						
	कोट किया गया						
	म्यूचुवल फंड में निवेश						
	यूटीआई म्यूचुवल फंड, दैनिक लाभांश योजना	106,836	10.89		227,274	23.17	
	यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVI- I		-		25,000,000	25.00	
	यूटीआई फिक्सड इनकम सीरीज XVIII - IV		-		25,000,000	25.00	
	एसबीआई डेट फंड सीरीज - 40		-		25,000,000	25.00	
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड-दैनिक डिविडेंड योजना	300,718	30.17		278,452	27.85	
	एसबीआई डेट फंड सीरीज - ए- 14	25,000,000	25.00	66.06		-	126.02
ख	**दीर्घकालिक बांडों की वर्तमान परिपक्वता**						
	कोट किया गया						
	1,00,000 रुपए प्रत्येक के 6.00% कर मुक्त इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड के बांड		-	-	5,000	50.00	50.00
	कुल			66.06			176.02

		रुपए करोड़ में	रुपए करोड़ में
कोट किए गए निवेश के प्रति प्रकटन :			
कोट किए गए निवेश का योग	- बुक वैल्यू	**66.06**	176.02
	- बाजार मूल्य	**68.36**	179.24

18. मालसूचियाँ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
क. सामग्री एंव भंडार:				
- हाथ में	42.54		38.48	
- तृतीय पक्षों के पास	25.81		0.84	
- मार्गस्थ	0.11		0.33	
		68.46		39.65
ख. लागत पर प्रगतिरत निर्माणाधीन कार्य		55.88		84.54
कुल		124.34		124.19

19. व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
अनारक्षित :				
देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के बकाया ऋण				
- वसूली योग्य	70.20		135.54	
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किया गया	16.24	86.44	17.33	152.87
देय तिथि से छह महीने से कम की अवधि के बकाया ऋण				
व्यापार प्राप्य				
- वसूली योग्य	415.73		526.12	
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किया गया	-	415.73	0.58	526.70
- ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि				
- वसूली योग्य	62.58		45.77	
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किया गया	9.89	72.47	10.10	55.87
- ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि				
- वसूली योग्य	48.18		71.34	
- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किया गया	4.50	52.68	3.20	74.54
		627.32		809.98
घटाएँ, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		30.63		31.21
		596.69		778.77
कुल		**596.69**		**778.77**

फुट नोट :

(i) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य रुपए) है।

20. रोकड़ और बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
	रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य					
क)	हाथ रोकड़	(i)		**0.60**		0.90
ख)	हाथ में चैक/ड्राफ्ट			**0.21**		7.71
ग)	बैंकों में शेष					
	चालू खातों में		**227.98**		72.37	
	फ्लैक्सी खातों में	(ii)	**177.04**		128.22	
		(ii)	**946.12**	**1,351.14**	1,399.35	1599.94
	सावधि जमा खातों में (तीन महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाले)					
घ)	पारगमन में प्रेषण			**15.00**		-
	अन्य बैंकों में शेष					
	सावधि जमा खातों में (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले)	(ii)		**2,065.74**		1194.18
	कुल			**3,432.69**		**2,802.73**

फुट नोट :

i) रोकड़ इंप्रेस्ट सहित हस्थ रोकड़ 0.01 करोड़.रुपए (0.02 करोड़ रुपए)

ii) ग्राहक निधि सहित जिस पर ब्याज उन्हें प्रदान किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत में शेष	
	31.03.2015	31.03.2014
फ्लैक्सी खाते में	**100.44**	73.65
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से कम की परिपक्वता अवधि सहित)	**624.86**	272.31
सावधि जमा खाते में (3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि सहित)	**54.82**	-
कुल	**780.12**	**345.96**

21. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
क. रक्षित वसूली योग्य							
स्टाफ ऋण व अग्रिम			**0.66**			0.75	
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकदारों को अग्रिम			**9.15**	**9.81**		3.45	4.20
ख. अरक्षित, वसूली योग्य							
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम							
ऋण							
संयुक्त उद्यम (नोट 41 का संदर्भ लें)	(i)						
- इरकॉन-एफकॉन जेवी			**9.06**			-	
अन्य							
संयुक्त उपक्रम							
- रिकॉन सीटा एसएआरएल			**0.84**			0.80	
- कंपैनिया डोस कमीनोस डी फेरो डा बेरा सर्ल			**0.59**			3.50	
- इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर			**0.15**			-	
- इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि.			**3.58**			-	
-इरकॉन-एफकॉन जेवी			**0.80**	**15.02**		0.30	4.60
अन्य ऋण और अग्रिम:							
प्रतिभूति जमा राशियां							
- सरकारी विभाग			**6.22**			6.44	
- अन्य			**1.36**	**7.58**		1.76	8.20
कर प्राधिकारी							
- बिक्री कर (टीडीएस सहित)		**204.06**			200.36		
घटा :- संरक्षण के अधीन जमा		**(184.31)**	**19.75**		(168.80)	31.56	
- मूल्य संवर्धन कर			**115.66**			106.20	
- सेवाकर इनपुट नामे			**0.10**	**135.51**		0.46	138.22
अंतर-निगम जमा			**2.85**			2.85	-
कर्मचारी ऋण व अग्रिम			**1.82**			1.85	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			**125.99**			225.35	
मोजाम्बिक सरकार			**105.01**			103.47	
सीएफएम			**4.52**			5.52	
बयाना जमा राशि			**0.55**			20.62	
पूर्वप्रदत्त भुगतान			**5.20**			5.44	

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
अन्य		**14.65**	**260.59**	18.75	383.85
ग. संदिग्ध समझे गए					
स्टाफ ऋण व अग्रिम		**-**		0.01	
ठेकदारों व आपूर्तिकर्ताओं को ऋण		**9.87**		8.49	
सरकारी विभागों से जमा		**2.38**		2.26	
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		**35.31**		12.56	
मूल्य संवर्धन कर		**7.18**		-	
अन्य		**0.01**		-	
		54.75		23.32	
घटा:- संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		**54.75**	**-**	23.32	-
कुल			**428.51**		**539.07**

फुट नोट :

(i) ऋण ब्याज धारित है और यह कार्यशील पूंजीगत अपेक्षाआ के लिए है

(ii) किसी कंपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

(iii) निदेशकों से देय राशियों का विवरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिमों सहित निदेशको से देय राशि	**0.02**	0.03
कुल	**0.02**	0.03

22. अन्य चालू परिसम्पतियाँ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) निम्न पर प्रोदभूत ब्याज:			
कार्मिकों को ऋण और अग्रिम(रक्षित)		**0.15**	0.17
बांड		**14.21**	8.64
स्टाफ ऋण और अग्रिम (अरक्षित)		**0.13**	0.09
त्रण हेतु			
भारतीय रेल कल्याण संगठन को ऋण		**0.20**	0.20
- छत्तीसगढ इस्टर्न रेल लिमिटेड		**0.45**	-
- इरकॉन एफकॉन जे वी		**0.12**	-
निम्न पर जमा व अग्रिम :			
- ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ता एवं अन्य		**17.62**	55.57
- बैंकों में जमा राशि		**82.84**	79.13
ख) प्रगतिरत ठेका कार्य (वसूलनीय मूल्य पर)		**126.06**	330.09
ग) बिल योग्य राजस्व	(i)	**405.32**	-
घ) निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति	(ii)	**1.73**	1.59
ड.) इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई में निवेशित राशि	(iii)	**-**	19.00
कुल		**648.83**	**494.48**

फुट नोट :

(i) ग्राहक द्वारा प्रमाणित 196.08 करोड रु. (144.02 करोड रु.) मूल्य के कार्य सहित किन्तु रिर्पोटिग तिथि को बिल तैयार नहा किया गया है। .

(ii) मितव्ययी रुप से मरम्मत न किए जा सकने वाली तथा निपटान के लिए अलग रखी गई नियत परिसंपत्तियां (वसूलीयोग्य मूल्य तथा बुक मूल्य से कम)

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लाक	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक	सकल ब्लाक	निवल ब्लाक
संयंत्र एवं मशीनरी	**17.16**	**1.45**	19.91	1.59
फ्रीहोल्ड भवन - आवासीय	**0.38**	**0.28**	-	-
वाहन	**-**	**-**	0.04	-
कुल	**17.54**	**1.73**	19.95	1.59

(iii) 31.03.2014 को इकाइयों की खरीद के लिए यूटीआई म्यूचवल फंड को 19 करोड रुपए का भुगतान किया गया था। चूंकि 31.03.2014 तथा 01.04.2014 यूटीआई म्यूचवल फंड में लेनदेन के लिए बैंक अवकाश का दिन थे, इसलिए 02.04.2014 को ही फॉयल सं. 509270058623 में इकाइयां आवंटित की गईं थीं।

(iv) समूह , फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कंपनी को छोड़ कर, शून्य(शून्य) है।

निदेशकों से देय राशियों का ब्यौरा (रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
कर्मचारी ऋण व अग्रिम पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से देय राशि	-	0.005
	-	0.005

23. प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
ठेका राजस्व	**2,899.95**	3,852.28
एमएफसी पट्टा	**8.09**	0.49
लोको पट्टा	**42.77**	41.49
मशीन किराया प्रभार	**1.31**	0.04
टोलवे	**77.67**	77.36
अन्य प्रचालनिक प्राप्तियां	**17.09**	11.85
पूर्व अवधि संविदा राजस्व (नोट 29 का संदर्भ लें)	**(9.24)**	154.53
कुल	**3,037.64**	**4,138.04**

24. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
कर मुक्त बांड पर ब्याज		**16.02**		13.78
बैंक ब्याज - सकल	**223.96**		236.56	
घटा: ग्राहकों को पारित किए जाने वाला ब्याज	**36.23**	**187.73**	35.20	201.36
वापस आए आयकर पर ब्याज		**3.42**		8.76
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज		**0.33**		0.35
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज				
- सीईआरएल	**0.67**		-	
- इरकॉन एफकॉन जेवी	**0.14**	**0.81**	-	-
अन्य अग्रिमों पर ब्याज		**8.57**		4.11
सावधि परिपक्वता योजना में निवेश		**6.81**		3.05
विनिमय उच्चावचन लाभ	**45.05**		-	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	**24.32**	**20.73**	-	-
लाभांश आय		**3.21**		4.05
परिसंपतितयों की बिक्री से लाभ		**2.02**		0.19
विविध		**17.34**		14.98
पूर्व अवधि अन्य आय (नोट 29 का संदर्भ लें)		**0.34**		1.22
कुल		**267.33**		**251.85**

25. प्रचालनिक व्यय तथा प्रशासनिक व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय				प्रशासनिक व्यय			
		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रयुक्त सामग्री और भंडारण									
आरंभिक शेष		**39.32**		38.28			**-**		-
जमा: वर्ष के दौरान खरीद		**223.77**		262.02			**-**		-
		263.09		300.30			**-**		-
घटा: अंतिम शेष		**68.35**	**194.74**	39.32	260.98		**-**		-
कार्यगत व्यय			**1,812.54**		2,144.57		**-**		-
डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी			**28.66**		1.38		**-**		-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार			**24.94**		48.93		**-**		-
निरीक्षण,भू तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि			**1.87**		5.74		**-**		-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण			**27.67**		42.44		**-**		-
मशीनरी का किराया प्रभार			**7.44**		13.35		**-**		-
विनिमय उच्चावचन हानि						-		42.24	
घटा :विनिमय उच्चावचन लाभ						-		32.93	
निवल विनिमय उच्चावचन हानि			**-**		-		**-**		9.31
किराया-गैर आवासीय (नोट 39 (I)ख का संदर्भ लें)			**3.83**		3.88		**0.38**		0.20
दर एवं कर			**19.13**		9.49		**2.16**		1.87
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण			**9.70**		11.72		**0.91**		0.82
मरम्मत और रखरखाव									
- कैरिज वे			**7.22**		6.52		**-**		-
- भवन			**0.13**		0.14		**0.42**		0.84
- कार्यालय तथा अन्य			**3.52**		3.55		**2.81**		2.05
बिजली, विद्युत व जल प्रसार			**4.73**		4.52		**1.55**		1.35
बीमा			**7.29**		7.19		**0.14**		0.10
यात्रा और वाहन			**8.95**		9.54		**2.64**		1.98
मुद्रण एवं लेखन सामग्री			**1.65**		1.82		**0.55**		0.69
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स			**2.43**		2.43		**0.45**		0.51
विधिक और व्यावसायिक प्रसार			**7.27**		6.62		**2.54**		1.57
सुरक्षा सेवाएं			**4.39**		3.79		**0.14**		0.15
व्यवसाय संर्वधन			**0.98**		1.02		**0.16**		0.28
बट्टा खाता:									
अशोध्य ऋण			**2.37**		31.98		**-**		-
अशोध्य अग्रिम			**0.97**		7.15		**-**		-
- परिसंपत्तियां			**-**		0.01		**-**		-
परिसंपत्ति तथा भंडार की बिक्री से हानि			**-**		-		**3.43**		-
निवेश पर प्रदत प्रीमियम का परिशोधन			**-**		-		**0.01**		0.35
निदेशकों की फीस			**-**		-		**0.02**		0.03

विवरण	फुट नोट	प्रचालनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
चंदा		-	-	0.05	0.01
लेखापरीक्षकों की फीस (i)	(i)	-	-	0.49	0.67
विज्ञापन और प्रसार		-	-	3.51	4.52
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	0.60	0.49
प्राथमिक व्यय बट्टा खाता		-	-	1.58	0.03
अनुसंधान एवं विकास व्यय		-	-	-	0.96
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 50 का संदर्भ लें)		-	-	6.70	8.41
विवित व्यय		9.04	4.47	1.73	1.39
पूर्व अवधि व्यय (नोट 29 का संदर्भ लें)		0.27	0.41	0.72	0.18
प्रावधान (जमा - पश्चलिखित) (नोट 28 का संदर्भ लें)		(13.22)	160.84	-	-
प्रावधान / उपयोग की गई आरक्षित निधियां(नोट 28 का संदर्भ लें)		(56.51)	(61.26)	-	-
कुल		2,122.00	2,733.22	33.69	38.76

फुट नोट :

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी	2014-15	2013-14
(i) लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.28	0.35
(ii) कर लेखापरीक्षा फीस-चालू वर्ष	0.07	0.08
(iii) प्रमाणीकरण फीस	0.02	0.05
(iv) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
- स्थानीय	0.09	0.14
- विदेशी	0.03	0.05
कुल	0.49	0.67

26. कर्मचारी लाभांश व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल	प्रचालनिक	प्रशासनिक	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस(i)(नोट 39(I)(क) का संदर्भ लें)	(i)	123.93	39.77	163.70	135.34	38.59	173.93
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में प्रावधान		6.69	3.40	10.09	6.70	2.77	9.47
विदेश सेवा अंशदान		0.48	0.30	0.78	0.50	0.58	1.08
सेवानिवृत्ति लाभ		11.69	10.09	21.78	11.45	34.58	46.03
कर्मचारी कल्याण		1.89	0.48	2.37	2.15	0.49	2.64
उप कुल		144.68	54.04	198.72	156.14	77.01	233.15

फुट नोट :

(i) गैर-मौद्रिक पर्क पर आयकर शामिल है 0.33 करोड़ रुपए (0.35 करोड़ रुपए)

27. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय	(i)	**23.40**	53.42
अन्य वित्त लागत			
- बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार		**9.39**	12.41
कुल		**32.79**	**65.83**

फुट नोट :

(i) 0.03 करोड़ रुपए (26.31 करोड़ रुपए) के आयकर पर ब्याज शामिल है ।

28. प्रावधान (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण		1-4-2014 को शेष			2014-15 के दौरान					31-3-2015 को शेष		
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल	अतिरेक	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कल
प्रावधान :												
क	**कर्मचारी संबंधित**											
(i)	**सेवानिवृत्ति लाभ**											
	उपदान	57.76	4.10	61.86	8.17	-	3.70	-	-	61.81	4.52	**66.33**
	छुट्टी वेतन के लिए	73.54	7.05	80.59	9.30	0.08	6.60	0.07	0.10	76.30	6.94	**83.24**
	सेवानिवृत्ति पर भत्तों का निपटान	1.20	0.09	1.29	-	0.01	-	-	-	1.20	0.08	**1.28**
	सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ	-	17.50	17.50	1.83	-	12.00	-	-	1.36	5.97	**7.33**
	पेंशन	-	23.61	23.61	2.57	-	-	-	-	-	26.18	**26.18**
	सेवानिवृत्ति लाभों का योग (i)	132.50	52.35	184.85	21.87	0.09	22.30	0.07	0.10	140.67	43.69	**184.36**
(ii)	**अन्य**											
	कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	22.42	22.42	9.11	3.27	9.44	-	-	-	18.82	**18.82**
	छुट्टी यात्रा रियायत	0.13	0.01	0.14	-	0.01	-	-	-	0.12	0.01	**0.13**
	अन्य लाभों का योग (ii)	0.13	22.43	22.56	9.11	3.28	9.44			0.12	18.83	**18.95**
	कुल कर्मचारी संबंधी प्रावधान (i+ii)	**132.63**	**74.78**	**207.41**	**30.98**	**3.37**	**31.74**	**0.07**	**0.10**	**140.79**	**62.52**	**203.31**
ख	**अन्य**											
	विसंग्रहण	24.01	23.92	47.93	2.74	0.15	0.40	2.16	0.52	7.89	40.59	**48.48**
	अनुरक्षण	110.08	161.37	271.45	36.45	66.43	38.43	3.17	1.93	164.79	37.01	**201.80**
	प्रत्याशित हानि	-	10.12	10.12	10.17	2.67	5.06	-	-	-	12.56	**12.56**
	अभिकल्प गारंटी	172.20	56.99	229.19	-	57.27	-	13.84	-	105.36	52.72	**158.08**
	संदिग्ध ऋण के लिए	-	17.91	17.91	2.64	2.08	2.28	-	0.06	-	16.25	**16.25**
	संदिग्ध अग्रिम के लिए	36.87	36.62	73.49	34.94	3.57	0.95	0.02	-	34.76	69.13	**103.89**
	देयताएं (विधि मामले)	-	47.93	47.93	24.76	0.45	0.19	-	-	-	72.05	**72.05**
	अन्य व्यय	22.94	28.05	50.99	13.35	5.65	9.20	-	0.78	0.59	49.68	**50.27**
	आयकर और संपत्ति कर	-	877.59	877.59	245.92	-	207.07	2.58	-	-	913.86	**913.86**
	लाभांश (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	81.16	81.16	182.12	-	160.35	-	-	-	102.93	**102.93**
	लाभांश पर कर (अंतरिम तथा प्रस्तावित)	-	13.80	13.80	36.79	-	29.63	-	-	-	20.96	**20.96**
	कुल अन्य प्रावधान (ख)	**366.10**	**1,355.46**	**1,721.56**	**589.88**	**138.27**	**453.56**	**21.77**	**3.29**	**313.39**	**1,387.74**	**1,701.13**

	विवरण	1-4-2014 को शेष			2014-15 के दौरान					31-3-2015 को शेष		
		दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कुल	अतिरिक्त	बट्टा खाता	उपयोग	विनिमय लाभ	विनिमय हानि	दीर्घकालिक	अल्पकालिक	कल
	सकल योग (ग = क+ख)	**498.73**	**1,430.24**	**1,928.97**	**620.86**	**141.64**	**485.30**	**21.84**	**3.39**	**454.18**	**1,450.26**	**1,904.44**
ग	**घटा: अलग से विचार किए गए**											
	नोट 19 में संदिग्ध समझे गए ऋण	-	17.91	17.91						-	16.25	**16.25**
	नोट 19 में संदिग्ध समझे गए अग्रिम		13.30	13.30							14.38	**14.38**
	नोट 15, 16, 21 में विचारित संदिग्ध अग्रीम के लिए	36.87	23.32	60.19						34.76	54.75	**89.51**
	नोट 26 में विचारित सेवानिवृत्ति लाभ				21.87	0.09	22.30					
	वेतन पारिश्रमिक तथा लाभों में शामिल पीआरपी तथा एलटीसी				9.11	3.28	9.44					
	भुगतान किए गए/पृथक विचारित कर				245.92	-	207.07					
	भुगतान किए गए /पृथक रुप से विचारित लाभांश				182.12	-	160.35					
	भुगतान किए गए/पृथक विचारित निगमित कर				36.79	-	29.63					
	कुल (घ)	36.87	54.53	91.40	495.81	3.37	428.79	-	-	**34.76**	**85.38**	**120.14**
	निवल: चालू वर्ष (ग - घ)	461.86	1,375.71	1,837.57	125.05	138.27	56.51	21.84	3.39	**419.42**	**1,364.88**	**1,784.30**
	पिछले वर्ष	454.00	1193.6	1647.6	212.88	52.04	61.26	-	-	**461.86**	**1375.71**	**1837.57**

नोट:

नोट 25 के विचारार्थ निवल प्रावधान (जमा/बट्टाखाता) (13.22)

नोट 25 के विचारार्थ उपयोग किए गए प्रावधान 56.51

नोट 26 के विचारार्थ सेवानिवृत्ति लाभ प्रावधान (052)

वेतन एवं पारिश्रमिक में नोट 26 के विचारार्थ निष्पादन संबंधी वेतन एवं एलटीसी (3.61)

29. पूर्व अवधि समायोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
पूर्व अवधि मदें				
आय :				
प्रचालन से राजस्व	**(9.24)**		154.53	
जमा राशि/ऋणों पर ब्याज आय	**0.03**		0.21	
विविध	**0.31**		1.01	
		(8.90)		155.75
व्यय:				
कार्य व्यय	**0.27**		0.41	
प्रशासनिक व्यय	**0.55**		0.01	
अन्य	**0.17**		0.17	
		0.99		0.59
कुल		**(9.89)**		**155.16**

30. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा - 129 (3) की अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियामों, जो 1 अप्रैल 2014 से आरंभ वित्तीय वर्ष से लागू हैं, के आधार पर तैयार किए गए है। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा जाएगा), इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रुप से समूह कहा जाएगा) को समेकित वित्तीय विवरण में निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है:

	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यमों का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
सहायक कंपनियां:			**31.03.2015**	**31.03.2014**
1.	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	भारत	100.00 %	100.00 %
2.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)	भारत	51.00%	51.00%
3.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00 %	-
संयुक्त उद्यम:				
1.	रीकॉन	भारत	49.00%	49.00%
2.	कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएस (सीसीएफबी)	मोजाम्बिक	25.00%	25.00%
3.	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)	भारत	50.00%	50.00%
4.	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर (आईएमसीसी)	भारत	9.50%	9.50%
5.	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	भारत	9.50%	9.50%
6.	इरकॉन-एसपीएससीएल	भारत	50.00%	50.00%
7.	इरकॉन-एफकॉन्स संयुक्त उद्यम	भारत	53.00%	53.00%
8.	छत्तीसगढ पूवी रेल लिमिटेड (सीईआरएल)	भारत	26.00%	26.00%
9.	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)	भारत	26.00%	26.00%

ख) समेकन के उदेश्य से निकायों द्वारा प्रयुक्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि वही है जो कंपनी की है केवल संयुक्त उद्यम कंपनी कंपैनिया डोस कैमिनोस डी फिरो डा बेरा एसएआरएल को छोड क़र जो कलैंडर वर्ष का अनुसरण करते है। इस संयुक्त उद्यम में 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक कोई सामग्रीगत संव्यवहार नहीं हुआ है।

ग) जहां तक संभव हो, सकेकित वित्तीय विवरण समरुपी लेखांकन नीतियो का प्रयोग करके तैयार किए गए है जैसे समान परिस्थितियो मे संव्यवहार और समान घटनाएं और इसे पृथक वित्तीय विवरणो के रुप मे धारक कंपनी के अनुसार समान रुप से प्रस्तुत किया गया है। धारक कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमो की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, तथ्यात्मक नहीं है।

31. आकस्मिक देयताएं

क) समूह के विरुद्ध वे दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है 1279.09 करोड़ रुपए जो 78.29 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान है (1039.11 करोड़ रूपए जो 47.93 करोड़ रुपए का निवल प्रावधान) हैं। इसके विरुद्ध, समूह ने 821.69 करोड़ रुपए (303.06 करोड़ रुपए) का प्रति दावा दायर किया है। यदि समूह के विरुद्ध दावा कार्यान्वित हो जाता है तो ग्राहकों से 748.02 करोड़ रुपए (434.65 करोड़ रुपए) के दावे की धनवापसी ली जाएगी। दावे पर ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) धारक कम्पनी के विरूद्ध अदालत में कर्मचारियों/अन्यों से सबंधित कुछ मामले लम्बित हैं, जिसकी देयता निश्चित नहीं है।

ग) विवादास्पद प्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 132.66 करोड़ रूपए (126.23 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से शून्य रूपए (शून्य रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

घ) विवादास्पद अप्रत्यक्ष कर मांगें जिनके लिए अपील की गई है 186.06 करोड़ रूपए (176.06 करोड़ रूपए) हैं। जिनमें से 114.16 करोड रूपए (107.27 करोड रूपए) के दावों की प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है ।

ड.) भविष्य निधि आयुक्त, जम्मू और कश्मीर ने उपयोगिता और सहायक सेवाएं प्रदान करने वाले उप-ठेकेदारो पर भविष्य निधि के अंशदान के लिए शून्य (1.75 करोड रूपए) की मांग की है।

च) संयुक्त उद्यमों के संबंध में:

I. रियायत करार के समाप्त होने की स्थिति मे देय राशियो, यदि कोई हो, मे किसी प्रकार की कमी के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी, इरकॉन, सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, को दी गई मियादी ऋण के प्रति पंजाब नेशनल बैक को शपत। इसके प्रति कंपनी का अधिकतम दायित्व 162.60 करोड ़रुपए (222.15 करोड रूपए) है।

II. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कोट्रैक्टर को 1.24 करोड रुपए (1.24 करोड रुपए) का इंडैमनिटी बांड।

III. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर की 4.25 करोड रुपए (4.25 करोड रुपए) की सेवा कर देयता और 2.02 करोड रुपए (1.01 करोड रुपए) रुपए का सेवा कर ।

IV. मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे केन्दीय सीमाशुल्क को 1.54 करोड रुपए (1.54 करोड रुपए) की निगमित गारंटी।

V. इरकॉन-आरसीएस-पिफलिडरर के मामले मे 1.40 करोड रुपए (1.40 करोड रुपए) की बैंक गारंटी ।

VI. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर के मामले में 5.29 करोड रुपए (5.29 करोड रुपए) तथा मेट्रो टनलिंग ग्रुप के मामले मे 0.88 करोड रुपए (0.88 करोड रुपए) की आयकर देयता।

VII. मैसर्स साई इंजीनिर्स द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेट्रो सिविल कोंट्रेक्टर के विरुद्ध 0.02 करोड रुपए (0.02 करोड रुपए) का वसूली मुकदमा।

VIII. भैरब रेल पुल परियोजना, बांग्लादेश के लिए 51.34 करोड रुपए (56.71 करोड रुपए) हेतु इरकॉन-एफकान संयुक्त उद्यम के मामले में बैंक गारंटी।

छ. ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के आवेदन के निपटान के लंबित होने के कारण, समूह ग्राहकों को 56.70 करोड रुपए (44.33 करोड रुपए) के स्तर तक तरलता क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आकस्मिक रुप से दायी है।

32. प्रतिबद्धताएं:

(क) अग्रिमों के शुद्ध पूंजी लेखे में शामिल किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि (अग्रिम का निवल) 91.03 करोड़ रूपए (40.76 करोड़ रूपए)है।

(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं: संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को निधियां/गारंटी उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता:

i. सहायक कंपनी, इरकॉन आईएसएल को बैंक गारंटी जारी करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को 10.00 करोड़ रुपए (10.00 करोड़ रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

ii. संयुक्त उद्यम, इरकॉन-एफकान्स को ऋण पत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 38.66 करोड़ रुपए (शून्य रुपए)की काउंटर बैंक गारंटी।

iii. संयुक्त उद्यम इरकॉन सोमा टोलवे प्रा.लि. में कंपनी की वर्तमान धारिता के 21% (प्रत्येक 10 रुपए के 1,34,12,700 शेयर) के गैर-निपटान के लिए पंजाब नेशनल बैंक से शपथपत्र, 13.41 करोड़ रुपए (13.41 करोड़ रुपए)

33. कंपनी लागत जमा आधार पर जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल संपर्क परियोजना (यूएसबीआरएल) नामक ब्रॉड गेज रेल संपर्क परियोजना को निष्पादित कर रही है। उत्तर रेलवे, ग्राहक, ने कंपनी द्वारा किए गए कतिपय व्ययों/किए गए व्ययों पर देय संविदा संवर्धन के औचित्य पर कतिपय प्रश्न उठाए हैं और परियोजना में किए गए कार्य की गुणवत्ता पर कतिपय टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं, जिनका उपयुक्त रुप से उत्तर भी दिया गया है। धारक कंपनी को इस संबंध में किसी प्रकार के दायित्व की संभावना नहीं है। तथापि, इन मुद्दों से उत्पन्न समायोजनों, यदि कोई हो, को आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा।

34. धारक कंपनी श्रीलंका परियोजनाओ पर कर के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 76.28 करोड रुपए तथा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 179.58 करोड रुपए के लिए दायी है, जिसकी सीधी प्रतिपूर्ति श्रीलंका रेल द्वारा श्रीलंका इनलैंड राजस्व विभाग को की जाएगी। इसलिए, लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

35.(क) आकलन वर्ष 2000-01 से, धारक कंपनी आज की तिथि तक अर्हत अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजनाओ के संबंध मे आयकर रिटर्न में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80आईए के अंतर्गत कटौती का दावा कर रही है।

धारक कंपनी ने आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08, जिसके संबंध मे आयकर

विभाग ने सीआईटी/ए द्वारा कटौती की अनुमति प्रदान की है, को छोडकर सभी आकलन वर्षों के लिए उक्त कटौती के लिए सीआईटी/ए द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने पर आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की है।

तदनुसार, धारक कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-2001 से धारा 80-आईए के अन्तर्गत कटौती पर विचार किए बिना कर का प्रावधान किया है। धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की गई कुल राशि है 925.63 करोड़ रूपए (799.79 करोड़ रूपए) जिसका कर प्रभाव है 315.70 करोड़ रूपए (272.92 करोड़ रूपए)

(ख) धारक कंपनी को भारत में कर के लिए वैश्विक आय की स्थिति प्रदान की गई है। भारत से बाहर इसकी स्थायी स्थापनाओं द्वारा अर्जित आय को कतिपय निपटान की गई विधिक स्थितियों के अनुसार छूट प्रदान करते हुए कुल आय से अलग रखा गया है क्योंकि ऐसी आय पर स्रोत राष्ट्र द्वारा आयकर लगाया जा सकता है ना कि भारत द्वारा। किन्तु सीटीआई (अपील) भारत से बाहर अर्जित विदेशी मुद्रा के संबंध में इरकॉन द्वारा की गई व्यवस्था और विदेशी आय को बाहर रखने के स्थान पर आकल वर्ष 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए भारत से बाहर भुगतान किए गए कर के लिए ऋण का प्रावधान किया है।

न्यायाधिकारीय डीसीआईटी ने भी समान रुप से आकलन वर्ष 2010-11 से आकलन आरंभ कर दिया है। धारक कंपनी ने विवादास्पद सभी आकलन वर्षों के लिए आयकर अपील अधिकारण को अपील दायर की है।

तदनुसार, धारक कंपनी नें वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 के लिए वित्त वर्ष 2012-13 मे 185.36 करोड रुपए का प्रावधान किया है और वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 के लिए 229.71 का प्रावधान संबंधित वर्षों में किया गया है।

36(क) धारक कंपनी के सी.सी.एफ.बी. में 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। यह कंपनी वर्ष 2004 में मोजांबिकन कानून के अनुसार एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रुप में निगमित की गई है। इसका उद्देश्य बी.ओ.टी. के आधार पर मोजांबिक सरकार (जीओएम) द्वारा सौंपी गई रेलवे परियोजना का कार्य निष्पादित करना है। धारक कंपनी ने सी.सी.एफ.बी. को शेयरधारक ऋण प्रदान किया है और दिनांक 31.03.2011 तक उपचित ब्याज सहित इसकी कुल रकम 14.37 मिलियन अमरीकी डालर है। (दिनांक 31.03.2011 तक विनियम दर पर 63.56 करोड़ रुपये परिवर्तित कर दिए गए हैं। 0.999 मिलियन अमरीकी डालर

(4.42 करोड़ रुपये) दिनांक 28.02.2013 को सी.सी.एफ से प्राप्त हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता व्ययों को पूरा करने के लिए सीसीएफबी को ऋण के रुप में 7.12 करोड रुपए (1.142 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि दी गई है। [66.07 करोड रुपए (60.19 करोड रुपए) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियों (टिप्पणी 15 (क) और (ग)) और 0.19 करोड रुपए) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के रुप में दर्शाए गए हैं (टिप्पणी 16 (ख) (iii))]

(ख) हालांकि, परियोजना पूरा हो गयी थी, मोजाम्बिक सरकार ने 09 नवंबर 2011 को रियायत करार को समाप्त कर दिया तथा 8 दिसंबर 2011 को परियोजना को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। सीसीएफबी के अनुसार यह रद्दीकरण संविदागत प्रावधानों के विरुद्ध है तथा गैरकानूनी है और उसने मोजाम्बिक173 सरकार के विरुद्ध मध्यस्थ प्रक्रिया आरंभ कर दी। कंपन मानती है कि वह मध्यस्थता के माध्यम से सीसीएफबी से संपूर्ण निवेश वापस प्राप्त कर लेगी, इसके बावजूद अत्यंत सावधानी के कारण तथा परम्परागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए तथा मध्यस्थता की लंबिन निष्कर्ष के कारण:

i) 25.65 करोड़ रुपए (27.85 करोड़ रुपए) [29.77 करोड़ रुपए (29.77 करोड़ रुपए)] ऋण तथा उस पर ब्याज के प्रति, 3.21 करोड़ रुपए (3.21 करोड़ रुपए) के समाप्ति पश्चात ब्याज में कमी के साथ रेलवे लाईन को प्रचालनिक करने के लिए और समाप्ति के पश्चात ब्याज में कमी के कारण इक्विटी निवेश के प्रति 7.33 करोड़ रुपए (5.13 करोड़ रुपए)(नोट 15 एवं 16 का संदर्भ लें)) सीसीएफबी द्वारा संभव पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। देय ब्याज सहित ऋण की राशि को 31.03.2011 की प्रचलित विनिमय दर पर दर्शाया गया है।

ii) चालू वर्ष के दौरान मध्यस्थता व्ययो को पूरा करने के लिए ऋण की राशि को पुन:प्रदर्शित किया गया है।

iii) वर्ष के लिए 4.89 करोड़ रुपए (3.79 करोड़ रुपए), संचयी 13.48 करोड़ रुपए (8.59 करोड़ रुपए) की राशि के ऋण पर ब्याज को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) यदि लेखांकन मानक-11 के अनुसार 31.03.2015 को समाप्त विनिमय दर पर देय राशियों को परिवर्तित किया जाता तो, दीर्घकालिक ऋण तथा अग्रिम 19.31 करोड़ रुपए (15.11 करोड़ रुपए) अधिक होते और कर पूर्व लाभ 19.31 करोड़ रुपए (15.11 करोड़ रुपए) अधिक होता (वर्तमान वर्ष पर प्रभाव 4.20 करोड़ रुपए तथा पूर्ववर्ती वर्षों पर प्रभाव 15.11 करोड़ रुपए)।

37. क) ऋणदाताओं, अग्रिमों, देनदारों तथा सामग्री के अन्तर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टिकरण/पुनर्विनियोजन/ समायोजन के मद्देनजर हैं, यदि कोई हो। पक्षों की पुष्टि के लिए समूह को पत्र भेज रही हैं। तथापि, समूह इस संबंध मे वसूलनीयता/भुगतान के संबंध मे किसी प्रकार के सामग्रीगत विवाद की आशंका नही करता है।

ख) प्रबन्धन के मतानुसार, वसूली पर चालू परिस्थितियों ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है, को उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए जिस मूल्य पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

38. क. विदेशी मुद्रा में आय (संचित आधार पर):

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
कार्य प्राप्तियाँ और लोको पट्टा	**806.60**	2172.97
बैंक ब्याज	**11.23**	9.79
अन्य ब्याज	**0.02**	0.20
विदेशी विनिमय उच्चावचन लाभ (निवल)	**19.87**	-
अन्य	**6.69**	2.26
कुल	**844.41**	**2185.22**

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय (संचय आधार पर):

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रचालन व्यय	**381.26**	1076.10
परामर्शदात्री प्रभार	**24.86**	40.16
विदेशी मुद्रा उच्चावचन हानि (निवल)	**-**	7.83
कुल	**406.12**	**1124.09**

ग. आयातों का सीआईएफ मूल्य :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
सामग्री	**159.45***	60.02
मशीनरी	**-**	11.20
उपभोज्य, अवयव तथा पुर्जे	**-**	1.14
कुल	**159.45**	**72.36**

*आयातों को कार्यशील व्ययों में बुक किया गया है।

घ. प्रयुक्त सामग्री एवं भंडारण:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2014-15		2013-14	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
आयातित	**159.45**	**45.02**	61.16	18.98
स्वदेशी	**194.74**	**54.98**	260.98	81.02
कुल	**354.19**	**100.00**	**322.14**	**100.00**

ड. अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन:

अनहैज्ड विदेशी मुदा जोखिम का प्रकटन निम्न प्रकार है:

विवरण	मुद्रा	31 मार्च 2015 को		31 मार्च 2014 को	
		विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में	विदेशी मुद्रा करोड रु. में	भारतीय मुद्रा करोड रु. में
परिसंपत्तियां :					
ठेकेदारों को अग्रिम					
	डीजेडडी	-	-	9.42	7.21
	यूरो	0.06	4.36	0.12	10.12
	एलकेआर	0.40	0.19	1.00	0.46
	एमवाईआर	0.02	0.30	0.90	16.56
	एमजेडएन	0.06	0.10	0.06	0.12
	यूएसडी	0.00	0.08	-	-
व्यापार प्राप्त					
	बीडीटी	1.41	1.13	-	-
	डीजेडडी	51.29	32.83	104.54	79.98
	यूरो	0.46	31.41	0.98	79.62
	एमवाईआर	0.04	0.69	0.02	0.37
	यूएसडी	2.43	151.09	4.46	264.67
रोकड एवं बैंक शेष					
	बीडीटी	0.13	0.10	-	-
	डीजेडडी	29.63	18.96	4.87	3.72
	एलकेआर	0.00	0.01	0.18	0.56
	यूरो	1.30	89.32	0.69	56.00
	एलकेआर	19.46	9.14	73.28	33.59
	एमवाईआर	1.69	28.50	4.68	85.86
	एमजेडएन	0.03	0.05	0.36	0.69
	यूएसडी	6.88	428.36	7.80	462.78
अन्य परिसंपत्तियां					
	बीडीटी	1.38	1.11	0.00	0.00
	डीजेडडी	16.17	10.35	13.19	10.09
	एलकेआर	1.13	3.45	1.13	3.50
	यूरो	0.43	29.54	0.24	19.51
	एलकेआर	16.18	7.60	18.42	8.44
	एमवाईआर	0.14	2.43	2.78	51.01
	यूएसडी	0.37	23.32	0.33	19.55
देयताएं					
ग्राहकों से अग्रिम					
	बीडीटी	0.84	0.67	-	-
	डीजेडडी	-	-	18.60	14.23
	यूरो	0.39	26.87	0.58	47.31
	यूएसडी	0.16	9.98	2.82	167.11

व्यापार देय					
	एयूडी	0.01	0.71	-	-
	बीडीटी	0.02	0.02	-	-
	डीजेडडी	13.92	8.91	43.93	33.61
	यूरो	0.92	63.10	0.71	57.36
	जेपीवाई	10.10	5.25	-	-
	एलकेआर	14.20	6.67	58.76	26.94
	एमवाईआर	0.42	7.07	4.79	87.89
	एमजेडएन	4.13	6.97	4.13	7.88
	यूएसडी	0.72	45.06	0.16	9.70
अन्य देयताएं					
	बीडीटी	0.38	0.31	-	-
	डीजेडडी	30.90	19.77	17.90	13.69
	एलकेआर	0.02	0.05	0.02	0.06
	यूरो	0.19	13.01	0.16	13.17
	एलकेआर	17.51	8.22	33.93	15.55
	एमवाईआर	4.26	71.91	5.15	94.49
	यूएसडी	0.83	51.85	0.91	53.98

अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा प्रकटन स्वत: ही प्रतिरक्षित होते हैं।

39. पट्टे संबधित प्रकटन

I. प्रचालनिक पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां:

समूह की पट्टा व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यालय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैंपों के लिए परिसरों को प्रचालनिक पट्टे के संबंध में हैं। अधिकतर पट्टा व्यवस्था रद्द किए जाने योग्य हैं और सामान्यत् आपसी सहमति से नवीकृत किये जाते है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है:

क. कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के परिसरों के संबंध मे पट्टा भुगतान (शुद्ध वसूलियां) -
5.78 करोड रु. (6.52 करोड रु.) (नोट सं.26 पर वेतन और पारिश्रमि सहित)

ख. कार्यालय परिसरो, गेस्टहाउसों और ट्रांजिट कैंपों के संबंध मे पट्टा भुगतान -
4.21 करोड रु. (4.08 करोड रु.) (नोट सं.25 पर प्रचालन एवं प्रशासनिक व्ययों सहित)

ग. रद्द न किए जा सकने वाले पट्टो के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
देय	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

II. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां:

(क) समूह ने कतिपय वाणिज्यिक/आवासीय परिसरो को प्रचालनिक पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रदद किया जा सकता है।

(ख) समूह ने विदेशी ग्राहक को वेट लीज आधार पर संयंत्र और मशीनरी (लोकोमोटिव) उपलब्ध कराए हैं।

(ग) समूह ने विभिन्न उप-पट्टाधारियों को 19 बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर दिया है।

(घ) वर्ष के दौरान प्राप्त पट्टा किराये की राशि निम्नानुसार है:

1. गैर आवासीय परिसरो के संबंध में पट्टा किराया - 7.02 करोड रु. (6.69 करोड रु.) (नोट 24 मे विविध आय मे शामिल किया गया है)
2. इंजनों के संबंध में पट्टा किराया - 42.77 करोड रु. (41.49 करोड रु.) (नोट 23 में इंजन पट्टे में शामिल किया गया है)
3. 19 बहुउद्देशीय परिसरो को उप पट्टे से संबंधित पट्टा किराया - 8.09 करोड रु. (0.49 करोड रु.)

(ड.) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि के लिए रद्द न किए जा सकने वाले प्रचालनिक पट्टे के संबंध मे 31.03.2015 को प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से 5 वर्ष तक	5 वर्ष के बाद
परिसर	शून्य	शून्य	शून्य
इंजन	33.42 (42.20)	शून्य	शून्य
बहुउद्देशीय परिसर (एमएफसी)	13.86 (3.15)	13.95 (9.58)	शून्य

च. वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्ति का ब्यौरा :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2015 को			31 मार्च 2014 को		
	परिसर	इंजन	एमएफसी	परिसर	इंजन	एमएफसी
परिसिंपत्तियों की सकल वहन राशि	**6.96**	**35.66**	**95.94**	6.96	35.66	20.47
वर्ष के लिए मूल्यहास	**0.14**	**-**	**1.47**	0.14	1.16	0.16
वर्ष के लिए क्षति हानि	**-**	**-**	**-**	-	-	-
संचित मूल्यहृास	**1.22**	**33.87**	**1.63**	1.08	33.87	0.16

40. खण्ड रिपोर्टिंग :

प्राथमिक खण्ड सूचना (भौगोलिक)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क. आवर्त्त						
प्रचालन से राजस्व	**877.53**	2137.49	**2160.11**	2000.55	**3037.64**	4138.04
अन्य आय	**39.17**	11.66	**228.16**	240.19	**267.33**	251.85
कुल राजस्व	**916.70**	2149.15	**2388.27**	2240.74	**3304.97**	4389.89
ख. परिणाम						
प्रावधान मूल्यहृास, ब्याज और कर पूर्व लाभ	**477.86**	1101.99	**450.09**	431.20	**927.95**	1533.19
घटाएँ-प्रावधान और पश्चलिखित (निवल)	**(75.15)**	134.43	**61.93**	26.41	**(13.22)**	160.84
मूल्यह्रास	**6.51**	25.72	**50.74**	52.82	**57.25**	78.54
ब्याज	**0.14**	-	**23.26**	53.42	**23.40**	53.42
कर पूर्व लाभ	**546.36**	941.84	**314.16**	298.55	**860.52**	1240.39
(लाभ)/हानियों में अल्पसंख्यक हित	**-**	-	**0.97**	1.24	**0.97**	1.24
कर व्यय	**209.19**	264.55	**68.20**	84.59	**277.39**	349.14
कर पश्चात् लाभ	**337.17**	**677.29**	**244.99**	**212.72**	**582.16**	**890.01**
ग. अन्य सूचना						
परिसंपत्तियां	**1244.22**	2361.61	**6192.39**	4450.79	**7436.61**	6812.40
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)	**82.39**	81.13	**684.18**	714.53	**766.57**	795.66
देयताएं	**862.71**	1612.86	**3248.17**	2237.19	**4110.88**	3850.05
पूंजीगत व्यय : अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	**24.57**	19.91	**18.56**	54.47	**43.13**	74.38

गौण खण्ड सूचना (व्यवसाय):

(रूपए करोड़ में)

विवरण	सेगमेट आय		सेगमेंट परिसंपत्तियां		अचल परिसंपत्तियों को जोडकर	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
निर्माण, आदि	**2909.10**	4018.17	**6787.88**	6111.80	**41.75**	67.39
पट्टा प्रचालन	**50.87**	42.51	**106.66**	103.64	**1.10**	6.74
टोल वेस	**77.67**	77.36	**542.07**	596.96	**0.28**	0.25
कुल	3037.64	4138.04	7436.61	6812.40	43.13	74.38

41. संयुक्त उद्यमों के संबंध में प्रकटन

(क) गैर-निगमित संयुक्त उद्यम:

i) प्रचालनरत परियोजनाओं हेतु:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2015	2014
1.	इरकॉन - एसपीएससीपीएल	इरकॉन, भारत एसपीएससीपीएल, भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
2.	इरकॉन-एफकॉन	इरकॉन, भारत एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत	**53.00** **47.00**	53.00 47.00

ii) उन परियोजनाओं हेतु जो पूरी हो गई हैं:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	भागीदार व उनका मूल राष्ट्र	31 मार्च को भागीदारी हित (प्रतिशत में)	
			2015	2014
1.	रीकॉन	इरकॉन, भारत राइटस, भारत	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
2.	रिकॉन-सीटा एसएआरएल	रिकान, भारत सीइटीए, मोजांबिक	**49.00** **51.00**	49.00 51.00
3.	इरकॉन कोबरा- इलियोप	इरकॉन, भारत कोबरा, स्पेन इलियोप, स्पेन	**61.22** **34.35** **4.43**	61.22 34.35 4.43
4.	इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स	इरकॉन, भारत श्री भवानी बिल्डर्स, भारत	**24.21** **75.79**	24.21 75.79
5.	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	इरकॉन भारत संबर मित्रा जाया, इंडोनेशिया	**55.00** **45.00**	55.00 45.00
6.	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रेक्टर (आईएमसीसी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
7.	मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)	दियदग, जर्मनी लार्सन एंड टूब्रो लि. भारत सेमसंग कार्पोरेशन, कोरिया शिमिजू कार्पोरेशन, जापान इरकॉन, भारत	**29.00** **26.00** **26.00** **9.50** **9.50**	29.00 26.00 26.00 9.50 9.50
8.	इरकॉन-गन्नौन डंकर्ली	इरकॉन, भारत गन्नौन डंकर्ली	**55.70** **44.30**	55.70 44.30
9.	इरकॉन आरसीएस- फ्लीडरर	इरकॉन, भारत रायलसीमा कंक्रीट स्लीपर प्रा. लि., भारत फ्लीडरर इन्फ्रास्ट्रकचर टेक्निक जी एम बी एच एण्ड क., जर्मनी	**65.08** **21.87** **13.05**	65.08 21.87 13.05

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	शेयरधारक व उनका मूल राष्ट्र	स्वामित्व का अनुपात	
			31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
1.	सीसीएफबी (कम्पनिया डोस कैमिनोस डे फैरा डा बेरा एस एआरएल) मोजाम्बिक	इरकॉन, भारत राइट्स भारत सीएफएम, मोजाम्बिक	**25.00** **26.00** **49.00**	25.00 26.00 49.00
2.	इरकॉन-सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल)	इरकॉन, भारत सोमा इंटरप्राइजेज़ लि. भारत	**50.00** **50.00**	50.00 50.00
3.	छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लि.(सीईआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00
4.	छत्तीसगढ पूर्व-पश्चिम रेलवे लि. (सीईडब्ल्यूआरएल)	इरकॉन, भारत एसईसीएल, भारत सीएसआईडीसी	**26.00** **64.00** **10.00**	26.00 64.00 10.00

(ग) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में हितों से संबंधित परिसंत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय (समूह और संयुक्त उद्यम के बीच संव्यवहारो के प्रभाव को समाप्त किए बिना प्रत्येक)में धारक कंपनी का भाग निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1.	**स्थिर संपत्तियां**	**504.98**	531.24
2.	**अन्य गैर चालू संपत्तियां**	**26.45**	0.52
3.	**चालू परिसंपत्तियां**		
क)	दरसूचियां	**21.62**	1.29
ख)	व्यापार प्राप्य	**0.67**	0.63
ग)	रोकड व बैंक शेष	**73.12**	91.95
घ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	**39.33**	21.98
ड.)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	**134.76**	126.96
4.	**गैर चालू देयताएं**		
क)	दीर्घकालिक देयताएं	**543.20**	583.95
5.	**चालू देयताएं**		
क)	व्यापार प्राप्य	**17.30**	3.43
ख)	अन्य चालू देयताएं	**205.16**	145.83
ग)	अल्पकालिक प्रावधान	**0.29**	0.19
6.	**आय**	**173.24**	90.99
7.	**व्यय**	**182.73**	115.28

(घ) संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों में आकस्मिक देयताओं को नोट 31/च में प्रकट किया गया है।

42. संबधित पक्ष प्रकटन

क) उद्यम जहां नियंत्रण विद्यमान है :

संयुक्त उद्यम:

- गैर निगमित संयुक्त उद्यम : उपर्युक्त नोट सं 41(क) के अनुसार।
- संयुक्त उद्यम कम्पनियां : उपर्युक्त नोट सं 41(ख) के समान।

ख) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक:

निदेशक : श्री मोहन तिवारी, श्री के.के. गर्ग, श्री दीपक सबलोक तथा श्री हितेश खन्ना

ग) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का प्रकटीकरण (उस स्तर तक जहां समेकित नहीं किया गया है)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान संव्यवहार		ठेकों/व्यवस्थाओं का विवरण
	2014-15	2013-14	संव्यवहार की प्रकृति
1. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक	नोट सं. 44 के अनुसार		
2. वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय			
संयुक्त उद्यम			
सीईआरएल	27.67	-	परामर्शदात्री तथा कार्य पावतियां
सीईडब्ल्यूआरएल	53.64	-	परामर्शदात्री पावतियां
कुल	**81.31**		
3.संयुक्त उद्यमो को ऋण			
संयुक्त उद्यम			
सीसीएफबी	5.34	-	
सीईआरएल	22.20	-	
इरकॉन एफकान्स जेवी	9.06	-	
कुल	**36.60**		
4. प्रतिनियुक्ति कार्मिकों संबंधी व्यय, किराया और अन्य विविध व्ययों की प्रतिपूर्ति			
संयुक्त उद्यम			
आईएसटीपीएल	0.99	-	
कुल	**0.99**		

घ) संबंधित पक्षों को /से देय राशि का प्रकटन (समेकित न किए गए स्तर तक):

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि	
	31-3-2015 को	31-3-2014 को
प्राप्त किए जाने योग्य राशि		
(1) संयुक्त उद्यमों को बकाया ऋण	**97.33**	**60.19**
सीसीएफबी	66.07	60.19
सीईआरएल	22.20	-
इरकॉन एफकान्स जेवी	9.06	-
(2) संयुक्त उद्यमों को अन्य सेवाएं, प्रतिपूति आदि	**7.75**	**3.50**
सीसीएफबी	0.59	3.50
आईएसटीपीएल	3.58	-
सीईआरएल	3.28	-
सीईडब्ल्यूआरएल	0.30	-

43. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ||| के अंतर्गत निदेशों के अनुसार मूल कंपनी, सहायक कंपनियो, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों की निवल परिसंपत्तियो और लाभ में भागीदारी का प्रकटन:

(रुपए करोड़ में)

क. सं.	निकाय का नाम	2014-15				2013-14			
		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रुप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रुप मे	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियो के % के रुप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रुप मे	राशि
क.	**धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**	**93.60**	**3,092.59**	**99.11**	**576.98**	96.92	2,851.66	101.68	904.98
ख.	सहायक कंपनियां								
1.	इरकॉन आईएसएल	**1.98**	**65.57**	**1.94**	**11.27**	1.00	29.31	0.86	7.66
2.	आईआरएसडीसी	**1.31**	**43.44**	**0.34**	**1.98**	1.41	41.46	0.28	2.53
3.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	**2.69**	**88.91**	**(0.19)**	**(1.09)**	-	-	-	-

क. सं.	निकाय का नाम	2014-15				2013-14			
		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)		निवल परिसंपत्तिया यथा कुल संपत्तियां घटा कुल देयताएं		लाभ या हानि मे भाग (कर पश्चात)	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप मे	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियो के % के रूप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप मे	राशि
4.	सहायक कंपनी मे अल्पाधिकार	**(0.64)**	**(21.28)**	**(0.17)**	**(0.97)**	(0.69)	(20.32)	(0.14)	(1.24)
ग	**संयुक्त उद्यम**								
	भारतीय								
1.	रीकॉन	**0.29**	**9.67**	**0.04**	**0.25**	0.32	9.41	0.01	0.09
2.	आईएसटीपीएल	**0.16**	**5.13**	**(1.35)**	**(7.83)**	0.44	12.96	(2.18)	(19.44)
3.	सीईआरएल	**0.03**	**1.12**	**-**	**(0.01)**	-	(0.02)	-	(0.04)
4.	सीईडब्ल्यूआरएल	**0.03**	**1.12**	**-**	**(0.01)**	-	(0.02)	-	(0.03)
5.	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	**0.10**	**3.24**	**0.56**	**3.24**	-	-	-	-
6.	इरकॉन-एफकान्स	**0.04**	**1.33**	**0.33**	**1.91**	-	0.09	(0.12)	(1.06)
7.	आईएमसीसी	**0.10**	**3.38**	**(0.01)**	**(0.04)**	0.11	3.21	-	(0.01)
8.	एमटीजी	**0.16**	**5.42**	**0.05**	**0.28**	0.19	5.51	0.02	0.18
	विदेशी								
1.	सीसीएफबी	**0.15**	**4.81**	**(0.65)**	**(3.80)**	0.30	8.78	(0.41)	(3.61)
	कुल	**100.00**	**3,304.45**	**100.00**	**582.16**	**100.00**	**2,942.03**	**100.00**	**890.01**

44. निदेशकों का पारिश्रमिक विवरण निम्न प्रकार है :

क. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
I	वेतन और भत्ते	1.78	1.06
II	भविष्य निधि में अंशदान	0.10	0.09
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.03	0.03
IV	अन्य लाभ	0.27	0.26
	कुल	**2.18**	**1.44**

* वर्ष 2014-15 के आंकडों में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए रु.0.64 करोड रुपए के पीआरपी शामिल हैं, जबकि 13-14 के दौरान किसी प्रकार के पीआरपी का भुगतान नही किया गया है।

निदेशकों को कंपनी की ओर से आवास और कार भी प्रदान की गई है जिसकी वसूली लागू नियमानुसार की गई है

45. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा एएस 28 अधिसूचना परिसंपत्तियों का ह्रास इंस्टीट्यूट आफॅ चार्टेड एकाउंटेंटस् आफ इंडिया द्वारा जारी परियोजना के अनुसार वर्ष के दौरान उगाई की जाने वाली शुद्व राशि या लागत से कम के आधार पर वसूल की जाने वाली राशि के आंकलन द्वारा वैयक्तिक परिसपंत्तियों के ह्रास का अनुमान निकाला है । तदनुसार, 0.87 करोड रुपए (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

46. विदेशी ग्राहकों को किराए पर दिए गए इंजनों के लिए पट्टा करार का नवीकरण 31.12.2015 को किया गया है। बहरहाल, करार का नवीकरण हमेशा अनिश्चित रहता है। ऐसे गैर-नवीकरण के मामले में, इंजनों के अनुरक्षण के लिए बचे हुए कलपुर्जें अनावश्यक तथा गैर मूल्यवान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत वापस लाने का खर्च अत्यधिक होता है। परंपरागत लेखांकन पद्धति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कलपुर्जों की लागत को वर्ष के लिए खरीद में दर्शाया जाता है और इस पद्धति का निरन्तर अनुसरण किया जाता है।.

47. कर्मचारी लाभ पर एएस-15 के अंतर्गत प्रकटन,

भविष्य निधि

धारक कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने ट्रस्ट में 9.91 करोड रुपए (9.24 करोड रुपए) का अंशदान किया है।

उपदान
धारक कंपनी के नियमों के अनुसार उपदान के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)
कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान 12 करोड़ रुपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। इरकॉन चिकित्सा ट्रस्ट में दिनांक 31.03.2015 को 50.05 करोड़ रुपए (31.83 करोड़ रुपए) की संयुक्त निधि है। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 7.33 करोड़ रुपए (17.50 करोड़ रुपए) का भी प्रावधान किया है।

छुट्टी नगदीकरण
धारक कंपनी के नियमों के अनुसार छुट्टी नगदीकरण के प्रति देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर है, केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर। चूंकि, विदेशी कार्यों को अकार्य दिवस माना जाता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों के प्रति दायित्व के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया जाता है क्योंकि इस राशि का भुगतान कर्मचारियों को वापस आने पर किया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल है गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।

दिनांक 31.03.2015 को विभिन्न कर्मचारी लाभों को लाभ हानि खात के विवरण तथा तुलन पत्र में निम्नानुसार सारबद्ध किया गया है:

i) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन
(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	61.85 (53.87)	76.95 (61.34)	0.14 (0.08)	1.29 (1.41)
ब्याज लागत	4.95 (4.04)	6.16 (4.60)	0.01 (0.01)	0.10 (0.11)
चालू सेवा लागत	3.37 (3.16)	4.63 (4.72)	- (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	(3.70) ((2.35))	(8.78) ((7.16))	(0.01) ((0.02))	(0.03) (-)
दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.15) (3.12)	0.95 (13.45)	(0.02) (0.07)	(0.14) ((0.28))
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोडक़र।

ii) योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन
(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के प्रारम्भ में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अंशदान	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
प्रदत्त लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
अवधि के अन्त में योजना परिसम्पतियों के उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

iii) तुलन पत्र में मान्य राशि

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	66.31 (61.85)	79.90 (76.95)	0.13 (0.14)	1.28 (1.29)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वित्तपोषण स्थिति	(66.31) ((61.85))	(79.90) ((76.95))	(0.13) ((0.14))	(1.28) ((1.29))
अनुमानित के उपर वास्तविक में अधिक	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता	(66.31) ((61.85))	(79.90) ((76.95))	(0.13) ((0.14))	(1.28) ((1.29))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

iv) लाभ हानि की विवरणिका में मान्य व्यय

(रुपए करोड़ में)

	उपदान	छुट्टी नकदीकरण*	एलटीसी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
चालू सेवा लागत	3.37 (3.16)	4.63 (4.72)	- (-)	0.06 (0.06)
पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	- (0.01)	- (-)
ब्याज लागत	4.95 (4.04)	6.16 (4.60)	0.01 (-)	0.10 (0.11)
योजना परिसम्पतियों पर अनुमानित लाभ	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
वर्ष में निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.15) (3.12)	0.94 (13.45)	(0.02) (0.07)	(0.14) ((0.28))
लाभ हानि विवरणिका में मान्य व्यय	8.16 (10.33)	11.73 (22.77)	- (0.08	0.02 ((0.12))

* विदेशी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को छोड़कर।

धारक कंपनी द्वारा अगले वर्ष उपदान के लिए 8.76 करोड रुपए, छुट्टी नकदीकरण के लिए 11.27 करोड रुपए, एलटीसी के लिए 0.02 करोड रुपए तथा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 0.20 करोड रुपए का अंशदान करने की संभावना है।

v) वास्तविक अनुमान

क. प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित इकाई ऋण पद्धति
ख. रियायत दर	8.00 %
ग. क्षतिपूर्ति स्तर मे वृद्धि की दर	8.00 %
घ. सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों की औसत उत्कृष्ट सेवा	13.53 वर्ष
ड. लाभ दायित्वों की अनुमानित अवधि	13.53 वर्ष

vi) वर्तमान और पिछली 4 अवधियो के लिए राशि निम्नानुसार है:

क. उपदान:

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	66.31	61.85	53.87	49.63	44.61
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	4.07
सरप्लस/(डैफिसेट)	(66.31)	(61.85)	(53.87)	(49.63)	(40.54)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.15	(3.12)	(1.13)	(1.01)	(3.61)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	(0.26)

ख. छुट्टी नकदीकरण (विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर):

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	79.90	76.95	61.34	55.61	54.02
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(79.90)	(76.95)	(61.34)	(55.61)	(54.02)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	(0.95)	(13.46)	(0.04)	5.18	(11.52)
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

ग. एलटीसी:

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	0.13	0.14	0.08	-	-
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(0.13)	(0.14)	(0.08)	-	-
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.02	(0.07)	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

घ. अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निर्धारित लाभ दायित्व	1.27	1.29	1.41	1.57	1.45
योजना परिसम्पतियां	-	-	-	-	-
सरप्लस/(डैफिसेट)	(1.27)	(1.29)	(1.41)	(1.57)	(1.45)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	0.14	0.28	0.35	0.06	0.02
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-	-	-

48. प्रगतिरत संविदाओं के लिए निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक -7 के अंतर्गत प्रकटन*

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
(क)	इस अवधि के दौरान राजस्व के रुप में स्वीकृत संविदा राजस्व	2883.55	4036.29
(ख)	वहन लागतों की समग्र राशि तथा स्वीकृत लाभ (घटा स्वीकृत हानियां)	20667.13	18309.48
(ग)	ग्राहकों के प्राप्त अग्रिमों की राशि	847.83	314.77
(घ)	प्रतिधारणों की राशि (ग्राहकों द्वारा)	100.56	106.32
(ङ.)	संविदा कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि t	434.12	619.42

* 31.03.2015 तक पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर

49. कम्पनी को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी के अधीन आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अधीन नहीं आते हैं। इस सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के प्रति 31 मार्च 2015 तक कोई देय नहीं है।

50. (i) वर्ष के दौरान धारक कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि है 4.93 करोड रु. (7.30 करोड रु.)।

(ii) वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर 4.93 करोड रुपए (7.30 करोड रुपए) की अपेक्षित राशि की तुलना में 6.70 करोड रुपए (8.41 करोड रुपए) खर्च किए हैं। इस व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1.	भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख तथा स्वच्छता का संवर्धन और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	**3.06**	3.02
2.	शिक्षा का संवर्धन	**0.76**	1.16
3.	लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण का संवर्धन	**0.02**	0.42
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना	**1.04**	1.07
5.	राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण	**0.52**	0.10
6.	प्रधान मंत्री राहत कोष तथा सामाजिक आर्थिक विकास व राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान	**0.50**	1.25
7.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	**0.80**	1.39
	कुल	**6.70**	**8.41**

(iii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

क. सं.	विवरण	रोकड में	रोकड में अभी भुगतान किया जाना है	कुल
1.	परिसंपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण	-	-	-
2.	अन्य प्रयोजन	6.64	0.06*	6.70

*अप्रैल,2015 में भुगताना किया गया

51. प्रति शेयर मूलभूत आमदनी का परिकलन निवल कर पश्चात लाभ के 582.16 करोड़ रुपए (890.01 करोड़ रुपए) को (197,96,000) पूर्ण प्रदत्त 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के साथ भाग करके किया जाता है। प्रति शेयर विलयित आमदनी लागू नहीं है क्योंकि यहां काई विलयन शामिल नहीं है।

52. पिछले वर्ष के आंकडों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ समायोजित करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन:समूहित, पुन:व्यवस्थित तथा पुन:निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग दर्शाने के लिए उन्हें कोष्ठक में प्रस्तुत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002304एन

कृते टी.आर.चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006711एन

मुकेश दधीच
भागीदार
स.सं.511741

नीना गोयल
भागीदार
स.सं.057986

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2015

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

के.के. गर्ग
निदेशक/वित
डीआईएन 01495050

मोहन तिवारी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 00191363

सुमीता शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.08.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 129 (4)के साथ पठित खंड 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधक वर्ग का है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.10.2015 की लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने सहायक कंपनियो यथा इरकॉन इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड तथा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त रुप से नियंत्रित निकायों (संलग्न सूची के अनुसार) की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं आया है जो सांविधिक लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न उठाता हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

(दिनेश भर्गव)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
(रेलवे -वाणिज्यिक)

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 23 नवंबर, 2015

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2014-15 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

संयुक्त उद्यम:

1. रिकॉन
2. कंपैनिया डोस कैमिनोस डे फेरो डा बेरा, एसए (सीसीएफबी)
3. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)
4. इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स (आईएमसीसी)
5. मेट्रो टनलिंग ग्रुप (एमटीजी)
6. इरकॉन-एसपीएससीपीएल यूजेवी
7. इरकॉन-एफकॉन जेवी
8. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
9. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

लेखा परीक्षा अधिकारी (एचक्यूआर)

इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली.: +91-11-29565666, फैक्स : +91-11-26522000 / 26854000
ई–मेल : info@ircon.org, वेबसाइट : www.ircon.org
सीआईएन : यू45203डीएल1976जीओआई008171

AKAR